



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2023

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2023**

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
7.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
8.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
9.	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	1.4.1	8
10.	सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन	1.4.2	8
11.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	9
12.	मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ	1.5.1	11
13.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.5.2	13
14.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.5.3	14
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.6	16
16.	पश्च लेखापरीक्षा-घाटा	1.6.1	16
17.	पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.6.2	17
18.	निष्कर्ष	1.7	18
19.	संस्तुतियाँ	1.8	18
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	19
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	19
22.	राज्य के संसाधन	2.3	21
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	22
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	24
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	24
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	25
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	27

30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	29
31.	केंद्रीय अंतरण	2.3.4	30
32.	केंद्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	30
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	32
34.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.3	33
35.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	33
36.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.5	34
37.	संसाधनों का उपयोग	2.6	35
38.	राजस्व व्यय	2.6.1	38
39.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	39
40.	वचनबद्ध व्यय	2.6.2	40
41.	अन्य वचनबद्ध व्यय	2.6.2.1	42
42.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.2	43
43.	ब्याज भुगतान	2.6.2.3	44
44.	पेंशन	2.6.2.4	44
45.	सब्सिडी	2.6.2.5	45
46.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.6	46
47.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	48
48.	पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव	2.6.3.1	49
49.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	49
50.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	55
51.	लोक लेखा	2.8	57
52.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	57
53.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	59
54.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	60
55.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	60
56.	प्रतिभूति मोचन निधि	2.8.2.3	61
57.	राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि	2.8.2.4	62
58.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना	2.8.3	63
59.	ऋण प्रबंधन	2.9	63
60.	सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति	2.9.1	63
61.	ऋण संरचना: घटक	2.9.2	64
62.	वर्ष 2021-22 के अंत में कुल बकाया ऋण का घटक-वार विवरण	2.9.3	65

63.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति	2.9.4	65
64.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	66
65.	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	68
66.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	71
67.	ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति	2.9.8	71
68.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.9	73
69.	प्रतिभूति की स्थिति - प्रासंगिक दायित्व	2.10	73
70.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	75
71.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	75
72.	निष्कर्ष	2.12	78
73.	संस्तुतियाँ	2.13	79
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
74.	बजट प्रक्रिया	3.1	81
75.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	82
76.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश	3.2.1	83
77.	भारित एवं मतदेय वितरण	3.2.2	83
78.	विनियोग लेखे	3.3	84
79.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	84
80.	विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना	3.3.1.1	84
81.	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः	3.3.2	85
82.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	86
83.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	89
84.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	89
85.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण	3.5	94
86.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ	3.5.1	96
87.	₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	98
88.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या के वितरण	3.5.3	98
89.	वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	99
90.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	99
91.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	99
92.	2021-22 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	100
93.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	100
94.	कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	101

95.	विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण	3.6.4	101
96.	पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायक अनुदान	3.7	102
97.	बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल	3.8	104
98.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	106
99.	विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन	3.10	107
100.	व्यय की तीव्रता	3.11	107
101.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.12	109
102.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.12.1	109
103.	निष्कर्ष	3.13	119
104.	संस्तुतियाँ	3.14	119
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
105.	राज्य के लोक लेखा अथवा समेकित निधि के अलावा कोष	4.1	121
106.	नियामक	4.1.1	121
107.	विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना	4.2	122
108.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना	4.3	122
109.	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.4	123
110.	स्थानीय निधियों में जमा	4.5	125
111.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.6	125
112.	अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	127
113.	सार आकस्मिक बिल	4.7	127
114.	स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ	4.7.1	128
115.	व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता	4.8	129
116.	निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	4.8.1	131
117.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग	4.9	132
118.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष	4.10	134
119.	विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना	4.11	137
120.	नकद शेष राशि का मिलान	4.12	139
121.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	139
122.	स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना	4.14	141
123.	निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया	4.14.1	141
124.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.15	142
125.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.16	142
126.	गबन, हानि, चोरी आदि	4.17	142

127.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	143
128.	निष्कर्ष	4.19	143
129.	संस्तुतियाँ	4.20	143
अध्याय-5: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका			
130.	प्रस्तावना	5.1	145
131.	सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों तथा सांविधिक निगमों की परिभाषा	5.1.1	145
132.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.1.2	145
133.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति तथा अध्याय में उनका कार्य-क्षेत्र	5.1.3	146
134.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.2	147
135.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.2.1	148
136.	उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे से समाधान	5.2.2	149
137.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान	5.2.3	150
138.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण	5.2.4	151
139.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा प्रस्तुत करना	5.3	151
140.	समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.3.1	151
141.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा	5.3.2	152
142.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	5.3.2.1	154
143.	निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.3.2.2	154
144.	निष्कर्ष	5.4	154
145.	अनुशंसा	5.5	155

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	157
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	158
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	161
परिशिष्ट-5.1	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. (जिन्होंने 2019-20 और उसके बाद के अपने लेखे जमा किए) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण	163
परिशिष्ट-5.2	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण (तीन साल या उससे अधिक के बकाया लेखे या निष्क्रिय थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए) को दर्शाने वाला विवरण	165
परिशिष्ट-5.3	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. को बजटीय सहायता दर्शाने वाला विवरण	167
परिशिष्ट-5.4	30 सितंबर 2022 तक इक्विटी, ऋण और प्रत्याभूति के शेष के संबंध में उत्तराखंड सरकार के वित्त लेखों और रा. सा. क्षे. उ. के लेखों के बीच अंतर को दिखाने वाला विवरण	168
परिशिष्ट-5.5	31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. के निवल मूल्य में कमी दर्शाने वाला विवरण	170
परिशिष्ट-5.6	जिस अवधि के लिए लेखे बकाया हैं, उस अवधि के दौरान सक्रिय रा. सा. क्षे. उ. में राज्य सरकार के निवेश (इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति को दिखाने वाला विवरण	171
परिशिष्ट-6.1	शब्दावली	173

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में राज्य की रूपरेखा और पूर्व एवं पश्च लेखापरीक्षा में राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2 एवं 3** में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों की लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं।

अध्याय-4 लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, बजटीय सहायता के विवरण की चर्चा करता है। यह रा सा क्षे उ के द्वारा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को भी दर्शाता है।

प्रतिवेदन, जिसमें विभिन्न विभागों, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों में की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा व लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के दौरान बजट, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) और पंद्रहवें वित्त आयोग (पं वि आ) की सिफरिशों के सापेक्ष राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने और प्रभावी प्रवृत्तियों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए अतिरिक्त आँकड़ों जैसे कि राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा पाँच अध्यायों में प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 राज्य की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन है।

अध्याय-2 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2022 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋण पद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण एवं वह ढंग, जिसमें सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-4 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण का विवरण प्रदान करता है।

अध्याय-5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ उत्तराखण्ड सरकार, भारत सरकार और अन्य द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, बजटीय सहायता के विवरण की चर्चा करता है। यह रा सा क्षे उ के द्वारा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को भी दर्शाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1: विहंगावलोकन

- वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1,114 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,128 करोड़ (स रा घ उ का 1.63 प्रतिशत) हो गया। आस्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का हस्तांतरण न करने आदि के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 479 करोड़ (11.60 प्रतिशत) से अधिक दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

- चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ (स रा घ उ का 1.47 प्रतिशत) रहा जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व अधिशेष हो जाने के कारण, राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ। राजकोषीय घाटा आस्थगित देयता, ब्याज दायित्व के अहस्तांतरण आदि के कारण ₹ 243 करोड़ (6.50 प्रतिशत) कम दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 1.5.3 एवं 1.6.1]

अध्याय-2: राज्य के वित्त

- सहायता अनुदान (₹ 692 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,238 करोड़) एवं केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,337 करोड़) में वृद्धि के कारण, गत वर्ष की तुलना में, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,852 करोड़ (12.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि आंशिक तौर पर करेत्तर राजस्व ₹ 1,415 करोड़ (33.92 प्रतिशत) से प्रति-संतुलित हुई।

[प्रस्तर 2.3.2.1]

- 2017-22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2017-22 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। 2017-22 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान, वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के 61 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था, जबकि, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 55 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।

[प्रस्तर 2.6.1 एवं 2.6.2]

- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 996 करोड़ (15.23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (₹ 7,112 करोड़) से ₹ 422 करोड़ अधिक रहा साथ ही साथ यह बजट में किए गए अनुमान (₹ 8,973 करोड़) के सापेक्ष, ₹ 1,439 करोड़ कम था।

[प्रस्तर 2.6.3]

- राज्य सरकार ने बजटीय सहायता प्रदान की थी एवं घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उन सरकारी निगमों और कंपनियों में भी निवेश किया था जिन्होंने अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में राज्य सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतानित राशि ₹ 17.08 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण (₹ 2,047.90 करोड़) का 0.83 प्रतिशत थी।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (i), (iv)]

- वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 509.66 करोड़ की 75 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं।

[प्रस्तर 2.6.3.2 (v)]

- 2021-22 के दौरान, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में व्यय उ पू-हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2021-22 के दौरान यह उ पू-हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।

[प्रस्तर 2.7]

- प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस ₹ 7.17 करोड़ के सापेक्ष, ₹ 1.87 करोड़ ही प्राप्त हुई, फलस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था, जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया और राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया था।

[प्रस्तर 2.8.2.3]

- गत वर्ष की तुलना में कुल राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात में 2021-22 में 2.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 28.12 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य 25 प्रतिशत से अधिक था।

[प्रस्तर 2.9.2]

अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन

- 2021-22 के दौरान, कुल अनुदान और विनियोग ₹ 65,012.40 करोड़ के सापेक्ष ₹ 14,318.05 करोड़ की कुल बचत हुई।

[प्रस्तर 3.2]

- ₹ 19.64 करोड़ का व्यय राजस्व संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को पूँजीगत संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित था। इसी प्रकार, ₹ 25.57 करोड़ का व्यय पूँजीगत संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व संवर्ग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्यों और रख-रखाव से संबंधित था।

[प्रस्तर 3.3.2]

- चालीस प्रकरणों में ₹ 7,072.07 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 40 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।

[प्रस्तर 3.3.3 एवं 3.4.1]

- वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक के लिए ₹ 47,758.16 करोड़ के व्ययाधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा विनियमित किया जाना था।

[प्रस्तर 3.6.4]

अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2021 तक दिये गए ₹ 1,390.90 करोड़ के अनुदान से संबन्धित 321 उपयोगिता प्रमाण पत्र (मार्च 2022 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2022 तक, ₹ 27.33 करोड़ के 243 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। ₹ 10,717.43 करोड़ की निधियाँ आहरण एवं वित्तरण अधिकारियों के स्वयं के खाते और कार्य एजेंसियों को अंतरित की गयी है और अंतिम व्यय के रूप में मानी गई है, निधियों के अंतिम उपयोग के आश्वासन के अभाव में व्यय की इतनी बड़ी धनराशि की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

[प्रस्तर 4.6, 4.7.1]

- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800-अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,343 करोड़) और प्राप्तियों (₹ 1,223 करोड़) को दर्ज किया गया था, जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के सार्वत्रिक संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को असुरक्षित किया।

[प्रस्तर 4.9]

- 2021-22 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति और व्यय का मिलान क्रमशः 95.19 और 89.02 प्रतिशत था। व्यय के आंकड़ों के मिलान में 2020-21 में 73.59 प्रतिशत से सुधार हुआ और यह चालू वर्ष में 89.02 प्रतिशत हो गया। हालांकि प्राप्तियों के आंकड़ों के मिलान का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में कमोबेश समान था। राज्य के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान न किया जाना सरकार के कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की शुद्धता से संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है।

[प्रस्तर 4.11]

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

[प्रस्तर 4.13]

अध्याय-5: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका

- 31 मार्च 2022 तक, 27 सरकारी कंपनियों, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी और चार वैधानिक निगमों सहित 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (रा सा क्षे उ) थे। 32 रा सा क्षे उ में से, नौ रा सा क्षे उ निष्क्रिय थे (परिसमापन के अन्तर्गत सात रा सा क्षे उ सहित)।

[प्रस्तर 5.1.3]

- 14 रा सा क्षे उ जिन्होंने 2019-20 और उसके बाद तक अपने खाते प्रस्तुत किए थे में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,449.81 करोड़ था। निवेश इक्विटी के रूप में 43.71 प्रतिशत और दीर्घावधि ऋण के रूप में 56.29 प्रतिशत था। इन रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार ने ₹ 3,553.58 करोड़ की इक्विटी और ₹ 839.59 करोड़ के दीर्घावधि ऋण सहित ₹ 4,393.17 करोड़ का निवेश किया था।

[प्रस्तर 5.2]

- 14 रा सा क्षे उ (13 सरकारी कंपनियां और एक वैधानिक निगम) के संबंध में रा सा क्षे उ के अभिलेखों तथा वित्त लेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण और प्रत्याभूति में ₹ 569.98 करोड़ का अंतर था।

[प्रस्तर 5.2.2]

- वर्ष 2021-22 के दौरान दो रा सा क्षे उ ने लाभांश का भुगतान किया।

[प्रस्तर 5.2.3]

- सात रा सा क्षे उ का निवल मूल्य ₹ 4,907.48 करोड़ के संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उनका निवल मूल्य ₹ 1503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 3,404.00 करोड़ था। जिन रा सा क्षे उ की पूंजी समाप्त हो गई है, उनमें पांच रा सा क्षे उ के संबंध में बकाया उत्तराखण्ड सरकार का ऋण 31 मार्च 2022 तक ₹ 295.66 करोड़ था।

[प्रस्तर 5.2.4]

- रा सा क्षे उ वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 19 सरकारी कंपनियों के 130 लेखे बकाया थे। इसके अतिरिक्त, चार वैधानिक निगमों के 12 लेखे भी बकाया थे।

[प्रस्तर 5.3.2]

अध्याय-1
विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय है तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 प्रतिशत) वन क्षेत्र है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की आबादी 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक की अवधि के लिए राज्य की प्रचलित दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 7.57 प्रतिशत तथा 6.29 प्रतिशत रही, तथापि यह अखिल भारतीय स रा घ उ के सी ए जी आर (10.11 प्रतिशत) तथा अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (8.86 प्रतिशत) से कम थी।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं कि राज्य में 2021-22 में साक्षरता दर (78.80 प्रतिशत) तथा 2021-22 में नवजात शिशु मृत्यु दर (24 प्रति 1,000 जीवित जन्म) अखिल भारतीय औसत दर (73.00 प्रतिशत एवं 28 प्रति 1,000 जीवित जन्म) से बेहतर थी। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता 11.26 प्रतिशत थी, यह भी अखिल भारतीय औसत (21.92) से काफी कम थी (परिशिष्ट-1.1)।

1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

देश के स रा घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ (नाममात्र) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20 ♣	2020-21♥	2021-22♣
राष्ट्रीय स घ उ (2011-12 शृंखला)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.03	10.59	6.22	-1.36	19.51
राज्य का स रा घ उ (2011-12 शृंखला)	2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.86	4.59	2.89	-0.98	8.17

आँकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।


♥ अन्तिम अनुमान, ♣ त्वरित अनुमान, ♣ अग्रिम अनुमान।

जैसा कि ऊपर दिये गए विवरण से देखा जा सकता है, 2017-18 एवं 2020-21 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, 2018-19, 2019-20 और 2021-22 वर्षों के दौरान यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम थी।

1.1.2 स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.1 से पता चलता है कि 2017-18 से 2021-22 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा घ उ में कृषि एवं सेवा क्षेत्र के संबंधित अंश में वृद्धि हुई है, जो क्रमशः 2017-18 में 8.70 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 10.23 प्रतिशत तथा 2017-18 में 36.15 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 39.77 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, उद्योग क्षेत्र के संबंधित अंश में 2017-18 में 46.13 प्रतिशत से 2021-22 में 42.67 प्रतिशत की कमी देखी गई।


चार्ट-1.1: स रा घ उ (2017-18 से 2021-22) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

जैसा कि चार्ट-1.2 में देखा जा सकता है, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, उद्योग क्षेत्र, और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा सकती है जबकि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई:

चार्ट-1.2: स रा घ उ में क्षेत्रीय वृद्धि



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाना है, जिसे उनके द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट, आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है - राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;

- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य आँकड़े;
- स रा घ उ के आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2017-22 के दौरान भारत के नि म ले प के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथोचित उपयोग इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए भी किया गया है।
- यथा आवश्यक, राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई।

यह विश्लेषण, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम 2020, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ दिसम्बर 2022 में एक प्रवेश गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। ड्राफ्ट प्रतिवेदन जनवरी 2023 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और फ़रवरी 2023 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, प्रतिवेदन में दिये गए सभी सुझावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

रा वि ले प्र निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	विहंगावलोकन यह अध्याय रिपोर्ट और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहद राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय - 2	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है; पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियाँ, राज्य की ऋण स्थिति और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन की समीक्षा करता है।

<p>अध्याय - 4</p>	<p>लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।</p>
<p>अध्याय - 5</p>	<p>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखों के आधार पर उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।</p>

1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अतिरिक्त किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामें करते हुए की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा {संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित

निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों ही क्षणिक शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग होने पर) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों में व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का अंश और भारत सरकार से अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

पूँजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शयरो में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एकल लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो क्रियाशील और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद

करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित संख्या से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत, राज्य का राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग प्रदान करने के लिए विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखा परीक्षा जाँच और राज्य सरकार के अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में वर्णित हैं।

1.4.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

तालिका-1.2 वर्ष 2020-21 के वास्तविक के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: वास्तविक के सापेक्ष बजट की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	ब अ से वास्तविक की प्रतिशतता	स रा घ उ से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	18,507	20,195	24,082	119.25	9.49
(i)	करेत्तर राजस्व	11,938	12,754	14,176	111.15	5.58
(ii)	केंद्रीय करों का अंश	6,569	7,441	9,906	133.13	3.90
2.	करेत्तर राजस्व	4,171	3,294	2,756	83.67	1.09
3.	सहायता अनुदान और योगदान	15,527	20,662	16,219	78.50	6.39
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	38,205	44,151	43,057	97.52	16.96
5.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	23	23	17	73.91	0.01
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0.20	0	0	0.00	0.00
7.	उधार और अन्य देनदारियाँ (क)	5,439	9,401	3,736	39.74	1.47
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	5,462	9,424	3,753	39.82	1.48
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	43,667	53,575	46,810	87.37	18.44
10.	राजस्व व्यय	37,091	44,036	38,929	88.40	15.33
11.	ब्याज भुगतान	4,773	6,053	4,939	81.60	1.95
12.	पूँजीगत व्यय	6,576	9,122	7,881	86.40	3.10
13.	पूँजीगत परिव्यय	6,538	8,973	7,534	83.96	2.97
14.	ऋण और अग्रिम	38	149	347	232.89	0.14
15.	कुल व्यय (10+12)	43,667	53,158	46,810	88.06	18.44
16.	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (4-10)	1,114	115	4,128	3589.57	1.63
17.	राजकोषीय घाटा {15-(4+5)}	5,439	8,984	3,736	41.59	1.47
18.	प्राथमिक घाटा (17-11)	(-) 666	(-) 2,931	1,203	141.04	0.47

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों

और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति तालिका-1.3 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसंपत्तियाँ				
	2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि		2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	53,301.55	53,759.17	0.86	अ	सकल पूँजी परिव्यय	64,325.48	71,858.97	11.71
ब	भा स से ऋण और अग्रिम	3,813.10	7,443.32	95.20	ब	ऋण और अग्रिम	2,047.91	2,378.28	16.13
	आकस्मिकता निधि	7.45	231.34	3,005.23					
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,996.75	9,330.63	3.71		अग्रिम	0.42	0.42	0.00
ब	जमा	4,217.28	3,536.19	(-) 16.15		नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)	3,575.97	3,837.19	7.30
स	रिजर्व फंड	4,910.59	4,653.02	(-) 5.25					
द	उचत और विविध	203.19	481.01	136.73		योग	69,949.78	78,074.86	11.62
य	प्रेषण	58.72	71.01	20.93		राजस्व लेखे में घाटा	5,558.85	1,430.83	(-) 74.26
	योग	75,508.63	79,505.69	5.29		योग	75,508.63	79,505.69	5.29

स्रोत: वित्त लेखे।

1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने हेतु विभिन्न मापक हैं।

<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा उठाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास बचत नहीं है तथा अपने उपभोग व्यय के एक भाग के वित्तपोषण के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा, पूँजीगत प्राप्तियों के एक भाग का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता को कम करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति का तात्पर्य है कि सरकार को न केवल अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए बल्कि अपनी उपभोग की आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना होगा। इससे ऋण और ब्याज देनदारियों के भार में वृद्धि होती है और अंततः सरकार व्यय में कटौती करने के लिए बाध्य हो जाती है।
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> यदि राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वचनबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम करती है। इसका तात्पर्य कम वृद्धि और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ होंगे।
<p>राजकोषीय घाटा/ अधिशेष {कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)}</p>	<p><i>यह राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को बढ़ने नहीं देती हैं। ऋणों की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री से होने वाली आय इसके उदाहरण हैं। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण उधार के माध्यम से करना होगा। इस प्रकार, यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकारें सामान्यतः राजकोषीय घाटे से गुजरती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के सृजन या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियाँ आय स्रोत पैदा करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग करना और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछनीय है।
<p>प्राथमिक घाटा/ (सकल राजकोषीय घाटा- निवल ब्याज देनदारियाँ)</p>	<p><i>यह ब्याज भुगतान को घटाकर राजकोषीय घाटे को सन्दर्भित करता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> निवल ब्याज देयताओं में, ब्याज भुगतान में से सरकार द्वारा निवल घरेलू ऋण पर प्राप्त ब्याज घटाना शामिल होता है। सरकार की उधारी की आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक वर्तमान व्यय के कारण उधार लेने का अनुमान प्राप्त करने के लिए हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता होती है।

सरकारी ऋण को बढ़ा कर घाटे का वित्तपोषण उधारियों द्वारा किया जाना चाहिए। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान देते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित कर देती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके कुछ वर्षों बाद बॉण्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही लोगों से सरकार द्वारा उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इससे पूँजीगत निर्माण और वृद्धि इस हद तक कम हो जाती है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में, सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद कर्ज को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। कर्ज में वृद्धि को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था (स रा घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

कर्जों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मुख्य जोर सरकारी व्यय में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाने के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ

राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम) पारित किया था, जो की वर्ष 2011, 2016 व 2020 में संशोधित किया गया। इसे राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित कर तथा मध्यावधि ढाँचे की पारदर्शिता में सुधार कर किया जाना था। इस संदर्भ में, अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

वर्ष 2011 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। 2016 में हुए एफ आर बी एम अधिनियम संशोधन में राजस्व घाटे हेतु किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी उल्लेखित किया गया था कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जुलाई 2020 में एफ आर बी एम अधिनियम में हुए संशोधन में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, जो कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबन्धित थी, को समाहित किया गया। अधिनियम के अनुसार, 'राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा की स्थिरता प्रदान करेगा। राज्य को बिना किसी शर्त के वर्ष 2020-21 के लिए स रा घ उ की 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा मिल सकती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए वर्ष 2020-21 के लिये अधिसूचित राजकोषीय घाटे की सीमा, जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत, को वर्ष 2021-22 के लिए मान लेते हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम (संशोधन) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका-1.4 में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व घाटा का शून्य होना	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128
		X	X	X	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)	2017-18 से 2019-20 तक	(-) 7,935 (-3.60)	(-) 7,320 (-3.18)	(-) 7,657 (-3.23)	(-) 5,439 (-2.32)	(-) 3,736 (-1.47)
	तीन प्रतिशत तथा 2020-21 और 2021-22 में 3.5 प्रतिशत	X	X	X	✓	✓
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	25 प्रतिशत	23.54	25.20	27.84	30.44*	28.12*
		✓	X	X	X	X

स्रोत: वित्त लेखे और एफ आर बी एम अधिनियम और पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन।

* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त क्रमशः ₹ 2,316 करोड़ एवं ₹ 3,333 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण¹ के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

राज्य ने 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था परंतु 2020-21 तथा 2021-22 में यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा था।

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का बकाया ऋण स रा घ उ के 25 प्रतिशत से कम रहा जो कि एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के भीतर था। हालांकि, वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पिछले वर्ष की तुलना में यह एफ आर बी एम अधिनियम के 25 प्रतिशत के लक्ष्य से क्रमशः 0.20 प्रतिशत, 2.84 प्रतिशत, 5.44 प्रतिशत के ऊपर था। वर्ष 2021-22 के दौरान बकाया ऋण स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में 2.32 प्रतिशत कम हुआ, लेकिन यह 25 प्रतिशत के लक्ष्य से 3.12 प्रतिशत अधिक था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त के द्वारा अवगत किया गया कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 के लिए एक मार्ग सुझाया है। तदनुसार, 2021-22 के लिए ऋण और स रा

¹ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या। एफ.सं.40 (1) पी एफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

घ उ अनुपात की सीमा 32.60 प्रतिशत है। इस प्रकार, अनुपात सीमा के भीतर है। उन्होंने आगे बताया कि एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पाँच वर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) को निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करती है।

तालिका-1.5 राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में 2021-22 के लिए किए गए अनुमानों तथा वास्तविक के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: 2021-22 के लिए एम टी एफ पी में अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक (2021-22)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	स्वयं कर राजस्व	14,122	14,176	0.38
2.	करेत्तर राजस्व	2,631	2,756	4.75
3.	केंद्रीय करों का अंश	9,897	9,906	0.09
4.	भारत सरकार से अनुदान	17,051	16,219	(-) 4.88
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	43,701	43,057	(-) 1.47
6.	राजस्व व्यय	41,466	38,929	(-) 6.12
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	2,235	4,128	84.70
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 4,904	(-) 3,736	23.82
9.	ऋण- स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	31.03	(-) 28.12	2.91
10.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.17	8.17	0.00

स्रोत: वित्त लेखे और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2021-22।

* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,333 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।


जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने 2021-22 के दौरान एम टी एफ पी एस में राजस्व अधिशेष का अनुमान ₹ 2,235 करोड़ लगाया था, जिसके विपरीत राज्य को ₹ 4,128 करोड़ का अधिशेष हुआ, जो कि अनुमान से 84.70 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹ 4,904 करोड़ था जिसके सापेक्ष

₹ 3,736 करोड़ का राजकोषीय घाटा हासिल हुआ। ऋण-स रा घ उ अनुपात से संबंधित अनुमानों को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा वर्ष की समाप्ति पर एम टी एफ पी एस में अनुमानित दरों से नीचे ऋण स रा घ उ अनुपात था। हालांकि, यह एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित 25 प्रतिशत के मानक से ऊपर था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2021-22 के दौरान XV वि आ द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वर्ष 2021-22 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ था, जो स रा घ उ का 1.47 प्रतिशत था। 2020-21 के दौरान ₹ 666 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान ₹ 1,203 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया और 2020-21 में ₹ 1,114 करोड़ का राजस्व अधिशेष बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 4,128 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि में इन अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.3 में दर्शाया गया है और स रा घ उ के अनुपात में घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.4 में दी गई है। राजकोषीय देयताओं के घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-1.5 में दी गई है।

चार्ट-1.3: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.4: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.5: राजकोषीय देनदारियों और स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर के ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल बकाया दायित्वों में 48.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विगत चार वर्षों से यह एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थी।

1.6 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

राज्य वित्त की बेहतर स्थिति दर्शाने के लिए, राज्य कभी-कभी राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत और बजट से इत्तर राजकोषीय संचालन करते हैं।

1.6.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटा

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण और गैर बजट राजकोषीय संचालनों से घाटे के आँकड़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्पष्ट दायित्वों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, मोचन निधियों आदि में कम अंशदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए, ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और नीचे तालिका-1.6 में दर्शाया गया:

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
अगले वित्त वर्ष के लिए स्पष्ट दायित्वों को आस्थगित करना	(-) 182.28	(+) 182.28	4.2
गारंटी कमीशन शुल्क का लोक लेखे में हस्तांतरण न करना	(-) 1.87	(+) 1.87	2.8.2.3
पूँजीगत के स्थान पर राजस्व शीर्ष के अर्न्तगत बुक किये गये मुख्य कार्य	(+) 19.64	--	2.6.3.2 (iv)
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत बुक किया गया सहायता-अनुदान	(-) 25.57	--	2.6.3.2 (iv)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	(-) 156.49	(+) 156.49	4.3
नई पेंशन योजना में अधिक योगदान	(+) 38.05	(-) 38.05	2.6.2.3
केन्द्रीय सड़क निधि का लेखांकन न किया जाना	(-) 98.80	(-) 131.66	4.10 (स)
हरित ऊर्जा उपकर का हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरण न किया जाना	(-) 72.00	(+) 72.00	एन टी ए का 5(ब) (v)
योग	(-) 479.32	(+) 242.93	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व अधिशेष ₹ 4,128 करोड़ से घटकर ₹ 3,649 करोड़ रह जाएगा और राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,979 करोड़ (स रा घ उ का 1.58 प्रतिशत) हो जाएगा, जो फिर भी एफ आर बी एम अधिनियम 2005 (2020 में संशोधित) के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रहेगा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि इन मामलों पर काम किया जाएगा और चालू वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत सहायता अनुदान तथा राजस्व व्यय के तहत वृहत कार्यों की बुकिंग के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

1.6.2 पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार (केंद्र, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियों सहित);
- वित्तीय सार्वजनिक उद्यम (केंद्रीय बैंक सहित) और गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यम;
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधियों के वित्त पोषित दायित्व (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);
- आकस्मिक दायित्वों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ हुई हैं या ट्रिगर होने की ओर अग्रसर हैं)।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप में, एक व्यापक लोक ऋण कवरेज महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सकल ऋण एक उचित अवधारणा है क्योंकि यह ऋण दायित्वों के वित्तपोषण के भार को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तरल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता कम होती है, लेकिन ऋण स्थिरता के जोखिम (जैसे मुद्रा या परिपक्वता असमानता, और सामान्य सरकारी कार्यों के लिए कुछ न्यूनतम स्तर की संपत्ति की आवश्यकता होती है) को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में संशोधनों के अनुसार, ऋण में अब लोक ऋण (आंतरिक और वाह्य ऋण), लोक लेखे पर कुल बकाया दायित्व और 'केंद्र सरकार² द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी भी कॉर्पोरेट या अन्य इकाई के ऐसे वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जिन्हें सरकार को उस दिनांक के अंत में नगद शेष राशि से कम करते हुये ए.एफ.एस से चुकाना या कम करना होता है।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था, राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) आदि जैसे ऑफ-बजट वित्तीय संचालन के मामले नहीं थे, जहाँ मूलधन और / या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।

² यू के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, "कुल बकाया ऋण/दायित्व" में मात्र राज्य के समेकित निधि तथा लोक लेखे के दायित्व शामिल हैं।

1.7 निष्कर्ष

- 2017-18 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,978 करोड़ था जो 2018-19 के दौरान थोड़ा बेहतर होकर ₹ 980 करोड़ हो गया। राजस्व घाटा 2019-20 में और बढ़ गया और ₹ 2,136 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे में सुधार होकर ₹ 1,114 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हुआ। चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 4,128 करोड़ था (स रा घ उ का 1.63 प्रतिशत)। आस्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का गैर-हस्तांतरण, आदि के कारण राजस्व अधिशेष को ₹ 479 करोड़ (11.60 प्रतिशत) से अधिक दर्शाया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ (स रा घ उ का 1.47 प्रतिशत) जो वर्ष 2020-21 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष के कारण राजकोषीय घाटे में सुधार आया। आस्थगित देयता, ब्याज दायित्व का अहस्तांतरण आदि के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 243 करोड़ (6.50 प्रतिशत) कम दर्शाया गया था।

1.8 संस्तुतियाँ

- *उत्तराखण्ड सरकार चालू वर्ष (2021-22) के दौरान राजस्व अधिशेष हो गई है और आगामी वर्षों में इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अपनी वर्तमान देनदारियों के निर्वहन में उचित कदम उठा सकती है और इन्हें आस्थगित न किया जाए ताकि सही वित्तीय स्थिति को दर्शाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमा पर ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए।*

अध्याय-2
राज्य के वित्त

अध्याय-2

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय पंच-वर्षीय अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे के लेन-देन, की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

2.1 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तन के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियों में 12.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियों में 18.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ स्वयं की करेत्तर प्राप्तियों में 33.92 प्रतिशत की कमी हुई। ➤ केंद्रीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश में 50.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
राजस्व व्यय में 4.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सहायता अनुदान पर व्यय में 20.29 प्रतिशत की कमी हुई।
पूँजीगत व्यय में 15.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 43.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 16.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 8.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 813.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 26.09 प्रतिशत की कमी हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 23.64 प्रतिशत की कमी हुई। ➤ लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 15.92 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 10.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक लेखा संवितरण में 12.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना वर्ष 2020-21 के आँकड़ों से करती है जबकि **चार्ट-2.1** एवं **2.2** वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशतता के रूप में “प्राप्ति कहाँ से आयी” तथा “कहाँ व्यय हुआ” का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2020-21 और 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,922.35	3,575.97	86.02
	राजस्व प्राप्तियाँ	38,204.36	43,056.99	12.70
	विविध पूँजीगत प्राप्ति	0.20	0.00	-100.00
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	23.05	17.08	-25.90
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	6,865.10	4,087.85	-40.45
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	452.41	-314.67	-169.55
	आकस्मिकता निधि (निवल)	-224.71	223.88	-199.63
	योग	47,242.76	50,647.10	7.21
उपयोग	राजस्व व्यय	37,091.03	38,928.95	4.96
	पूँजीगत व्यय	6,538.21	7,533.50	15.22
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	37.55	347.46	825.33
	आर बी आई के साथ अंतिम रोकड़ शेष	3,575.97	3837.19	7.30
	योग	47,242.76	50,647.10	7.21

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान समाहित हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भा स से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ:** कुछ लेन-देन, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना चार्ट-2.3 में दी गई है।

चार्ट-2.3: वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में प्राप्तियों की संरचना



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2017-22 के दौरान, स रा घ उ (जी एस डी पी) से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व की उत्प्लावकता प्रदान करती है। आगे, स रा घ उ (जी एस डी पी) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दी गई है।

तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्र) (₹ करोड़ में)	27,105	31,216	30,723	38,205	43,057
बजट अनुमान (ब अ) (₹ करोड़ में)	31,594	35,660	38,955	42,439	44,151
रा प्र की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.90	15.17	(-) 1.58	24.35	12.70
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	10,165	12,188	11,513	11,938	14,176
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	1,770	3,310	3,999	4,171	2,756
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 2.52	29.85	0.09	3.85	5.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,20,222	2,30,327	2,36,988*	2,34,660*	2,53,832*
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.86	4.59	2.89	-0.98	8.17
रा प्र/ब अ (प्रतिशत)	85.79	87.54	78.87	90.02	97.52
रा प्र/स रा घ उ (प्रतिशत)	12.31	13.55	12.96	16.28	16.96
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.69	3.31	NA	NA	1.55
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	NA	6.50	0.03	NA	0.63

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ (जी एस डी पी) के आँकड़े www.des.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सांख्यिकी विभाग) से प्राप्त किये गये हैं।


◆अनंतिम अनुमान, ◆संशोधित अनुमान और ♥अग्रिम अनुमान

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की लोच अथवा जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

चार्ट-2.4: स रा घ उ (जी एस डी पी) की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ



- राजस्व प्राप्तियों में 11.91 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ, 2017-18 में ₹ 27,105 करोड़ से 2021-22 में ₹ 43,057 करोड़ तक 58.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान गत वर्ष की तुलना राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,852 करोड़ (12.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश (₹ 3,337 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,238 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 692 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। यह वृद्धि आंशिक तौर पर राज्य के करेत्तर राजस्व में कमी (₹ 1,415 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई। हालाँकि, बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2017-18 में 85.79 प्रतिशत से 2021-22 में 97.52 प्रतिशत बढ़ गईं। यह विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय रूप से 7.5 प्रतिशत बढ़ गईं।

- 2021-22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 39.32 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान ने मिल कर 60.68 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 12.70 प्रतिशत (₹ 4,852 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी ओर राजस्व व्यय में केवल 4.96 प्रतिशत (₹ 1,838 करोड़) की वृद्धि हुई। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई।
- 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, स रा घ उ के सापेक्ष राज्य की राजस्व उत्पादकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन


केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, सहायता अनुदान में राज्यांश, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की मात्रा एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि पर निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

2017-22 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष राज्य के स रा घ उ में अंश **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2017-22 के स्वयं के कर राजस्व के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।

चार्ट-2.6: 2017-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि



वर्ष 2017-22 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका-2.4 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.4: 2017-22 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	प्रवृत्तियाँ
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	3,703	1,883	1,811	1,858	2,302	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,972	4,802	4,931	5,053	5,973	
राज्य आबकारी	2,262	2,871	2,727	2,966	3,258	
वाहनों पर कर	816	909	908	741	889	
निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क	882	1,015	1,072	1,107	1,488	
भू-राजस्व	24	34	24	17	40	
अन्य कर	506	674	40	196	226	
योग	10,165	12,188	11,513	11,938	14,176	
राज्य के स्वयं के कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	85.17	78.64	74.22	74.11	83.72	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	37.50	39.04	37.47	31.25	32.92	


स्रोत: वित्त लेख।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, 6.02 प्रतिशत वार्षिक औसत दर के साथ, 2017-18 में ₹ 10,165 करोड़ से 2021-22 में ₹ 14,176 करोड़ तक ₹ 4,011 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता वस्तु एवं सेवा कर (42.13 प्रतिशत), राज्य आबकारी (22.98 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (16.24 प्रतिशत) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (10.50 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,238 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 920 करोड़), और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 444 करोड़), निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 381 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 292 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 148 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, स्वयं के कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में पिछले पाँच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान 37.50 प्रतिशत से 32.92 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी) के अंतर्गत राजस्व का वास्तविक संग्रहण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5: अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए जी एस टी से पूर्व एवं एस जी एस टी से संग्रहण, आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन और राज्य के अनुमानित राजस्व के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त आई जी एस टी की क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व जो संरक्षित किया जाना है	जी एस टी पूर्व कर संग्रहण	एस जी एस टी संग्रहण	आई जी एस टी का अग्रिम विभाजन	कुल प्राप्त धनराशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	वृद्धि (+)/ कमी (-)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}	
अप्रैल 2021	907.478	7.59	382.36	160.69	550.64	0.00	356.838	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को कम राजस्व प्राप्त हुआ है।
मई 2021	907.478	1.98	215.42	88.14	305.54	0.00	601.938	
जून 2021	907.478	2.66	186.62	136.92	326.20	260.32	320.958	
जुलाई 2021	907.478	4.98	331.70	208.61	545.29	0.00	362.188	
अगस्त 2021	907.478	8.45	294.47	286.23	589.15	0.00	318.328	
सितम्बर 2021	907.478	10.19	262.44	150.36	422.99	349.37	135.118	
अक्टूबर 2021	907.478	-3.57	333.61	143.34	473.38	0.00	434.098	
नवम्बर 2021	907.478	3.35	323.66	190.04	517.05	270.27	120.158	
दिसम्बर 2021	907.478	11.13	286.15	116.75	414.03	0.00	493.448	
जनवरी 2022	907.478	17.66	344.34	395.84	757.84	288.45	-138.812	
फरवरी 2022	907.478	2.81	321.41	204.61	528.83	0.00	378.648	
मार्च 2022	907.478	3.69	310.60	299.04	613.33	306.61	-12.462	
योग	10,889.736	70.92	3,592.78	2,380.57	6,044.27	1,475.02	3,370.446	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

*स्तम्भ 6 में जीएसटी क्षतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबन्धित है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त हुई।

जी एस टी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्य के राजस्व में हुई किसी भी कमी को केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 10,889.74 करोड़ के संरक्षित राजस्व के सापेक्ष जी एस टी के अंतर्गत कुल राजस्व संग्रहण क्षतिपूर्ति सहित ₹ 3,370.45 करोड़ कम था। हालाँकि, एस जी एस टी के अंतर्गत गत वर्ष (₹ 5,053 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण (₹ 5,973 करोड़) में ₹ 920 करोड़ की वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान जी एस टी मुआवजे के एवज में

बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 3,333 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इस प्रकार राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा।

2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2022 को वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर एवं राज्य आबकारी के अंतर्गत ₹ 11,618.45 करोड़ राजस्व का बकाया था, जिसमें से ₹ 4,609.17 करोड़ (39.67 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक से लंबित था, जैसा कि तालिका-2.6 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.6: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष ²	तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		पाँच वर्षों से अधिक से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	11,821.59	11,457.98	3,968.17	4,495.01
राज्य आबकारी	NA	160.47	NA	114.16
योग	11,821.59	11,618.45	3,968.17	4,609.17

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

31 मार्च 2022 को वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में कुल बकाया राशि (₹ 11,457.98 करोड़) गत वर्ष (₹ 11,821.59 करोड़) की अपेक्षा ₹ 363.61 करोड़ कम थी जबकि पाँच वर्षों से अधिक से राजस्व बकाया गत वर्ष ₹ 3,968.17 करोड़ से बढ़कर (13.28 प्रतिशत) चालू वर्ष में ₹ 4,495.01 करोड़ हो गया। दोनों विभागों के संदर्भ में पाँच वर्षों से अधिक से लंबित राशि राज्य के वर्ष 2021-22 के कर राजस्व (₹ 14,176 करोड़) का 32.51 प्रतिशत थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि मंत्रिमण्डल के समक्ष एकबारगी निपटान हेतु एक प्रस्ताव रखा जा रहा है और अद्यतन स्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

² राज्य कर विभाग एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। निबंधन एवं पंजीकरण विभाग द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई (फरवरी 2022)।

निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु लम्बित होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.7 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.7: निर्धारण हेतु बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	2021-22 के दौरान निर्धारण के लिए लम्बित नये मामले	कुल बकाया निर्धारण	2021-22 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	68,846	11,825	80,671	79,781	890	98.90
वाणिज्यिक कर वस्तु एवं सेवा कर	0	4,175	4,175	3,564	611	85.36

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए मामलों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार की राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.8: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 पर लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता चले मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2022 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
मूल्य वर्धित कर	0	0	0	0	0	0
वस्तु एवं सेवा कर	0	765	765	511	138.09	254

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.9 में नीचे दिया है।

तालिका-2.9: 31 मार्च 2022 पर कर वापसी के प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जी एस टी		वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	65	40.78	953	2.14
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1247	411.62	1532	115.08
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	1164	419.19	1485	109.97
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर वापसी	132	18.90	0	0
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	16	14.31	1000	7.25

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान जी एस टी के अंतर्गत 1,247 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 419.19 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,164 प्रकरणों का निपटारा किया गया जबकि, वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 1,532 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 109.97 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,485 प्रकरणों का निपटारा किया गया।

2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान करेत्तर राजस्व संग्रहण का घटक-वार विवरण तालिका-2.10 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.10: 2017-18 से 2021-22 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	प्रवृत्तियाँ
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	439.81	480.86	396.75	506.41	575.01	
वाणिकी एवं वन्य जीव	312.20	368.73	410.16	512.27	511.55	
ब्याज प्राप्तियाँ	85.39	55.70	47.81	98.52	403.55	
शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति	108.85	81.48	198.83	259.59	268.57	
शहरी विकास	1.38	1.22	35.57	15.08	190.98	
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	84.14	99.57	183.84	168.75	177.85	
विध्युत	286.21	186.67	0.30	70.35	111.23	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए योगदान एवं वसूली	47.97	1,714.70	2,492.90	2,109.78	61.57	
लाभांश एवं लाभ	22.69	18.69	14.08	41.02	35.05	
अन्य	380.89	302.26	218.57	388.80	420.60	
योग	1,769.53	3,309.88	3,998.81	4,170.57	2,755.96	
राज्य के स्वयं से राजस्व में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	14.83	21.36	25.78	25.89	16.28	
कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	6.53	10.60	13.02	10.92	6.40	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का छः प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक रहा।

2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



2.3.4.1 केन्द्रीय कर अंतरण

चौदहवें वि आ ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2015-16 से केन्द्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों से निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV वि आ) द्वारा अंश को बढ़ाकर क्रमशः 1.104 प्रतिशत और 1.118 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.11 में नीचे दिया है।

तालिका-2.11: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश: वास्तविक हस्तांतरण के सापेक्ष वित्त आयोग के अनुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग प्रतिवेदन में प्रक्षेपण	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5.= (4-3)
2012-13	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की	3,160.00	3,272.88	112.88
2013-14	निवल आय का 1.120 प्रतिशत और सेवा कर की निवल	3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15	आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की	6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17	निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य	7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18	सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत	8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19	(चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20		10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	9,441.00	6,568.72	(-) 2,872.28
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	7,363.05 ³	9906.25	2543.20

स्रोत: चौ वि आ एवं वित्त लेखे।

राज्य को वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केन्द्रीय कर के अन्तरण का विवरण तालिका-2.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.12: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
निगम कर	2,169.91	2,786.13	2,353.14	1,981.20	2,985.75
सीमा शुल्क	715.1	567.89	437.46	349.64	676.32
आय कर	1,832.34	2,051.86	1,843.85	2,031.05	2,938.64
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	00	4.14	4.37	4.69	9.47
सेवा कर	804.25	73.45	00	28.21	127.78
संपदा कर	-0.07	1.02	0.1	00	0.62
संघ उत्पाद शुल्क	747.5	377.39	304.15	220.89	337.81
आय एवं व्यय पर अन्य कर	00	14.51	00	00	0.02
सी जी एस टी	100.52	1,977.40	1,958.47	1953.04	2,829.84
आई जी एस टी	715.36	157.8	00	00	00
कुल केन्द्रीय करों का अंतरण	7,084.91	8,011.59	6,901.54	6,568.72	9,906.25
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	10.50	13.08	-13.86	-4.82	50.81
केंद्रीय कर अंतरण की राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता	26.14	25.67	22.46	17.19	23.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

³ राज्य को कर हस्तांतरण ₹ 658591*1.118% = ₹ 7,363.05

पाँच वर्ष की अवधि (2017-18 से 2021-22) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2017-18 में ₹ 7,085 करोड़ से वर्ष 2021-22 में ₹ 9,906 करोड़ तक 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूर्व वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान, इसमें ₹ 3338 करोड़ (50.81 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 1,005 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 327 करोड़), आय कर (₹ 908 करोड़), सेवा कर (₹ 100 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 117 करोड़) तथा सीजीएसटी (₹ 877 करोड़) अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों का अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 23.01 प्रतिशत था। आगे, जैसा कि तालिका-2.11 में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्त आयोगों (XIII, XIV एवं XV) की अनुशंसा के अनुसार केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान, केन्द्रीय करों में अंश, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 2,543.20 करोड़ अधिक था।

2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आयोजनेत्तर अनुदान	714	*	*	*	*
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	1,621	*	*	*	*
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	76	*	*	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,391	*	*	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	4,966	4,477	6,166	5,219
वित्त आयोग अनुदान	-	485	975	6,865	9,424
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,283	2,256	2,857	2,496	1,576
कुल	8,085	7,707	8,309	15,527	16,219
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	30	(-) 5	8	87	4
राजस्व प्राप्त से जी आई ए की प्रतिशतता	30	25	27	41	38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

*आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर अनुदान का नामकरण वर्ष 2018-19 से समाप्त करने के बाद से कोई आँकड़े नहीं हैं और इन्हें सी एस एस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा परिवर्तित किया गया।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 692 करोड़ (4.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 37.67 प्रतिशत था। 2021-22 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 9,424 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व

घाटा अनुदान (₹ 7,772 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 565 करोड़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 750 करोड़) और राज्य आपदा निवारण कोष (₹ 187 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 58.10 प्रतिशत था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 5,219 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 32.18 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 1,475 करोड़) थी।

2.3.4.3 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसाकि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है XV वि आ अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: XV वि आ की अनुसंशा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया अनुदान
(₹ करोड़ में)

अंतरण	XV वि आ की अनुसंशा	वर्ष के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त
	2021-22	2021-22
1. स्थानीय निकाय	634.00	565.00
(अ) पी आर आई को अनुदान	425.00	418.70
(ब) यू एल बी को अनुदान	209.00	146.30
2. राजस्व घाटा अनुदान	7,772.00	7,772.00
3. आपदा मोचन निधि (केंद्रान्श)	937.00	937.00
4. पोषण के लिए अनुदान	70.00	00
5. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	150.12	150.10
महायोग	9,563.12	9,424.10

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को पी आर आई और यू एल बी दोनों में पंद्रहवें वि आ की अनुसंशा से कम अंश प्राप्त हुआ। हालाँकि, राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान, आपदा मोचन निधि और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु वित्त आयोग की अनुसंशा अनुसार पूर्ण अंश प्राप्त हुआ। तथापि, राज्य को वर्ष के दौरान पोषण के लिए पंद्रहवें वि आ द्वारा अनुसंसित ₹ 70 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

2.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.15 में निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ को दर्शाया गया है।

तालिका-2.15: निवल पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,560	7,302	6,167	9,810	7,490
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	00	00	00	0.20	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	34	27	19	23	17
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,805	5,218	4,017	7,178	4,088
आंतरिक ऋण	5,731	5,157	3,994	4,178	458
वृद्धि दर	8.91	(-) 10.02	(-) 22.55	4.61	(-) 89.04
भा स से ऋण एवं अग्रिम (निवल)	74	61	23	3,000	3,630
वृद्धि दर	(-) 33.33	(-) 17.57	(-) 62.30	12,943.48	21
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	15.77	(-) 3.34	(-) 15.49	59.19	(-) 23.64
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 2.86	(-) 20.59	(-) 29.63	22.11	(-) 26.72
स रा घ उ की वृद्धि दर	12.86	4.59	2.89	(-) 0.98	8.17
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.67	(-) 3.41	(-) 15.54	59.08	(-) 23.65
कुल प्राप्तियों से पूँ प्रा की प्रतिशतता	21.81	18.96	16.72	20.43	14.82

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

पूँजीगत प्राप्तियों में 2017-18 में ₹ 7,560 करोड़ से 2021-22 में ₹ 7,490 करोड़ तक ₹ 70 करोड़ (एक प्रतिशत) की कमी हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,320 करोड़ (23.65 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से आंतरिक ऋण में कमी (₹ 3,720 करोड़) के कारण हुई जो कि भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि (₹ 630 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई। 2021-22 के दौरान भारत सरकार के ऋण में वृद्धि जी एस टी मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 1,017 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण में वृद्धि के कारण हुई थी। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रहण से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा।

लोक ऋणों की प्राप्तियां भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों की संरचना करती हैं और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2017-22 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों (₹ 38,209 करोड़) में से 31.15 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 11,903 करोड़) में किया गया तथा शेष 68.85 प्रतिशत का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन

संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया जाता है। 2021-22 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक को तालिका-2.16 में दिया गया है।

तालिका-2.16: राज्य के स्वयं के संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता		
					पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	12,520	12,754	14,122	14,176	13.23	11.15	0.38
करेत्तर राजस्व	3,611	3,294	2,631	2,756	-23.68	-16.33	4.75

स्रोत: पं वि आ की रिपोर्ट, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पं वि आ के अनुमान, बजट आकलन एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 1,656 करोड़, ₹ 1,422 करोड़ एवं ₹ 54 करोड़ अधिक रहा।

वर्ष 2021-22 के दौरान करेत्तर राजस्व (एम टी आर) पं वि आ अनुमानों और ब आ की तुलना में क्रमशः ₹ 855 करोड़ और ₹ 538 करोड़ कम था। तथापि, यह एम टी एफ पी एस के आंकलन के सापेक्ष ₹ 125 करोड़ अधिक था। इस प्रकार स्वयं के कर राजस्व में राज्य, एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था।

2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत अवसरंचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

पूँजीगत व्यय: वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य, जिसे सेवा के लिए खोला न गया हो, के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो पूँजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व व्यय: वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु व्य)	35,074	38,563	38,399	43,667	46,810
राजस्व व्यय (रा व्य)	29,083	32,196	32,859	37,091	38,929
पूँजीगत व्यय (पूँ व्य)	5,914	6,184	5,414	6,538	7,534
ऋण एवं अग्रिम	77	183	126	38	347
स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/स रा घ उ	15.93	16.74	16.20	18.61	18.44
राजस्व व्यय/स रा घ उ	13.21	13.98	13.87	15.81	15.33
पूँजीगत व्यय/स रा घ उ	2.69	2.68	2.28	2.79	2.97
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	0.03	0.08	0.05	0.02	0.14

स्रोत: वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 35,074 करोड़ से 33.46 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 46,810 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह 7.20 प्रतिशत बढ़ा। स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय 2017-18 से 2019-20 के दौरान 15.93 प्रतिशत से 16.74 प्रतिशत के बीच रहा, लेकिन वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय (12.88 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय (20.76 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण यह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 18.61 प्रतिशत हो गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह पिछले वर्ष से कुछ कम होकर 18.44 प्रतिशत रहा।


चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि चार्ट-2.10 वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचनाओं को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों में अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचना

(प्रतिशत में)



गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुए व्यय से कुल व्यय बना है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय ₹ 46,810 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.18 में दर्शाया गया है।


तालिका-2.18: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश

(प्रतिशत में)

(प्रतिशत में) मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएँ	37.67	36.25	37.00	35.68	35.79
सामाजिक सेवाएँ	34.26	34.51	36.99	38.24	38.10
आर्थिक सेवाएँ	23.88	25.46	21.54	21.65	22.82
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम)	4.19	3.78	4.47	4.43	3.29

चार्ट-2.11 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपरोक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2021-22 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अंशों में आंशिक वृद्धि हुई थी। हालाँकि, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंशों में चालू वर्ष के दौरान कमी हुई।

2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (2017-22 के दौरान 82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसके अनुपात तथा स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका-2.19 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई है, जबकि चार्ट-2.13 में 2021-22 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।


तालिका-2.19: राजस्व व्यय-आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु व्य)	35,074	38,563	38,399	43,667	46,810
राजस्व व्यय (रा व्य)	29,083	32,196	32,859	37,091	38,929
रा व्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.08	10.70	2.06	12.88	4.96
राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में	82.92	83.49	85.57	84.94	83.16
रा व्य/स रा घ उ (प्रतिशत)	13.21	13.98	13.87	15.81	15.34
रा व्य रा प्रा की प्रतिशतता के रूप में	107.30	103.14	106.95	97.09	90.41
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	1.17	2.33	0.71	-13.14	0.61
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	1.69	0.71	-1.30	0.53	0.39

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-2.12: 2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.13: 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)



वर्ष 2021-22 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता कम थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 1,838 करोड़ (4.96 प्रतिशत) की नाममात्र बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय मध्य अवधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) में दिये गए आकलन (₹ 41,466 करोड़) के सापेक्ष ₹ 2,537 करोड़ कम था।

2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.20, गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (50 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है। सकारात्मक विचलन के साथ कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ (i) मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत ट्यूबवेल और छोटी नहर

(लिफ्ट) का रखरखाव एवं मरम्मत तथा झीलों से जुड़ी नहरों, झीलों, नालियों का रखरखाव एवं मरम्मत (ii) सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार (iii) निर्वाचन के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार (iv) नागर विमानन के अन्तर्गत एयरोड्रोम (विमान पत्तन) तथा (v) बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास के अन्तर्गत सिविल निर्माण (बाढ़ नियंत्रण) कार्य थीं।

तालिका-2.20: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष		2020-21	2021-22	विचलन (प्रतिशतता)
2015	चुनाव	37.34	114.74	77.40 (207.31)
2041	वाहनों पर कर	0.20	0.48	0.28 (138.00)
2217	शहरी विकास	629.72	100.87	-528.85 (-83.98)
2220	सूचना तथा प्रचार	106.88	383.84	276.96 (259.14)
2701	मध्यम सिंचाई	30.66	125.61	94.95 (309.63)
2702	लघु सिंचाई	122.90	39.93	-82.97 (-67.51)
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	8.00	13.72	5.72 (71.52)
2801	विद्युत	11.38	0.15	-11.23 (-98.70)
2810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	9.17	13.81	4.64 (50.64)
3053	नागर विमानन	13.99	24.53	10.54 (75.33)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

उपरोक्त तालिका मुख्य विचलन (50 प्रतिशत से अधिक) वाले लेखा शीर्षों को दर्शाती है। तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष के दौरान लघु सिंचाई और विद्युत के अन्तर्गत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आगे, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान व्यय में कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं देखा गया। इन शीर्षों पर वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय का लगभग 40.20 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष 2021-22 के दौरान 37.41 प्रतिशत व्यय किया गया था।

2.6.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। वचनबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी वचनबद्ध मदों में चला जाता है।

तालिका-2.21 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वचनबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता चार्ट-2.15 में दी गई है।


तालिका-2.21: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


वचनबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	10,496	11,525	11,714	11,755	12,417
ब्याज भुगतान	3,987	4,475	4,504	4,773	4,939
पेंशन पर व्यय	5,033	5,396	5,507	6,168	6,364
सब्सिडी	186	174	35	139	145
योग	19,702	21,570	21,760	22,835	23,865
राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.72	36.92	38.13	30.77	28.84
ब्याज भुगतान	14.71	14.34	14.66	12.49	11.47
पेंशन पर व्यय	18.57	17.29	17.92	16.14	14.78
सब्सिडी	0.69	0.56	0.11	0.36	0.34
योग	72.69	69.10	70.83	59.77	55.43
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.09	35.80	35.65	31.69	31.90
ब्याज भुगतान	13.71	13.90	13.71	12.87	12.69
पेंशन पर व्यय	17.31	16.76	16.76	16.63	16.35
सब्सिडी	0.64	0.54	0.11	0.37	0.37
योग	67.75	67.00	66.22	61.56	61.31
स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	103.26	94.56	101.75	98.47	87.59
ब्याज भुगतान	39.22	36.72	39.12	39.98	34.84
पेंशन पर व्यय	49.51	44.27	47.83	51.67	44.89
सब्सिडी	1.83	1.43	0.30	1.16	1.02
योग	193.82	176.98	189.00	191.28	168.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

चार्ट-2.14: कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध एवं गैर-वचनबद्ध व्यय के अंश



चार्ट-2.15: राजस्व प्राप्तियों और व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश



वचनबद्ध व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में 2017-18 में 68 प्रतिशत से 2021-22 में 61 प्रतिशत तक कमी आई। इस प्रकार से विकास और रखरखाव कार्यों हेतु ज्यादा निधियाँ उपलब्ध थीं। आगे, राज्य के केंद्रीय करों एवं शुल्कों में अधिक अंश प्राप्ति के कारण वचनबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में 2017-18 में 73 प्रतिशत से 2021-22 में 55 प्रतिशत तक कम हुआ।

2.6.2.1 अन्य वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अन्य वचनबद्ध व्यय दिव्यांगों, बच्चों, औरतों और वृद्ध कमजोर एवं निराश्रितों के कल्याण के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेन्शन पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों के भुगतान पर व्यय जिसमें कि बिजली पर खर्च, जल प्रभार और दूरभाष प्रभार सम्मिलित है, भी अन्य वचनबद्ध व्यय हैं। निम्न तालिका पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2021-22 तक अन्य वचनबद्ध व्यय को दर्शाती है:

तालिका-2.22: अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,273.25	1,489.73	1,607.08	1,671.37	1,814.44
उपयोगिता बिलों का भुगतान	268.08	315.04	271.84	290.58	344.87
योग	1,541.33	1,804.77	1,878.92	1,961.95	2,159.31
राजस्व प्राप्ति (रा. प्रा.) के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.70	4.77	5.23	4.37	4.21
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.99	1.01	0.88	0.76	0.80
योग	5.69	5.78	6.11	5.13	5.01
राजस्व व्यय (रा.व.) के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.38	4.63	4.89	4.51	4.66
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.92	0.98	0.83	0.78	0.89
योग	5.30	5.61	5.72	5.29	5.55

स्वयं कर राजस्व के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	12.52	12.22	13.96	14.00	12.80
उपयोगिता बिलों का भुगतान	2.64	2.58	2.36	2.43	2.43
योग	15.16	14.80	16.32	16.43	15.23


जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान अन्य वचनबद्ध व्यय बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के राजस्व प्राप्त एवं राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में पाँच प्रतिशत से छः प्रतिशत के मध्य रहा। स्वयं के कर राजस्व के रूप में अन्य वचनबद्ध व्यय वर्ष 2020-21 में 16.43 प्रतिशत से आंशिक रूप से कम होकर वर्ष 2021-22 में 15.23 प्रतिशत हो गया। जबकि, अवधि 2017-22 के दौरान यह 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के मध्य रहा।

2.6.2.2 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन के अंश में आंशिक रूप से बढ़ोत्तरी हुई। गत वर्ष में थोड़े बदलाव (0.21 प्रतिशत) के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 31.90 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, यह 2017-18 में ₹ 10,496 करोड़ से ₹ 1,921 करोड़ (18 प्रतिशत) बढ़ कर 2021-22 में ₹ 12,417 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 12,417 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 15,003 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,586 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 102.33 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,181.65 करोड़ वेतन एवं भत्तों एवं अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना नीचे चार्ट-2.16 में दी गई है।

चार्ट-2.16: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की राशि की तुलना



2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति के बाद गत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में राज्य में कर्मचारियों की संख्या 5490 (2.89 प्रतिशत) बढ़ गयी। परिणामस्वरूप, 2021-22 के दौरान वेतन पर व्यय ₹ 662 करोड़ (5.63 प्रतिशत) बढ़ गया। इसी के साथ ही 2017-22 के दौरान वेतन व्यय में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गयी।

2.6.2.3 ब्याज भुगतान

वर्ष 2020-21 में ब्याज भुगतान ₹ 4,773 करोड़ से ₹ 166 करोड़ (3.48 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2021-22 में ₹ 4,939 करोड़ हो गया, जोकि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹ 288 करोड़ एवं राज्य भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान ₹ 35 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ जोकि राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹ 75 करोड़, अन्य देयताओं पर ब्याज ₹ 45 करोड़ तथा अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज ₹ 32 करोड़ के घटने से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 4,124 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि, आदि, (₹ 692 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 70 करोड़) और अन्य दायित्वों (₹ 53 करोड़) पर ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सा भ नि पर ब्याज के रूप में ₹ 115.58 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी सा भ नि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में तालिका-2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.23: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन			
		बजट		एम टी एफ पी एस	
		अनुमान	विचलन (प्रतिशत)	अनुमान	विचलन (प्रतिशत)
2021-22	4,939	6,053	1,114 (18.40)	5,953	1014 (17.03)

स्रोत: चौ वि आ रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

2.6.2.4 पेंशन

वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 6,364 करोड़ था जोकि राजस्व प्राप्तियों का 14.78 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष 2020-21 की अपेक्षा यह 3.18 प्रतिशत

(₹ 196 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट (6400 करोड़) में किए गए अनुमान से 36 करोड़ कम एवं तथा एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (6345 करोड़) ₹ 19 करोड़ अधिक था। वेतन की तुलना में पेंशन भुगतान में 2017-18 में 47.95 प्रतिशत से 2021-22 में 51.25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। हालाँकि, जैसा कि तालिका-2.24 में दिया गया है, यह 2020-21 में 52.47 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 2021-22 में 51.25 प्रतिशत हो गया।

तालिका-2.24: वेतन के प्रतिशतता के रूप में पेंशन भुगतान

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पेंशन भुगतान (₹ करोड़ में)	5,033	5,396	5,507	6,168	6,364
वेतन पर भुगतान (₹ करोड़ में)	10,496	11,525	11,714	11,755	12,417
वेतन के सापेक्ष पेंशन भुगतान का प्रतिशत	47.95	46.82	47.01	52.47	51.25

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दायित्व

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जोकि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का योगदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल योगदान ₹ 1,185.73 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 478.20 करोड़ और सरकार का योगदान ₹ 707.53 करोड़) था। सरकार द्वारा ₹ 1,185.73 करोड़, लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का योगदान ₹ 38.05 करोड़ आधिक्य में था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,241.72 करोड़ हस्तांतरित किया गया। बकाया शेष धनराशि, ₹ 139.20 करोड़ (2020-21) के सापेक्ष, ₹ 83.21 करोड़ (2021-22) एन एस डी एल को हस्तांतरित होना बाकी है। योजना के अंतर्गत, अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहित, बेमेल एवं अहस्तांतरित राशि सरकार के बकाया दायित्व को प्रदर्शित करती है।

2.6.2.5 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में आंशिक वृद्धि हुई थी जैसाकि तालिका-2.25 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों से सब्सिडी की प्रतिशतता

में 2017-18 में 0.69 प्रतिशत से 2019-20 में 0.11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आयी परंतु वर्ष 2020-21 में यह पुनः बढ़कर 0.36 प्रतिशत हो गई। हालांकि, विगत वर्ष के सापेक्ष 2021-22 में इसमें नाममात्र वृद्धि ₹ 6 करोड़ (4.32 प्रतिशत) हुई।

तालिका-2.25: 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	186	174	35	139	145
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.69	0.56	0.11	0.36	0.34
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.64	0.54	0.11	0.37	0.37

2021-22 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 45 करोड़), खाद्य भंडारण और भंडारगृह के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 41 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 31 करोड़), पौली हाउस विविधिकरण एवं स्प्रिंकलर वॉटर पम्प योजना (₹ 7 करोड़), मुख्य मंत्री महिला स्वयं सहायता समूह (₹ 5 करोड़), और खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (₹ 5 करोड़) थी। 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने अपने बजट में ₹ 230 करोड़ एवं संशोधित अनुमान में ₹ 145 करोड़ सब्सिडी का आकलन किया था।

अंतर्निहित सब्सिडी

तालिका-2.26: 2017-22 के दौरान अंतर्निहित सब्सिडी पर व्यय

अंतर्निहित सब्सिडी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
फसल बीमा	2.30	3.22	3.99	1.89	2.16
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता	7.20	24.00	45.19	123.90	85.70
योग	9.50	27.22	49.18	125.79	87.86

उपरोक्त तालिका-2.26 दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा 2017-18 से 2021-22 के दौरान फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत फसल बीमा योजना के लिए ₹ 13.56 करोड़ की राशि अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में भी दी गयी और 2017-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों के अन्तर्गत सड़क परिवहन को वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों एवं पहाड़ी रास्तों में बस संचालन के कारण हुये नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 285.99 करोड़ की राशि सहायता के रूप में दी गयी।

2.6.2.6 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.27 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.27: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	464.93	544.70	573.62	1,531.82	901.68
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	753.33	717.07	902.05	976.91	734.27
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	715.21	742.25	814.62	955.29	655.97
4.	विकास एजेंसियाँ	546.93	555.82	494.84	539.27	483.71
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	252.98	436.19	353.03	552.66	630.04
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	11.78	11.69	13.30	9.17	13.81
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण	476.94	593.57	585.49	915.03	902.30
8.	सहकारी समितियाँ	3.73	2.67	1.55	15.18	14.26
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	38.77	41.80	51.17	55.77	70.97
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	46.92	51.12	47.27	56.38	64.19
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	232.65	216.54	238.66	250.85	178.48
12.	अन्य संस्थान	119.64	552.36	724.60	582.44	1208.77
योग		3,663.81	4,465.78	4,800.18	6,440.77	5858.45
रा व्य के प्रतिशतता के अनुसार सहायता		12.60	13.87	14.61	17.36	15.05

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 541.96 करोड़ की कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 24 प्रतिशत लेखांकित की गई।

चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत राशि हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली राशि और वास्तविक हस्तांतरित राशि तालिका-2.28 में दी गई है।

तालिका-2.28: हस्तांतरित की जाने वाली राशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	10,165	12,188	11,513	11,938	14,176
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे रा स्व क रा का 11 प्रतिशत)	1,118.15	1,340.68	1,266.43	1,313.18	1,559.36
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	1,468.54	1,459.32	1,716.67	1,932.2	1,390.24
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	14.45	11.97	14.91	16.19	9.81

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-20 के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक हस्तांतरण 12 से 16 प्रतिशत की सीमा में था जो कि 2021-22


के दौरान महत्वपूर्ण रूप से घटकर 9.81 प्रतिशत हो गया। 2021-22 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राशि से कम था।

2.6.3 पूँजीगत व्यय


पूँजीगत व्यय प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।

कुल पूँजीगत व्यय 2017-18 में ₹ 5,914 करोड़ से 2021-22 में ₹ 7,534 करोड़ तक बढ़ा है। चालू वर्ष में यह ₹ 996 करोड़ (15.23 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किए गए अनुमान (₹ 7,112 करोड़) के सापेक्ष ₹ 422 करोड़ अधिक था लेकिन बजट में किए गए अनुमान (₹ 8,973 करोड़) के सापेक्ष, ₹ 1,439 करोड़ कम था। चार्ट-2.17 में पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, बजट आवंटन के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.18 में स रा घ उ और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.17: 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.18: पूँजीगत व्यय की स रा घ उ व कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



2.6.3.1 पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव

तालिका-2.29 में गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी अथवा कमी (50 प्रतिशत से अधिक) को दिखाने वाले प्रकरण दर्शित हैं।

तालिका-2.29: 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय	2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
4408 खाद्य भंडारण तथा भंडारग्रह पर पूँजीगत परिव्यय	71.29	493.97	422.68 (592.90)
4859 दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	2.86	10.68	7.82 (273.43)
5053 नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	3.61	12.98	9.37 (259.56)
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.75	--
4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	172.94	313.19	140.25 (81.10)
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय	42.09	73.80	31.71 (75.34)
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	648.18	1059.87	411.69 (63.51)
4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	4.19	6.84	2.65 (63.25)
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	21.24	34.60	13.36 (62.90)
4851 ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.25	3.28	(-) 3.97 (-54.76)
4405 मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	4.30	1.30	(-) 3.00 (-69.77)
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	(-) 2.65	-0.05	2.60 (98.11)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता वृद्धि/कमी हैं।

मुख्य योजना जिसमें सारभूत वृद्धि चिन्हित हुई वह केंद्र योजित/केंद्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत खाद्य भंडारण तथा भंडागारण पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत खरीद एवं आपूर्ति योजना थी।

2.6.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं होती है। ऐसे ही अनुभवों ने दिखाया है कि चीनी मिलों, वित्त निगमों आदि क्षेत्रों के घाटे में चल रहे निगमों तथा अन्य खराब तरीके से चल रहे निकायों को दिये गए ऋणों को अनिवार्यता बट्टे खाते में डालना पड़ता है। ऐसे वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, में किये गये निवेश तथा उनको दिये गए ऋण टिकाऊ नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2022 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 3,818.94 करोड़ का निवेश किया था। 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 35.05 करोड़ प्रतिफल अर्जित किया। तालिका-2.30 में 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-2.30: निवेश का विवरण और निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिफल/ उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत तक निवेश	3,209.24	3,402.45	3,534.95	3,683.54	3,818.94
निवेश पर प्रतिफल	22.69	18.69	14.08	40.02	35.05
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.71	0.55	0.40	1.09	0.92
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.27	8.15	7.26	6.83	6.55
ब्याज दर और प्रतिफल (प्रतिशत) के बीच अंतर	7.56	7.60	6.86	5.74	5.63
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	242.62	258.59	242.50	211.44	215.01

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य था और निवेश के (ऐतिहासिक लागत पर) 0.40 प्रतिशत से 1.09 प्रतिशत के बीच था। गत वर्ष में 1.09 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 0.92 प्रतिशत हो गया। जबकि, सरकार ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर ब्याज का भुगतान 7.41 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से किया।

(ii) शेष राशि का समाधान

राज्य के साक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार, अदत्त प्रतिभूति, अंश तथा ऋण के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रासाक्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। तालिका-2.31 में दिनांक 31 मार्च 2022 को अंश, ऋण एवं प्रतिभूति के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.31: वित्त लेखों के सापेक्ष रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार अंश, ऋण एवं प्रतिभूति के बकायों के आकड़े

(₹ करोड़ में)

के सापेक्ष बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	एस पी एस ई के आँकड़ों के अनुसार	अंतर
अ	ब	स	(ब-स)
अंश	3,818.94	3,856.24	-37.30
ऋण	635.63	969.83	-334.20
प्रतिभूति	123.46	318.71	-195.25

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में भिन्नता पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। प्रारम्भिक रूप से यह भिन्नता महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में राजकीय लेखों में वाउचर के आधार पर निवेश लेन-देन की प्रविष्टि एवं व्यक्तिगत सा क्षे उ से प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये विवरण के आधार पर जनित हुई। राज्य सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में किए गए निवेश में भिन्नता का समायोजन किया जा रहा है।

(iii) भारत सरकार लेखांकन मानक - 2 का अनुपालन न होना

उत्तराखण्ड सरकार की संस्थाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में निधियों का आवंटन एवं संचालन राजस्व क्षेत्र के बजाए पूँजीगत शीर्ष में जारी है। वर्ष 2021-22 के दौरान दो पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 25.57 करोड़ के ऐसे अनुदान दिये गए और लेखांकित किए गए थे। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक (भा स ले मा)-2 का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर परिसंपत्ति के सृजन के उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान से व्यय को सरकार की वित्तीय विवरणों में पूँजीगत लेखाशीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा। यह विशेष तौर पर इस तथ्य के कारण है कि पूँजीगत परिसंपत्तियाँ सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की पुस्तकों में अभिलेखित की जाती हैं न कि सहायता अनुदान प्रदान करने वाले की अर्थात् सरकार की।


तालिका-2.32 राज्य द्वारा राजस्व के बजाय पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में जी आई ए के वर्गीकरण की मात्रा पर प्रकाश डालती है। **चार्ट-2.19** 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा भा स ले म-2 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के प्रभाव को पूर्ण रूप से दर्शाता है क्योंकि 2017-18 से 2019-20 के दौरान, राजस्व घाटे को कम करके आंका गया था जबकि 2020-21 और 2021-22 में राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया था। उक्त अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय को भी उस सीमा तक अधिक बताया गया था। व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व अधिकता ₹ 6.36 (26.00 - 19.64) करोड़ अधिक बताया गया।

तालिका-2.32: भा स ले मा-2 के गैर-अनुपालन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत व्यय	5,914	6,184	5,414	6,538	7,534
सहायता अनुदान को पूँजीगत व्यय के रूप में इन्द्राज किया गया	48	47	46	80	26
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान की इन्द्राज करने की प्रतिशतता	0.81	0.76	0.85	1.22	0.35
राज्य का राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128
वास्तविक राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+), यदि सहायता अनुदान से व्यय को रा व्य के रूप में माना जाता है	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182	(+) 1,034	(+) 4,102

चार्ट-2.19: वास्तविक राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)



(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य सरकार ने बहुत संस्थाओं/ संगठनों को ऋण प्रदान किए हैं। तालिका-2.33, 31 मार्च 2022 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ पाँच वर्षों 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के ब्याज प्राप्ति तथा ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.33: 2017-22 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,726.65	1,769.97	1,926.54	2,033.40	2,047.91
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	76.83	183.48	125.78	37.56	347.45
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	33.51	26.91	18.92	23.05	17.08
लंबित ऋण का समापन बकाया	1,769.97	1,926.54	2,033.40	2,047.91	2,378.28
निवल परिवर्धन	43.32	156.57	106.86	14.51	330.37
प्राप्त ब्याज	0.08	1.13	25.65	58.78	359.22

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	0.005	0.06	1.33	2.89	17.54
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर (प्रतिशत)	8.27	8.15	7.26	6.83	6.55
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्त के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.27	8.09	5.93	3.94	-10.99

31 मार्च 2022 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,378.28 करोड़ थी। ऋणों के संवितरण की धनराशि 2020-21 में ₹ 37.56 करोड़ से 825.05 प्रतिशत बढ़ कर वर्ष 2021-22 में ₹ 347.45 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा क्षेत्र ₹ 289.73 करोड़ (83.39 प्रतिशत) तत्पश्चात परिवहन क्षेत्र ₹ 57.38 करोड़ (16.51 प्रतिशत) था।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2020-21 में ₹ 23.05 करोड़ से ₹ 5.97 करोड़ घट कर वर्ष 2021-22 में ₹ 17.08 करोड़ हो गई। तथापि, इस संबंध में ब्याज प्राप्ति वर्ष 2020-21 में ₹ 58.78 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से ₹ 300.44 करोड़ (511.13 प्रतिशत) बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 359.22 करोड़ हो गयी।

कुल लंबित ऋणों की जाँच में पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में (मार्च 2022 तक) चार क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जैसाकि तालिका-2.34 में वर्णित किया गया है और एक क्षेत्र (परिवहन) को पुनर्भुगतान न किये जाने के बावजूद अतिरिक्त ऋण दिया गया था। विगत वर्षों में संपूर्ण लंबित बकाया बढ़ा है।

तालिका-2.34: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	47.89	42.09	42.09	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	899.79	1,011.24	1,119.57	1,117.47	1,116.47
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	148.53	153.80	153.80	158.09	215.47
योग		1,606.64	1,618.84	1,729.76	1,838.09	1,896.55

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 771.10 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया जबकि ₹ 119.47 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2017-18 में 1.86 प्रतिशत से 2021-22 में 0.71 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 17.08 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण (₹ 2,047.91 करोड़) का 0.83 प्रतिशत थी।

चूँकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाते सही स्थिति दर्शाते हैं, इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में लेने तथा इन्हें राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करने पर विचार कर सकती है।

(v) **अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी**

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। आगे, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2021-22 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक लोक निर्माण विभाग में 75 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2022 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा तालिका-2.35 में दी गयी है।

तालिका-2.35: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)
2016-17 तक स्वीकृत	57	455.66	327.29	71.83
2017-18	2	6.55	3.51	53.59
2018-19	7	20.56	13.94	67.80
2019-20	7	22.16	10.39	46.89
2020-21	0	0	0	0
2021-22	2	4.73	2.04	43.13
योग	75	509.66	357.17	70.08

स्रोत: वित्त लेखे।

इन सभी परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, वित्त द्वारा कहा गया कि अन्य कम लागत की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं सहित ऐसी परियोजनाएँ जिनकी लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक है, का अनुश्रवण प्रधान मंत्री गति शक्ति पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। पोर्टल पर विवरण अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

(vi) **सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता**

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। तालिका-2.36 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.36: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	3	71.42	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	5	441.73	5	364.55
4.	पर्यटन	3	25.00	1	35.00
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
योग		17	622.55	11	580.81

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects>)

2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने व्यय को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करने के लिए कदम बढ़ाये। अगर विशेष क्षेत्र में आवंटन संबन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है तो यह निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) को दर्शाता है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.37 में वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानते हुए, 2021-22 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का उ पू एवं हिमालयी राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.37: 2017-18 और 2021-22 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य/ कु व्य
2017-18 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	26.07	34.98	29.17	64.15	16.10	17.56	6.22
उत्तराखण्ड	15.93	34.26	23.66	58.14	16.86	18.85	4.28
2021-22 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	27.56	35.55	27.01	62.56	17.46	15.95	7.25
उत्तराखण्ड	18.44	38.10	22.08	60.92	16.09	18.33	6.20
कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूँजीगत व्यय।							

2021-22 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2017-18 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है-

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2017-18 की तुलना में 2021-22 में 2.51 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2021-22 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय (वि व्य) 2017-18 की तुलना में 2.78 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2017-18 की तुलना में 2021-22 में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 3.84 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2017-18 की तुलना में 2021-22 में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 1.58 प्रतिशतता अंक कम था।
- कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का अनुपात 2017-18 की तुलना में 2021-22 में मामूली रूप से 0.77 प्रतिशतता अंक कम हुआ।

आगे, 2017-18 के साथ 2021-22 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित देखा गया:


- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय (कु व्य) दोनों वर्षों के दौरान उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- 2017-18 और 2021-22 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उ पू और और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- 2017-18 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय थोड़ा कम था। हालाँकि, 2021-22 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत की तुलना में यह 2.55 प्रतिशत अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उ पू और और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा दोनों वर्षों में कुल व्यय से शिक्षा व्यय का अनुपात उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से दोनों वर्षों में कम था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय की स्थिति को बेहतर करने तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को सही प्रकार अंकित करने हेतु शीर्षवार विश्लेषण किया जाएगा।

वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.20 में नीचे दिया गया है।

चार्ट-2.20: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



2.8 लोक लेखा

कुछ लेन देनों जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान घटक वार निवल बकाया शेषों को नीचे तालिका-2.38 में दिया गया है।

तालिका-2.38: वर्ष के 31 मार्च को लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि						
जे. आरक्षित निधि	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	109.77	112.77	2,759.12	89.90	-467.57
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(-) 4.7	(-) 1.23	149.48	150.00	210
	आरक्षित निधियों से निवेश	0	0	(-) 150.00	(-) 150.00	(-)210
	योग	105.07	111.54	2,758.60	89.90	(-) 467.57
के. जमा एवं अग्रिम	ब्याज सहित जमा	0.58	53.02	(-) 2.77	3.57	-7.36
	ब्याज रहित जमा	718.09	(-) 64.08	504.35	378.43	-673.73
	अग्रिम	0	0	0	0	0
	योग	718.67	(-) 11.06	501.58	382.00	(-) 681.09

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एल. उचंत एवं विविध	उचंत	122.44	102.82	(-) 124.82	(-) 103.72	285.28
	अन्य लेखे	607.90	70.26	(-) 1,039.63	(-) 490.83	-7.46
	विदेशी सरकारों के साथ लेखे	(-) 0.01	(-) 0.01	0.04	0	0
	विविध	0	0	0	0	0
	योग	730.33	173.07	(-) 1,164.41	(-) 594.55	277.82
एम. प्रेषण	मनी आर्डर, और अन्य प्रेषण	15.89	(-) 4.5	(-) 4.38	0	-0.04
	अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	15.48	683.65	3.76	(-) 6.41	12.33
	योग	31.37	679.15	(-) 0.62	(-) 6.41	12.29
महायोग		2,204.91	1,842.56	2,760.94	302.40	(-)524.67


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर अन्य खाते।

2017-22 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा के अवशेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.21 में दिया गया है।

चार्ट-2.21: लोक लेखा अवशेषों की संरचना में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



जैसाकि तालिका-2.38 में दर्शाया गया है, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक घटक वार निवल-लोक लेखा शेषों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। निवल-लोक लेखा शेष 2020-21 में ₹ 302.40 करोड़ से ₹ 827.07 करोड़ घटकर 2021-22 में ₹ (-)524.67 करोड़ हो गया था। यह निवल जमा एवं अग्रिम (₹ 1063.09 करोड़), निवल आरक्षित निधि (₹ 557.47 करोड़) और निवल लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 97.58 करोड़) में कमी के कारण थी जिसे उंचंत एवं विविध (₹ 872.37 करोड़) द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया।


2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार नौ आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से दो आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 2,875.88 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,777.13 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन नौ निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय हैं और सात निधियाँ (शेष ₹ 4,689.50 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें से ₹ 1,698.62 करोड़ (36.22 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.22 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.22: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का अवशेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.39 में दिया गया है।

तालिका-2.39: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2022 तक राशि (₹ करोड़ में)	स्थापना वर्ष	निष्क्रिय (कब से)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01	2007-08
2.	विद्युत विकास निधि	36.49 (डेबिट)	2005-06	2015-16
योग		36.48 (डेबिट)		

2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योगदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 को स्थानांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को लोक खाते को डेबिट के साथ व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को विपरीत कटौती डेबिट प्रविष्टि करके समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए एस डी आर एफ पर भारत व्यय का विवरण तालिका-2.40 तथा एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.41 में दिये गये हैं।

तालिका-2.40: एस डी आर एफ पर भारत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2021-22 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में स्थानांतरण	2,331.69
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-) 1,498.89
	उप-योग	832.80
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	78.73
	800-अन्य व्यय	386.05
	उप-योग	464.78
महायोग		1297.58

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.41: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2021)	केंद्र द्वारा योगदान	राज्यांश	योग	निकाली गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि (31 मार्च 2022)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
668.36	749.60	83.20	832.80	1,498.89	2.27	शून्य

स्रोत: वित्त लेख।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु कड़े प्रयत्न किए जाएंगे।

2.8.2.3 प्रतिभूति मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रतिभूति मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी प्रतिभूतियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधियों के संचय का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के भुगतान हेतु ही किया जाना है न कि संस्थाओं, जिनकी तरफ से प्रतिभूति दी गई है, के भुगतान हेतु।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार के बकाया मांगी गई प्रतिभूतियों के कम से कम 1/5वें हिस्से के साथ-साथ वर्ष के दौरान जारी वृद्धिशील प्रतिभूति के फलस्वरूप मांगी जा सकने वाली प्रतिभूति राशि के बराबर योगदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2021-22 के दौरान कोई प्रतिभूति नहीं मांगी गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से प्रतिभूति मोचन निधि में ₹ 10.00 करोड़ राशि का योगदान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रशासक भी है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के संग्रह को धीरे-धीरे लंबित प्रतिभूतियों के पाँच प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाया जाना था, जिसका पूरी तरह पालन किया गया था, चूँकि ₹ 374.34 करोड़ की लंबित प्रतिभूतियों के सापेक्ष निधि का संग्रह ₹ 153.92 करोड़ (₹ 95.00 करोड़ मूलधन + ₹ 58.92 करोड़ ब्याज) था। प्राप्त होने वाली प्रतिभूति कमीशन शुल्क ₹ 7.17 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.87 करोड़ प्राप्त हुए जिसके फलस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ का प्रतिभूति कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2016 के अनुसार प्राप्त होने वाली प्रतिभूति शुल्क को प्रतिभूति मोचन निधि के अंतर्गत लोक लेखे में जमा कराना होता है। जबकि राज्य सरकार इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में मान रही थी। इसके फलस्वरूप

उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रतिभूति मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत आय 8.15 प्रतिशत थी। प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण तालिका-2.42 में दिया गया है।

तालिका-2.42: प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2021)	निधि में जमा (योगदान और ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई राशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2022)
	वांछित स्तर का योगदान (31 मार्च 2021 को लंबित प्रतिभूतियों का 5 प्रतिशत)	वास्तविक किया गया योगदान				
133.64 (85.00 मूलधन एवं 48.64 ब्याज)	35.83 (716.59*5%)	20.28 (10.00 मूलधन एवं 10.28 ब्याज)	शून्य	153.92 (95.00+58.92)	153.92	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8.2.4 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि के प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए पैसों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा मामले तथा आकस्मिक मामलों पर व्यय करने हेतु की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया⁴ को लागू नहीं किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 198.52 करोड़ की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष '8121-129' राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के अंतर्गत जमा की। राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को कुल ₹ 2873.61 करोड़ शेष था।

⁴ यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटाए वापसी दर्ज कर लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8121-129 से हस्तांतरित किया जाएगा।

2.8.3 ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना

लोक लेखे की ₹ 156.49 करोड़ की ब्याज की देनदारियों जे एवं के क्षेत्रों के अंतर्गत क्रमशः ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ एवं ब्याज सहित जमा में वार्षिक देयता है जिसे राज्य सरकार को निर्वहन करने की आवश्यकता है। इन आरक्षित निधियों और जमाओं के ऐसे बकायों पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। 01 अप्रैल 2021 को देय ब्याज का विवरण नीचे तालिका-2.43 में दिया गया है।

तालिका-2.43: आरक्षित निधि और जमाओं में ब्याज की अनिर्वाहित देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2021-22 की शुरुआत में अवशेष	देय ब्याज
जे-आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस डी आर एफ सहित)	4.00 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	3,343.45	133.74
के-जमा और अग्रिम	(ब) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष-8342-117 को छोड़कर)	4.00 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	321.69	12.87
	एनपीएस के अन्तर्गत अहस्तांतरित धनराशि (8342-117)	ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित/ सामान्य भविष्य निधि को देय 7.10 प्रतिशत की दर से की गई है	139.20	9.88
कुल ब्याज			3,804.34	156.49

राज्य विभाग को बजट में आरक्षित निधि व जमा पर ब्याज देनदारी का प्रावधान करना चाहिए।


2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन वांछित धनराशि जुटाने हेतु सरकार के ऋण के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जो जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं किसी अन्य प्रभुत्व ऋण प्रबन्धन के लक्ष्यों, जिसे सरकार ने अधिनियमित किया हो या वार्षिक बजट के द्वारा घोषणा की हो, को प्राप्त करना है।

2.9.1 सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति

2021-22 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 71,375 करोड़ (₹ 77,024 करोड़ -₹ 5,649 करोड़) होता, जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जी एस टी क्षतिपूर्ति के बदले राज्य सरकार को ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत दिये गये बैंक-टु-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.23 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.23: सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति



* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 तक क्रमशः ₹ 5,649 करोड़ व ₹ 2,316 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण⁵ के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखों के अंतर्गत देनदारियाँ। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.44 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.44: घटकवार ऋण प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण		51,831	58,039	65,982	73,751*	77,024*
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	40,286	45,443	49,437	53,302	53,759
	केंद्र सरकार से ऋण	729	790	813	3,813	7,444
लोक लेखा देयताएँ		10,816	11,806	15,732	16,636	15,821
बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		16.26	11.98	13.69	11.77	4.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)		2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832
ऋण/स रा घ उ (प्रतिशत)		23.54	25.20	27.84	30.44	28.12
कुल ऋण प्राप्तियाँ		20,124	22,225	22,194	23,327	16,326
कुल ऋण पुनर्भुगतान		12,875	16,017	14,251	15,558	13,053
कुल उपलब्ध ऋण		7,249	6,208	7,943	7,769	3,273
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		63.98	72.07	64.21	66.70	79.95

स्रोत: वित्त लेखे।


इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के तक भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 एवं ₹ 5,649 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का कुल ऋण (₹ 77,024 करोड़- ₹ 5649 करोड़ = ₹ 71,375 करोड़) था।

⁵ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र संख्या एफ.सं.40 (1) पीएफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

2.9.3 वर्ष 2021-22 के अंत में कुल बकाया ऋण का घटक-वार विवरण

वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 77,024 करोड़ था। चार्ट-2.24 में ऋण का घटक-वार विवरण दिया है।

चार्ट-2.24: वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में बकाया ऋण का विवरण



आंतरिक ऋण, जोकि मुख्यतः बाजार से लिए गए उधार हैं, कुल बकाया ऋणों का 69.80 प्रतिशत है।

2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.45 तथा चार्ट-2.25 में दर्शाई गई हैं।


तालिका-2.45: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाज़ार उधारियाँ	भारत सरकार से ऋण	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	वित्तीय संस्थानों से ऋण	लघु बचतें/ भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा एवं अग्रिम
2017-18	26,662.29	728.58	9,838.41	3,785.66	7,009.63	461.91	3,344.75
2018-19	31,951.60	789.91	9,427.01	4,064.10	7,899.49	573.45	3,333.70
2019-20	36,451.59	812.87	8,645.99	4,339.10	8,565.28	3,332.06	3,835.28
2020-21	41,660.05	3,813.10	7,864.97	3,776.54	8,996.74	3,421.96	4,217.28
2021-22	43,460.04	7,443.32	6,753.88	3,545.25	9,330.62	2,954.39	3,536.19

चार्ट-2.25: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




2.9.5 लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

2017-18 से 2021-22 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.26 में दी गई है।

चार्ट-2.26: लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक रचनात्मक बदलाव आया है जैसाकि तालिका-2.46 में दिखाया गया है।

तालिका-2.46: राजकोषीय घाटा के घटक और उसके वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अ	राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)	(-) 7,935	(-) 7,320	(-) 7,657	(-) 5,439	(-) 3,736
1.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 5,914	(-) 6,184	(-) 5,414	(-) 6,538	(-) 7,534
3.	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 43	(-) 156	(-) 107	(-) 14	(-) 330
ब	राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	5,806	5,217	4,017	6,865	4,088
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+) 5,830	(+) 5,289	(+) 4,500	(+) 5,209	(+) 1,800
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 74	(+) 61	(+) 23	(+) 3,000	(+) 3,630
स.	एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 374	(-) 411	(-) 781	(-) 781	(-) 1,111
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण ⁶	(+) 276	(+) 278	(+) 275	(-)563	(-) 231
2.	निवल लोक लेखे	2,204	1,843	2,761	302	(-) 525
अ.	निवल लघु बचत, भ नि आदि	(+) 619	(+) 890	(+) 666	(+) 431	(+) 334
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(+) 719	(-) 11	(+) 501	(+) 382	(-) 681
स.	निवल उंचंत और विविध	(+) 730	(+) 173	(-) 1,164	(-) 595	(+) 278
द.	निवल प्रेषण	(+) 31	(+) 679	(-) 01	(-) 6	(+) 12
ड.	निवल आरक्षित निधि	(+) 105	(+) 112	(+) 2,759	(+) 90	(-) 468
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(-) 127	(+) 110	(+) 68	(-) 225	(+) 224
4.	नकद शेष राशि में वृद्धि	(+) 52	(+) 150	(+) 811	(-) 1,503	(-) 51

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार से लिए गए उधार (48 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से ऋण (97 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (30 प्रतिशत) शुद्ध जमा और अग्रिम (18 प्रतिशत) और शुद्ध आरक्षित निधि (13 प्रतिशत) को जारी विशेष प्रतिभूतियों में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.27 में दिया गया है जबकि तालिका-2.47 राजकोषीय घाटे के घटकों के अन्तर्गत प्राप्ति और संवितरण को दर्शाती हैं।

⁶ निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट-2.27: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण



तालिका-2.47: राजकोषीय घाटे को पूरा करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1.	बाजार उधारियाँ	3,200	1400	1,800
2.	भारत सरकार से ऋण	3,686	56	3,630
3.	एन एस एस एफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	0	1,111	(-) 1,111
4.	वित्तीय संस्थानों से ऋण ⁷	1,032	1,263	(-) 231
5.	लघु बचत, भ नि इत्यादि	1,905	1,571	334
6.	जमा और अग्रिम	5,262	5,943	(-) 681
7.	उंचत और विविध	44,371	44,093	278
8.	प्रेषण	1	-11	12
9.	आरक्षित निधि	1,241	1,709	(-) 468
10.	आकस्मिकता निधि	436	212	224
11.	समग्र घाटा	61,133	57,137	3,787
12.	नकद शेष में वृद्धि/कमी	NA	NA	(-) 51
13.	सकल राजकोषीय घाटा	NA	NA	3,736

2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.48 और चार्ट-2.28 में दी गयी है।


⁷ निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

तालिका-2.48: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	धनराशि			लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2022-23 तक	0-1 वर्ष	2,531.02	62.71	2,593.73	4.24
2023-24 एवं 2024-25 के बीच	1-3 वर्ष	6,462.03	123.47	6,585.50	10.76
2025-26 एवं 2026-27 के बीच	3-5 वर्ष	10,885.21	101.39	10,986.60	17.95
2027-28 एवं 2028-29 के बीच	5-7 वर्ष	14,312.53	107.59	14,420.12	23.56
2029-30 से आगे	7 वर्ष से ऊपर	16,023.09	418.51	16,441.60	26.86
अन्य		3,545.26	6,629.65	10,174.91	16.63
योग		53,759.14	7,443.32	61,202.46	100

चार्ट-2.28: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा




31 मार्च 2022 को लोक ऋणों की लम्बित पूँजी की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लम्बित लोक ऋण ₹ 61,202.46 करोड़ में से, 56.51 प्रतिशत (₹ 34,585.95 करोड़) अगले सात वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 26.86 प्रतिशत (₹ 16,441.60 करोड़) ऋण सात वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 16.63 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड आदि) ₹ 3,545.26 करोड़ (5.79 प्रतिशत) और जी एस टी क्षतिपूर्ति के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649.03 करोड़ (9.23 प्रतिशत) सम्मिलित है। बाजार से उधार, नाबार्ड से ऋण, एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों से बने आन्तरिक ऋण, कुल बकाया लोक ऋण का 87.84 प्रतिशत (₹ 53,759.14 करोड़) है। 10 वर्ष की अवधि में बकाया बाजार ऋण राशि तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण तालिका-2.49 एवं चार्ट-2.29 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.49: ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाजार ऋण)	ब्याज	योग
2022-23	1750	3390.69	5140.69
2023-24	2500	3236.88	5736.88
2024-25	2400	2994.48	5394.48
2025-26	3900	2798.87	6698.87
2026-27	5450	2474.33	7924.33
2027-28	6660	2066.37	8726.37
2028-29	6300	1551.48	7851.48
2029-30	5100	1022.53	6122.53
2030-31	6200	654.56	6854.56
2031-32	3200	228.48	3428.48
योग	43460.00	20418.66	63878.66

**बाजार ऋण के अलावा सार्वजनिक ऋण घटकों के संबंध में ब्याज की गणना वित्त लेखे में परिपक्वता प्रोफाइल और ब्याज की दर की अनुपलब्धता को देखते हुए संभव नहीं है।



नोट: 31 मार्च 2022 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज उस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगणित किया गया है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2024-25 तक बाजार ऋणों का ₹ 6,650.00 करोड़ और ब्याज के ₹ 9,622.05 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों 2026-27 तक, मूलधन ₹ 9,350 करोड़ और ब्याज ₹ 5,273.19 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले पाँच वर्षों के दौरान 2026-27 तक ₹ 6,179.05 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान, ₹ 27,460 करोड़ के ऋण और ₹ 5,523.41 करोड़ का ब्याज भुगतान देय होगा। इस प्रकार वर्ष 2027-28 से 2031-32 की अवधि में लगभग ₹ 6,596.68 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य को करना होगा। ब्याज सहित चालू वर्ष का ऋण पुनर्भुगतान ₹ 4,689.35 करोड़ है।

2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता, वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण पुर्नभुगतान के लिए राज्य की क्षमता को परिभाषित करता है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भविष्य को देखते हुये आसान आकलन छूट जाता है। यह एक "ज्ञात अज्ञात पर सूचित न्याय" है। तथापि, लोक ऋण का स्तर जितना उच्च होगा राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर होने की उतनी ही अधिक संभावना है क्योंकि उच्च ऋण को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक आधिक्य की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तर का ऋण बहुत सी चुनौतियाँ प्रदान करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण के भुगतान हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण, ब्याज दर और विकास में तेजी के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः उच्चतर उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए सतत संकट (यानि निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना) का खतरा बढ़ जाता है।
- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।

ऋण की अस्थिरता इसके प्रोफाइल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा, सतत (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि विस्फोटक स्थिति न बने और सरकारें कर बढ़ाने या व्यय घटाने के लिए बाध्य न हों।

2.9.8 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति

2017-18 की शुरुआत से पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण स्थिरता को निम्न संकेतकों के द्वारा तालिका-2.50 एवं चार्ट-2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.50: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण	41,015	46,233	50,250	57,115**	61,202**
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	16.49	12.72	8.69	13.66	7.16
राज्य का स रा घ उ	2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832
स रा घ उ की वृद्धि दर	12.86	4.59	2.89	-0.98	8.17
ऋण/स रा घ उ अनुपात	18.62	20.07	21.20	24.34	24.11


ऋण स्थिरता के संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.97	8.78	7.81	7.48	7.09
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	12.61	12.27	12.27	10.52	9.74
ऋण पुनर्भुगतान की ऋण प्राप्तियों से प्रतिशतता [#]	22.87	28.27	34.66	29.85	45.30
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण*	2388	1388	247	2848	-106
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत में उपलब्ध निवल ऋण	31.73	19.08	4.02	29.10	-1.42
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा)	1,55,683	-1,96,628	-2,50,284	-4,83,993	67,308
कुल उधार पर ऋण और उसके ऊपर ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	68.27	80.92	95.98	70.90	101.42

* राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर, लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

** इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले वर्ष 2021-22 और 2020-21 तक क्रमशः भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़ का बैंक लोन शामिल है। इस ऋण का ऋण शोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का समग्र ऋण ₹ 55,553 करोड़ (₹ 61,202 करोड़ - ₹ 5,649 करोड़) था।

अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर

चार्ट-2.30 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्तियाँ



#अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर।

जैसाकि तालिका-2.50 से देखा जा सकता है पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 18.62 से 24.34 प्रतिशत के बीच रहा। चालू वर्ष के दौरान स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 24.11 प्रतिशत, बजट में निर्धारित लक्ष्य 24.12 प्रतिशत से कम था। ब्याज भुगतान का बोझ राजस्व प्राप्तियों के 9.74 प्रतिशत से 12.61 प्रतिशत के मध्य था।

तथापि, 2017-18 से 2021-22 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान जहां स रा घ उ का विकास चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 5.40 प्रतिशत की दर से हुआ वहीं लम्बित लोक ऋण 11.69 प्रतिशत की ज्यादा तेज दर से बढ़ा।

2.9.9 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप में पूँजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों पर किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.51 एवं चार्ट-2.31 में नीचे दिखाई गई है।


तालिका-2.51: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय ¹ (प्रतिशतता)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	ला न	ला न
2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	ला न	ला न
2019-20	5,834	2,131 (37)	3,703 (63)	ला न	ला न
2020-21	9,787	2,921 (30)	6,538 (67)	38 (0.39)	ला न ⁸
2021-22	7,473	3,385 (45)	4,088 (55)	ला न	ला न

निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ। ला न - लागू नहीं।

चार्ट-2.31: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



2017-22 की अवधि में राज्य ने पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय के लिए उधार का उपयोग किया।

2.10 प्रतिभूति की स्थिति - प्रासंगिक दायित्व

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट वैधानिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की प्रतिभूति

⁸ उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष था।

सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उनको दिये जाने वाले सरकार के बजटीय सहायता और सरकार के उधारों की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रतिभूतियां आमतौर पर सरकार की प्रासंगिक देनदारियों का गठन करती हैं और उधारकर्ता, जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है, द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत तय सीमा से अधिक किसी भी धनराशि पर मौजूदा नियमों के तहत प्रतिभूति प्रदान नहीं करेगी। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर प्रतिभूति दे सकती है) ने संबन्धित प्रावधान को संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में दिसम्बर 2016 में ही लागू कर दिया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार तालिका-2.52 एवं चार्ट-2.32 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिस पर प्रतिभूति दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित प्रतिभूति का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.52: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
31 मार्च को प्रतिभूतियों की बकाया राशि	1,499	893	854	717	374
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	किसी वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया प्रतिभूति होनी चाहिए। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रतिभूति उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	295	251	निरंक	402	418
वर्ष के दौरान हटायी गई	790	75	188	713	761

चार्ट-2.32: लंबित प्रतिभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2022 को लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 374 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 122 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 249 करोड़) तथा अन्य (₹ 3 करोड़) शामिल हैं। 31 मार्च 2022 को कुल लम्बित प्रतिभूतियां ₹ 374 करोड़ थीं जो कि वर्ष के स रा घ उ की 0.15 प्रतिशत हैं और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा के अन्दर थीं। चार्ट-2.33 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.33: 31 मार्च 2022 के अंत में प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति मांगी नहीं गई थी। प्रतिभूति की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भा स ले मा-1 की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः नहीं हुई है। राज्य सरकार ने गारंटी कमीशन के रूप में प्राप्त ₹ 1.87 करोड़ की धनराशि प्रतिभूति मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के तहत जमा की जबकि "उत्तराखण्ड गारंटी पर सिलिंग अधिनियम 2016" की आवश्यकतानुसार प्रतिभूति कमीशन को निधि कोष में प्राप्त करना चाहिए।

2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद राशि रखनी होगी। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2021 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 808 करोड़ है और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम के 359 दिनों तक न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया बैंक में रखा था और वर्ष के दौरान सामान्य डब्ल्यू एम ए तथा एस डब्ल्यू एम ए का उपयोग क्रमशः दो दिन एवं चार दिन के लिए किया गया था।

2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.53 में दिया गया है।

तालिका-2.53: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
अ. सामान्य नकद बकाया		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	167.30	112.47
अन्य बैंकों में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	167.30	112.47
नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश	1,931.57	2,037.62
योग (अ)	2,098.87	2,150.09
ब. अन्य नकद बकाया और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधि में निवेश	1,488.62	1,698.62
योग (ब)	1,477.10	1,687.10
योग (अ + ब)	3,575.97	3,837.19
अर्जित ब्याज	32.01	34.23

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2020-21 में ₹ 3,575.97 करोड़ से ₹ 261 करोड़ (7 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹ 3,837.19 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 106 करोड़) और निर्धारित निधि में निवेश (₹ 210 करोड़) में वृद्धि के कारण था, जो रिजर्व बैंक के पास जमा राशि (₹ 55 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्ति के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान ₹ 34.23 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

निर्धारित निधियों में वर्ष के अन्त में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,698.62 करोड़ में से, ₹ 1,603.62 करोड़ समेकित सिंकिंग निधि तथा ₹ 95 करोड़ प्रतिभूति मोचन निधि में निवेशित थे।

2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को तालिका-2.54 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.54: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	451.51	385.49	(-) 66.02	14.05
2018-19	385.49	247.48	(-) 138.01	10.49
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73
2020-21	00	1,931.57	(+) 1,931.57	32.01
2021-22	1,931.57	2,037.62	(+) 106.05	34.23

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2017-18 से 2019-20 तक निवेश में क्रमशः कमी उपरान्त 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निवेश में वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत ₹ 2,037.62 करोड़ रुपये की राशि शेष पड़ी थी।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा ले और इसे उत्पादक उपयोग में लाये बिना नकद शेष में वृद्धि करे।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और उपलब्ध औसत नकद शेष के बीच तुलना चार्ट-2.34 में दर्शायी गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से ब्याज कम दर पर मिला।


चार्ट-2.34: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष



चार्ट-2.35 में वर्ष 2021-22 के दौरान माहवार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.35: 2021-22 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माहवार गति

(₹ करोड़ में)



पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नकद शेष होने के बावजूद उसका उत्पादक उपयोग किये बिना दो बार (जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022) बाजार ऋणों का सहारा लिया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 3,200 करोड़ बाजार से उठाये।

2.12 निष्कर्ष

- 2021-22 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,852 करोड़ (12.70 प्रतिशत) की वृद्धि, सहायता अनुदान (₹ 692 करोड़), स्वयं का कर राजस्व (₹ 2,238 करोड़) एवं संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,337 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। वृद्धि आंशिक तौर पर करेत्तर राजस्व में कमी (₹ 1,415 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई।
- 2017-22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (वर्ष 2017-22 के दौरान 82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2017-22 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रस्तुत की। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2017-22 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 55 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 996 करोड़ (15.23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों

- (₹ 7,112 करोड़) के अनुमानों से ₹ 422 करोड़ अधिक तथा बजट अनुमानों (₹ 8,973 करोड़) से ₹ 1,439 करोड़ कम था।
- सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, बकाया ऋणों के सापेक्ष वसूल की गयी राशि ₹ 17.08 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों (₹ 2,047.91 करोड़) का 0.83 प्रतिशत थी।
 - 2021-22 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2021-22 के दौरान यह उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
 - वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 509.66 करोड़ की 75 अपूर्ण/ चालू परियोजनाएँ थीं। इन 75 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 344.33 करोड़) अपने पूर्ण होने के लक्ष्य से दो से तीन साल विलम्ब से चल रही थी जबकि 51 परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 165.33 करोड़) जो कि 31 मार्च 2022 तक पूर्ण होनी थी, वर्तमान तक अपूर्ण थीं।
 - ₹ 7.17 करोड़ प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस के सापेक्ष, ₹ 1.87 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त हुई गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था।
 - पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में 2.32 प्रतिशत की कमी हुई और यह 28.12 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन के 25 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक था।

2.13 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को अपने स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हेतु और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटान, करों के आकलन में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेक्टर राजस्व में सुधार करना चाहिए;*
- *राज्य सरकार, इसके द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;*

- क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है, अतः राज्य सरकार ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में लेखांकित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखे सही स्थिति दर्शाते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के तौर पर दर्ज करने हेतु विचार कर सकती है;
- राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उ पू एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य सरकार गारंटी कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे गारंटी मोचन निधि में जमा कर सकती है; तथा
- राज्य सरकार बजट में ब्याज सहित आरक्षित निधि और जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का प्रावधान करना सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

यह अध्याय अनुपूरक अनुदान और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन सहित, बजटीय प्रक्रिया और आवंटित प्राथमिकताओं, की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा से संबन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक कार्यवाही लोक संसाधन के प्रभावी उपयोग का ब्यौरा देने के लिए एक माध्यम है। बजट शब्दावली **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है। बजट प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने से प्रारम्भ होती है जिसमें विभागों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु आकलन निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चित्र में दी गई है।



3.2 बजट तैयारी प्रक्रिया

वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) और अनुदान की मांग भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 199, 202 तथा 203 में आदेशित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में अपेक्षित है कि राज्य के विधानमंडल के सदन में उस वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण को “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में रखा जाए। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय पृथक-पृथक दर्शाये जाने चाहिए। इसमें राजस्व लेखे पर किए गए व्यय को अन्य व्यय से भी अलग दिखाया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे सामान्य बजट भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों एवं वितरण और अनुदान की मांग में होने वाले व्यय के अनुमान को संविधान के अनुच्छेद 150 में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार दर्शाये जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 204 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार विनियोग के अंतर्गत कानून पारित करने के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग दिया जाता है। बजटीय राशि से अधिक के व्यय हेतु यह प्रावधान है।

उत्तराखंड में बजट तैयार करने की ज़िम्मेदारी वित्त विभाग के पास है:

- संविधान के अनुच्छेद 166 (2) तथा (3) और उसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग के पास अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है। यद्यपि विभाग प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा सूचना प्रेषित की जाती है, तथापि आकलनो और बजट की वास्तविक तैयारी वित्त विभाग के ऊपर है और यह पूरी तरह से उस विभाग का कार्य और ज़िम्मेदारी है कि प्राप्तियों एवं वितरण के अनुमानों को अंतिम रूप दे।
- राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से व्यय की वैधानिक स्वीकृति, अनुदानों /विनियोगों के लिए वार्षिक बजट और मांगों¹ को प्रस्तुत करके सुनिश्चित करती है।
- मूल बजटीय राशि से अधिक के व्यय को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पूरक अथवा अतिरिक्त मांग/विनियोग दिया जाता है।

¹ 2021-22 के अनुदान/विनियोजन के लिए 31 मांग हैं।

- इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार विनियोग की विभिन्न इकाइयों जहां बचत पूर्वानुमानित हैं, से उन इकाइयों जहां अतिरिक्त व्यय संभावित (अनुदान/विनियोग के अंदर) है, में निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनरावंटित भी करती है।

बजट के विभिन्न घटक नीचे चार्ट-3.1 में दर्शाये गए हैं:

चार्ट-3.1: वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखण्ड के बजट एवं व्यय का सारांश



विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत

शासन द्वारा कार्यान्वित

स्रोत: उत्तराखण्ड बजट नियम पुस्तिका एवं विनियोग लेखों में विहित प्रणाली पर आधारित।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों और बचतों का सारांश

कुल बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य साथ ही इसके अतिरिक्त मतदेय/भारित में वर्गीकरण की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान, वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		वितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
54,099.98	10,912.42	41,619.58	9,074.77	(-) 12,480.40	(-) 1,837.65

स्रोत: विनियोग लेखे

3.2.2 भारत एवं मतदेय वितरण

2017-18 से 2021-22 तक कुल वितरण का भारत एवं मतदेय में विभाजन तालिका-3.2 में दिया गया है।

तालिका-3.2: 2017-18 से 2021-22 में वितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2017-18	31,742.73	11,702.03	(-) 3,866.04	(+) 4,337.28
2018-19	34,617.56	14,778.29	(-) 4,950.03	(+) 6,308.38
2019-20	34,147.37	13,825.82	(-) 8,395.33	(+) 5,170.72
2020-21	38,726.01	1,3274.10	(-)9,201.42	(+)3,610.77
2021-22	41,619.58	9,074.77	(-)12,480.40	(-)1,837.65

श्रोत: विनियोग लेखे

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों 2017-18 से 2021-22 के दौरान दत्तमत में निरंतर बचत और 2017-18 से 2020-21 के दौरान भारत में निरंतर आधिक्य हुआ है। हालांकि, चालू वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में बचत हुई है।

3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे कुल योग आधारित होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मदों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, समर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, निधियों के उपयोग, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों को समझने व अनुश्रवण करने में सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

भारत के नि म ले प द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

3.3.1 बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1.1 विधि प्राधिकार के बिना व्यय करना

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन आहरित नहीं करना चाहिए। राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम

द्वारा पुनर्विनियोग, पूरक अनुदान अथवा विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने को छोड़कर नई योजना पर व्यय हेतु निधियों का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि एक विभाग ने वर्ष के दौरान विधानमंडल के प्राधिकरण के बिना कुल ₹ 0.28 करोड़² का व्यय किया जैसा कि नीचे तालिका-3.3 में वर्णित है।

तालिका-3.3: बिना बजट प्रावधानों के व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोग	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/उपशीर्षों की संख्या
07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ	0.28	01

3.3.2 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः

व्यय और प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में विहित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण नामक “वार्षिक वित्तीय विवरण” (अथवा “बजट”) राज्य विधानसभा के दोनों सदनो में रखा जाता है। व्यय के अनुमान को ‘भारित’ (ऐसा व्यय जिसको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधान सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है) और ‘दत्तमत’ मर्दों में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि अध्याय-2 में व्याख्या की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व लेखे के व्यय को अन्य व्यय से पृथक करता है।

राज्य वित्तीय नियम विनियोग की प्राथमिक इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं। पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वस्तु शीर्ष हैं। पूंजीगत प्रकार के व्यय की बुकिंग से संबन्धित यह वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होना चाहिए।

राजस्व प्रकृति के व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत व्यय में या इसके विपरीत, के कारण राजस्व व्यय और राजस्व घाटा/अधिशेष में अतिदर्शित/न्यूनदर्शित परिणामित होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण नीचे तालिका-3.4 में दिया गया है।

तालिका-3.4: व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	06, 2245	पूँजीगत की राजस्व में बुकिंग	19.64	वृहद कार्यों पर व्यय की पूर्ति राजस्व व्यय से की गई।
उप-योग			19.64	

² तथापि, अनुदान संख्या 21 (ऊर्जा) में ₹ 249.64 करोड़ का व्यय वर्ष 2011-12 के ओ.बी. उच्चतम समाशोधन से संबंधित है।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व लेखा शीर्ष	त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
2.	15, 4225	राजस्व की पूँजीगत में बुकिंग	23.57	सहायता अनुदान, पर व्यय की पूर्ति पूँजीगत व्यय से की गई।
3.	23, 4859		2.00	
उप-योग			25.57	

आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजस्व खंड में ₹ 19.64 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। यह व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबन्धित है। इसी प्रकार ₹ 25.57 करोड़ का व्यय पूँजीगत खंड में दर्ज हुआ है। यह व्यय राजस्व खंड में दर्ज होना चाहिए क्योंकि यह व्यय सहायता अनुदान से संबन्धित है। त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जहाँ स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों पर किए व्यय को पूँजीगत खंड में दर्ज किया गया हो। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने कहा कि इस संबंध में चालू वर्ष 2023-24 के दौरान सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के द्वारा प्रावधान के अलावा पूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोग चालू वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है-

- नये व्यय की योजनाओं पर व्यय जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना है।
- प्रावधान की अपर्याप्तता
- नया व्यय किन्तु तकनीकी रूप से “नये व्यय की योजनाएँ” नहीं
- प्रावधानों का न लिया जाना

जब इस तरह के अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य पाए जाते हैं और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत को पुनर्विनियोग करने की कोई संभावना नहीं है, तो संबंधित विभाग के सचिव, वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग के लिए प्रस्ताव देगा। योग्य प्रकरणों जो कि अप्रत्याशित हैं और जो पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, में संविधान में किए गए प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत अग्रिमों को अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग द्वारा नियमित करना होगा और आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति करना होगा। एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पर्याप्त पुनर्विनियोग से सदैव बचना चाहिए। यह नया व्यय अपरिहार्य व अनिवार्य रूप से आवश्यक है या यह परिणामी अर्थव्यवस्था का उत्पादन करेगा या यह राजस्व या सार्वजनिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आदि वर्ष के दौरान नये व्यय को शुरू करने के लिए उचित औचित्य है।

हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि बजट में आवश्यकताओं का पूर्वाभास किया जा सकता था और प्रावधान नहीं किया गया है। पुनर्विनियोग की प्रक्रिया केवल चूकों और दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए नहीं बनाई गयी है।

ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है, नीचे तालिका-3.5 में दिखाया गया है:

तालिका-3.5: ऐसे प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	03 मंत्रिपरिषद	182.43	0.85	75.09	108.19
2	04- न्यायिक प्रशासन	235.43	15.45	207.57	43.31
3	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,840.63	720.75	1499.19	1062.19
4	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,588.92	1211.91	9,354.87	1445.96
5	10- पुलिस व जेल	2,251.51	2.81	2,028.05	226.27
6	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	9,035.99	75.06	8,154.96	956.09
7	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,746.31	452.15	2,474.75	723.71
8	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	825.07	99.09	568.11	356.05
9	14-सूचना	276.75	118.40	383.41	11.74
10	15-कल्याण योजनाएं	1,880.83	462.61	1,645.71	697.73
11	16-श्रम एवं रोजगार	394.92	0.74	336.03	59.63
12	17- कृषि कार्य एवं शोध	1,093.40	48.06	1007.85	133.61
13	18- सहकारी	112.29	1.11	90.73	22.67
14	19-ग्रामीण विकास	910.46	136.20	758.73	287.93
15	22-लोक निर्माण	957.34	110.14	867.77	199.71
16	23-उद्योग	286.15	107.96	277.30	116.81
17	24- परिवहन	175.80	42.56	154.41	63.95
18	26- पर्यटन	113.57	15.12	79.20	49.49
19	27- वन	1,131.16	166.93	1120.66	177.43
20	28- पशुपालन	387.07	16.34	330.15	73.26
21	29- उद्यान विकास	367.23	34.63	332.34	69.52
22	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,425.17	82.43	870.62	636.98

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
23	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	395.25	31.01	286.52	139.74
योग		36,613.68	3,952.31	32,904.02	7,661.97
राजस्व (भारित)					
1	04- न्यायिक प्रशासन	54.41	5.08	47.99	11.50
2	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,356.13	200.00	5,148.56	1,407.57
योग		6,410.54	205.08	5,196.55	1,419.07
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	398.30	1.84	370.10	30.04
2	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	394.94	746.00	516.76	624.18
3	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	414.79	173.00	307.15	280.64
4	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	442.64	38.00	313.19	167.45
5	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,824.98	480.88	1,336.43	969.43
6	16-श्रम एवं रोजगार	92.01	25.00	51.15	65.86
7	19-ग्रामीण विकास	1403.17	722.67	1596.36	529.48
8	20- सिंचाई और बाढ़	767.66	44.99	254.17	558.48
9	22-लोक निर्माण	1,402.02	300.00	1,310.54	391.48
10	23-उद्योग	67.10	2.40	13.95	55.55
11	24- परिवहन	314.71	115.88	109.63	320.96
12	26- पर्यटन	122.40	30.00	111.23	41.17
13	28- पशुपालन	27.49	3.00	8.14	22.35
14	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	451.85	165.00	313.81	303.04
15	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	148.05	66.02	119.18	94.89
योग		8,272.11	2,914.68	6,731.79	4,455.00
महा योग		51,296.33	7,072.07	44,832.36	13,536.04



3.4 किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधि का अंतरण है। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखंड में पुनर्विनियोजन का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया जिसके लिए पूर्व विधायी प्राधिकार की आवश्यकता हो।

3.4.1 अनावश्यक / अत्यधिक पुनर्विनियोग

चालीस प्रकरण जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक है, तालिका-3.6 में दर्शायी गई है:

तालिका-3.6: अधिक/अनावश्यक विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
1	04-न्यायिक प्रशासन 2014 - न्याय प्रशासन 105-सिविल और सत्र न्यायालय 04-पारिवारिक न्यायालय	10.96	0.15	0.46	11.57	9.59	1.98
2	05 चुनाव 2015 चुनाव 103 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और छपाई 05 चुनाव स्थापना व्यय (50% केंद्रीय अंश)	14.43	0	1.87	16.30	14.54	1.76
3	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 99 - राजस्व बोर्ड 02-राजस्व आयुक्त स्थापना	5.44	0	0.15	5.59	4.41	1.18
4	06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 107- गृह रक्षक 03-सामान्य स्थापना	111.69	10.00	5.64	127.33	126.07	1.26
5	07 वित्त, कर, नियोजन सचिवालय और विविध सेवाएं 2043 - राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार 101-संग्रह शुल्क 03-वाणिज्यिक कर स्थापना	92.15	0	0.58	92.73	81.93	10.80
6	08 आबकारी 2039 राज्य उत्पाद शुल्क 001 निदेशन और प्रशासन 03 स्थापना	8.29	1.83	0.19	10.31	7.19	3.12

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
7	10- पुलिस एवं जेल 2055 - पुलिस 001- निदेशन एवं प्रशासन 13 अधिष्ठान	10.83	0	0.55	11.38	9.32	2.06
8	10- पुलिस एवं जेल 2055 - पुलिस 001- निदेशन एवं प्रशासन 14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	5.81	0	0.10	5.91	4.59	1.32
9	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 003-शिक्षा और प्रशिक्षण 04 शिक्षा और प्रशिक्षण गृह	16.32	0	0.13	16.45	13.71	2.74
10	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 108 राज्य पुलिस मुख्यालय 04 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल	51.75	0	1.25	53.00	42.73	10.27
11	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 111 रेलवे पुलिस 03 मुख्य	21.65	0	0.01	21.66	18.22	3.44
12	10- पुलिस व जेल 2055 - पुलिस 001- निदेशन एवं प्रशासन 03 मुख्यालय	47.11	0	24.95	72.06	64.35	7.71
13	11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2202 - सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 104 निरीक्षण 03- क्षेत्रीय निरीक्षण	15.61	0	0.22	15.83	13.41	2.42
14	11- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2202-सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 101- निरीक्षण 03- - क्षेत्रीय निरीक्षण	28.71	0	0.14	28.85	25.46	3.39
15	11- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2204 खेल तथा युवा सेवाएं 001 निदेशन और प्रशासन 03- खेल निदेशालय	9.48	0.16	0.23	9.87	8.63	1.24

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
16	11- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 2204 खेल तथा युवा सेवाएं 104 खेलकूद 35-ग्रामीण खेल एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना	0.50	0	14.00	14.50	12.84	1.66
17	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001 - निदेशन और प्रशासन 03- मुख्यालय स्थापना	22.77	0.77	0.73	24.27	20.00	4.27
18	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी 110- अस्पताल और औषधालय 23- गांधी सेंचुरी आई साइंस सेंटर की स्थापना	7.71	0	0.25	7.96	5.22	2.74
19	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 103- - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03- - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	138.54	6.70	1.55	146.79	102.99	43.80
20	12- चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 03- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों क स्थापना	176.53	4.55	1.88	182.96	138.43	44.53
21	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे और मध्यम शहरों का समेकित विकास 051- निर्माण 04- नगरों का समेकित विकास	22.00	0	15.00	37.00	33.44	3.56
22	14- सूचना 2220-सूचना तथा प्रसार 60-अन्य 001 - निदेशन और प्रशासन 03 अधिष्ठान व्यय	9.21	0	3.40	12.61	11.61	1.00

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग		
23	15-कल्याण योजनाएं 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 01 केंद्र पुरोनिधानित योजना	11.89	51.69	47.63	111.21	70.46	40.75
24	19-ग्रामीण विकास 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 32- गरीबी उन्मूलन, क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	15.62	0	0.20	15.82	12.85	2.97
25	19-ग्रामीण विकास 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 95-केंद्रीय योजनओ में राज्य का अंश	19.97	0	0.03	20.00	14.60	5.40
26	19-ग्रामीण विकास 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 102-सामुदायिक विकास 05- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधिक व्यय का भुगतान	20.00	0	23.00	43.00	13.24	29.76
27	20- सिंचाई एवं बाढ़ 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 02- नलकूप नहर एवं लघुडाल नहर निर्माण 001- निदेशन एवं प्रशासन 02-राज्य पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण	3.00	0	3.50	6.50	3.63	2.87
28	20- सिंचाई एवं और बाढ़ बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर 4711 पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियंत्रण 103 सिविल निर्माण कार्य 98 नाबार्ड वित्त पोषित	45.00	0	23.47	68.47	67.13	1.34
29	23- उद्योग 2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग 102- लघु उद्योग 03- स्थापना व्यय	21.42	0	0.30	21.72	17.74	3.98
30	24-परिवहन 3055- सड़क परिवहन 190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों की सहायता 12- उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा	60.00	42.00	0.34	102.34	83.13	19.21

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
	पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूपहोने वाली हानी के समतुल्य घनराशि						
31	24-परिवहन 5053 - नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय 02- हवाई अड्डे 102- हवाई अड्डा 03- हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण	6.00	0	15.00	21.00	12.24	8.76
32	26-पर्यटन 5452पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 104-संवर्धन और प्रचार 04-राज्य क्षेत्र	60.93	30.00	43.00	133.93	99.22	34.71
33	27- वन 2406 - वानिकी और वन्य जीवन 02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन 110-वन्य जीव संरक्षण 95- केंद्रीय योजनाओ में राज्य का अंश	5.38	0	0.69	6.07	3.66	2.41
34	28- पशुपालन 2403 - पशुपालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य 95- केंद्रीय योजनाओ में राज्य का अंश	1.06	0.70	0.10	1.86	0.11	1.75
35	29- औद्योगिक विकास 2401 - फसल कृषि कर्म 119- बागवानी और सब्जी की फसलें 07- शहतूत की खेती एवं रेशम विकास	16.42	0	0.55	16.97	14.62	2.35
36	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण 2225-अनुसूचित जाति, जाति जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 102- आर्थिक विकास 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	30.62	0	0.25	30.87	9.1	21.77
37	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण 2225-अनुसूचित जाति, जाति जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 - शिक्षा 95- केंद्रीय योजनाओ में राज्य का अंश	5.25	0	11.31	16.56	14.59	1.97

क्र. स.	अनुदान संख्या एवं लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक	अंतिम
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	योग	व्यय	बचत
38	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277-शिक्षा 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	21.84	4.73	12.01	38.58	23.72	14.86
39	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2225- अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 - शिक्षा 04-अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम पध्याति विद्यालय का संधारण	27.42	0	0.26	27.68	18.38	9.30
40	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 003 - प्रशिक्षण 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	19.12	0	6.43	25.55	20.91	4.64

उत्तराखंड बजट नियमावली के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने अनुदान के अन्दर ₹ 766.86 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया। इसमें से ₹ 108.67 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2022) को पुनर्विनियोजित की गई थी। यह पुनर्विनियोजन 40 प्रकरणों में से 27 प्रकरणों में (₹ 1.00 करोड़ से अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन प्रकरणों में बचत, पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। हालांकि, 2021-22 के दौरान पूंजीगत से राजस्व और इसके विपरीत और दत्तमत से भारित और इसके विपरीत पुनर्विनियोजन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

3.5 अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण

आकलन की पूर्ण शुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है; पर जहां चूक अथवा अशुद्धता पूर्व विचार की कमी का परिणाम है, स्पष्टता की उपेक्षा अथवा लापरवाह आकलन है, यह सामान्यतया क्षम्य नहीं है। समस्त आकलन अधिकारियों के लिए स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि बजट में सब कुछ प्रदान करें जो कि देखा जा सकता है और केवल जहां तक उसकी आवश्यकता हो। प्रशासनिक व वित्त विभाग को आकलनों की लगातार, पूर्व आकलनों के औसत को ज्ञात अथवा पर्याप्त रूप से निकट तथ्य जिससे औसत परिवर्तित हो सकता है, जांच करनी चाहिए।

बचत, जिसे आदर्श रूप से समर्पित किया जाना चाहिए था, को रखने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से, विनियोजन जिनके अव्ययित रहने की संभावना है, समर्पण के लिए जितना शीघ्र संभव हो रिपोर्ट करना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, अन्य व्यय करने वाले विभाग निधियों से वंचित रह जाएंगे जिनको वो व्यय कर सकते थे। समर्पण सामान्यतया मार्च माह में किए जाते हैं, व्यय के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विगत माह के व्यय की प्रगति का निरीक्षण नियंत्रण अधिकारी को अपनी अंतिम आवश्यकताओं को उचित कोटि की सटीकता के साथ तय करने में समर्थ होना चाहिये। जब समर्पण की आवश्यकता स्वतः सुस्पष्ट हो, नियंत्रण अधिकारियों को राशि का आकलन करना चाहिए जिसे समर्पित किया जा सकता है। समर्पण का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि व्यय संशोधित अनुदान के अंदर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों, व्यय की खराब अनुश्रवण प्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन की कमजोर क्षमताओं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को अवमुक्त करने को बढ़ावा देते हैं, और विभागों द्वारा बड़ी राशि को शासकीय खाते से बाहर बैंक खाते में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित भी रखते हैं जिसे वो प्रयोग कर सकते थे।

अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.7 में दिया गया है:

तालिका-3.7: वर्ष के दौरान अनुदान में बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व (मतदेय)								
1	03 मंत्रिपरिषद्	182.43	0.85	183.28	75.09	108.19	59.03	108.19
2	06 राजस्व व सामान्य प्रशासन	1,840.63	720.75	2,561.38	1,499.19	1,062.19	41.47	1,062.19
3	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	9,588.92	1211.91	10,800.83	9,354.87	1,445.96	13.39	1,445.96
4	10 पुलिस व जेल	2,251.51	2.81	2,254.32	2,028.05	226.27	10.04	226.27
5	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	9,035.99	75.06	9,111.05	8,154.96	956.09	10.49	956.09
6	12 चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,746.31	452.15	3,198.46	2,474.75	723.71	22.63	723.71
7	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	825.08	99.08	924.16	568.11	356.05	38.53	356.05
8	15 कल्याण योजनाएं	1,880.83	462.61	2,343.44	1,645.71	697.73	29.77	697.73
9	17 कृषि कार्य व शोध	1,093.40	48.06	1,141.46	1007.85	133.61	11.71	133.61
10	19 ग्रामीण विकास	910.46	136.20	1,046.66	758.73	287.93	27.51	287.93

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल योग	वास्तविक व्यय	बचत/ आधिक्य	कुल अनुदान के प्रतिशत के रूप में बचत	समर्पण को छोड़कर बचत
11	22 लोक निर्माण	957.34	110.14	1,067.48	867.78	199.70	18.71	199.70
12	23-उद्योग	286.15	107.96	394.11	277.30	116.81	29.63	116.81
13	27 वन	1,131.16	166.93	1,298.09	1120.66	177.43	13.67	177.43
14	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	1,425.17	82.43	1,507.60	870.62	636.98	42.25	636.98
15	31 अनुसूचित जनजतियों का कल्याण	395.25	31.01	426.26	286.52	139.74	32.78	139.74
योग		34550.63	3707.95	38258.58	30990.19	7268.39	19.00	7268.39
राजस्व (भारित)								
1.	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ	6,356.13	200.00	6,556.13	5,148.56	1,407.57	21.47	1,407.57
योग		6,356.13	200.00	6,556.13	5,148.56	1,407.57	21.47	1,407.57
पूँजीगत (मतदेय)								
1	07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय व विविध सेवाएँ	394.94	746.00	1140.94	516.76	624.18	54.71	624.18
2	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति	414.79	173.00	587.79	307.15	280.64	47.74	280.64
3	12 चिकित्सा स्वस्थ्य व परिवार कल्याण	442.64	38.00	480.64	313.19	167.45	34.84	167.45
4	13 जलापूर्ति, आवास व शहरी विकास	1,824.98	480.88	2305.86	1,336.43	969.43	42.04	969.43
5	19 ग्रामीण विकास	1403.17	722.67	2125.84	1596.36	529.48	24.91	529.48
6	20 सिंचाई एवं बाढ़	767.66	44.99	812.65	254.17	558.48	68.72	558.48
7	22 लोक निर्माण	1,402.02	300.00	1702.02	1,310.54	391.48	23.00	391.48
8	24 परिवहन	314.72	115.88	430.60	109.63	320.97	74.54	320.97
9	30 अनुसूचित जतियों का कल्याण	451.85	165.00	616.85	313.81	303.04	49.13	303.04
योग		7,416.77	2,786.42	10,203.19	6,058.04	4,145.15	40.63	4,145.15
महा योग		48,323.53	6,694.37	55,017.90	42,196.79	12,821.11	23.30	12,821.11

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, शासन ने 17 अनुदानों के अंतर्गत 25 प्रकरणों में ₹ 6,694.37 करोड़ का अनुपूरक अनुदान मांगा जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल बजट के सापेक्ष ₹ 12,821.11 करोड़ (26.53 प्रतिशत) की बचत थी। सरकार ने इन अनुदानों के अंतर्गत किसी भी राशि का समर्पण नहीं किया। बचत के कारण विनियोग लेखे में नहीं दिये गए।

3.5.1 अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ

2021-22 के दौरान 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग का विवरण तालिका-3.8 में दिया गया है।

तालिका-3.8: अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 प्रतिशत से कम हुआ, (2021-22 में)

क्र. स.	अनुदान संख्या व नाम	2017-2018 (प्रतिशत)	2018-2019 (प्रतिशत)	2019-2020 (प्रतिशत)	2020-2021 (प्रतिशत)	2021-2022 (प्रतिशत)	वर्षों की संख्या	बजट 2021-22 (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों का बजट (₹ करोड़ में)
1	01 विधायिका (पूँजीगत मतदेय)	97.73	99.84	76.93	17.29	15.00	2	13.00	90.90
2	03 मंत्रिपरिषद (राजस्व मतदेय)	81.35	84.03	78.91	80.82	40.97	1	183.28	433.02
3	04 न्यायिक प्रशासन (पूँजीगत मतदेय)	79.68	89.71	47.68	44.15	25.37	3	55.30	230.10
4	07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध सेवाएँ (पूँजीगत मतदेय)	41.94	51.13	30.45	76.17	45.29	3	1140.94	2802.29
5	15 कल्याण योजनाये (पूँजीगत मतदेय)	31.82	47.17	64.17	47.87	31.33	4	107.60	513.78
6	16-श्रम और रोजगार (पूँजीगत मतदेय)	75.17	78.27	27.48	79.67	43.71	2	117.01	205.60
7	18 सहकारिता (पूँजीगत मतदेय)	24.95	66.98	99.98	0	0	3	80.00	290.93
8	20 सिचाई एवं बाड़ (पूँजीगत मतदेय)	115.64	78.16	52.23	36.00	31.28	2	812.65	2,932.97
9	23 उद्योग (पूँजीगत मतदेय)	9.38	36.37	54.86	9.15	20.08	4	69.50	365.79
10	24 परिवहन (पूँजीगत मतदेय)	87.36	7.43	17.56	0.11	25.46	4	430.60	1,392.10
11	28 पशुपालन (पूँजीगत मतदेय)	46.39	32.88	35.15	29.32	26.71	5	30.49	132.20

जैसा कि उपरोक्त सारणी 3.8 में वर्णित है, ग्यारह अनुदान में बजट प्रावधान का कम उपयोग (50 प्रतिशत से कम) प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि तीन विभाग अर्थात (i) कल्याण (ii) उद्योग और (iii) परिवहन विभाग विगत पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बजट आवंटन के 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और पशुपालन विभाग पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटन का 50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम नहीं था

3.5.2 ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

मार्च के अंत में ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण तालिका-3.9 में दिया गया है।

तालिका-3.9: मार्च के अंत में ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	समर्पित राशि
शून्य							

उत्तराखंड राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई धनराशि समर्पित नहीं की।

3.5.3 उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानो/विनियोगों की संख्या के वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानो/विनियोगों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.2 में दिया गया है:

चार्ट-3.2: उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानो/विनियोगों की संख्या के वितरण




जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, कि 14 अनुदानो/विनियोगों में उपयोग बजट आवंटन के 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य एवं 10 अनुदानों में उपयोगिता 50 से 70 प्रतिशत के मध्य, दो अनुदानों/विनियोगों में उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम तथा पाँच अनुदानों/विनियोगों, अर्थात् 02-राज्यपाल, 10-पुलिस एवं कारागार, 14-सूचना 21 ऊर्जा और 25-खाद्य में उपयोग बजट आवंटन के 90 प्रतिशत से ऊपर था।

3.5.4 वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण चार्ट-3.3 में दिया गया है:-

चार्ट-3.3: वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण

(₹ करोड़ में)




जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान बजट के आंकड़ों की तुलना में ₹ 14,318 करोड़ की बचत हुई। तथापि, विभिन्न सरकारी विभागों को वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी राशि के समर्पण के लिए प्रस्तावित नहीं किया और न ही किसी विभाग द्वारा कोई धनराशि समर्पित की गई थी।

3.5.5 बजट आवंटन और उसका उपयोग

बजट आवंटन (मूल और पूरक) और इसका उपयोग नीचे चार्ट-3.4 में दिया गया है:

चार्ट-3.4: 2017-18 से 2021-22 में बजट उपयोग



3.6 अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में कोई धनराशि उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किया जाता है, राज्यपाल ऐसे आधिक्य की मांग को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करेंगे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हैं कि राज्य विधान सभा वित्तीय वर्ष में अनुदानों/ विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण करें।

यद्यपि अनुच्छेद में अधिक व्यय के नियमितीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अधिक व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा समाप्त करने के बाद किया जाता है। ऐसा न करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोक धन के उपयोग पर कार्यपालिका के विधान सभा द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करता है।

3.6.1 2021-22 से संबन्धित अधिक व्यय

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि खराब योजना का सूचक भी है जिससे इस उद्देश्य के लिए बनाए गये बजट के साथ व्यय की प्रगति को देखते हुए बचाया जा सकता था। 2021-22 के दौरान ऐसा कोई प्रकरण नहीं देखा गया।

3.6.2 प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण

उत्तराखंड बजट नियमावली के पैरा 151 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) और (2) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर उस वर्ष उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गयी है तो ऐसे आधिक्य के लिए विधान सभा में मांग प्रस्तुत की जाएगी और इसका समाधान उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे कि अनुदान के लिए मांग का किया जाता है।

2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण तालिका-3.10 में दिया गया है।

तालिका-3.10: राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार से अधिक व्यय का मुख्य शीर्ष वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य	विभाग द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9= 8-7	10
1.	16	2210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य.	119.26	0	119.26	127.73	8.47	अनुदान-16-विभाग द्वारा कारण. उपलब्ध नहीं कराया गया
2.	21	6801	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	48.00	0	48.00	289.73	241.73	अनुदान-21 वर्ष 2011-12 से संबंधित उचंत के समाशोधन के कारण अधिक व्यय।
कुल								250.20	

स्रोत:- विस्तृत विनियोग लेखें

3.6.3 कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कुछ अनुदानों में वर्ष दर वर्ष अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गयी है। निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण के साथ साथ वित्त विभाग की निगरानी अप्रभावी थी तथा बजट प्राक्कलन अनुमान वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार बार-बार किए गए ऐसे अधिक व्यय राज्य विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध थे। विधायी प्राधिकार के बिना एक रुपया व्यय नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह कार्यपालिका की ओर से एक गंभीर चूक है। निरन्तर आधिक्य व्यय बजट की तैयारी के समय अनुचित प्राक्कलन के कारण हो सकता है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान लगातार आधिक्य प्रदर्शित हुआ परन्तु वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी अनुदान में कोई आधिक्य नहीं देखा गया, जिसे नीचे तालिका-3.11 में दिया गया है:

तालिका-3.11: 2017-18 से 2021-22 तक के दौरान तीन अनुदानों में देखी गयी अधिकता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	अनुदान संख्या -25: खाद्य					
	कुल अनुदान	19.27	19.00	28.50	12.00	किसी भी अनुदान में लगातार अधिकता का मामला नहीं पाया गया
	व्यय	1,341.66	1,433.04	1,011.08	93.17	
	आधिक्य	1,322.39	1,414.04	982.58	81.17	
अनुदान संख्या-07: वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध						
2.	कुल अनुदान	2,640.23	3,182.00	2,876.31	3,503.31	किसी भी अनुदान में लगातार अधिकता का मामला नहीं पाया गया
	व्यय	7,651.62	10,230.14	9,096.03	8,269.59	
	आधिक्य	5,011.39	7,048.14	6,219.72	4,766.28	
3.	अनुदान संख्या -17: कृषि, निर्माण एवं शोध					
	कुल अनुदान	23.03	आधिक्य नहीं	25.00	11.03	किसी भी अनुदान में लगातार अधिकता का मामला नहीं पाया गया
	व्यय	26.75		37.18	27.22	
	आधिक्य	3.72		12.18	16.19	
अनुदान संख्या -17: कृषि, निर्माण एवं शोध						

स्रोत:- विनियोग लेखें

3.6.4 विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय XIII के अनुच्छेद 121 में परिकल्पित है कि यदि वर्ष के समापन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि विनियोग खाते के माध्यम से उस वर्ष के लिए अंतिम विनियोजन से अधिक किसी भी अनुदान या भारत विनियोग के तहत कोई व्यय किया गया था, तो व्ययाधिक्य को लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधान सभा को प्रस्तुत करके, संविधान के अनुच्छेद 205(1) (ब) के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 2005-06 से 2020-21 तक विगत वर्षों के ₹ 47,758.16 करोड़ के व्ययाधिक्य को विधानसभा द्वारा नियमित किया जाना अभी शेष है। विनियमितीकरण के लिए लंबित अतिरिक्त व्यय का वर्ष वार विवरण तालिका-3.12 में दिया गया है।

तालिका-3.12: नियमितीकरण के लिए लंबित व्ययाधिक्य धनराशि का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोग	अनुदान/विनियोग विवरण	विनियोग लेखों में वर्णित नियमितीकरण योग्य अतिरिक्त राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	अभी तक नियमित नहीं
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24	
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33	
2017-18	6	07,17,20,22,25 एवं 27	6,413.38	
2018-19	3	07,19 एवं 25	8,464.98	
2019-20	3	07,17 एवं 25	7214.48	
2020-21	06	07,17,18,19,25 एवं 29	4,884.55	
कुल			47,758.16	

स्रोत:- विनियोग लेखें

राज्य सरकार द्वारा इन व्ययाधिक्य का कोई कारण अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधानित है कि राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने आश्वस्त किया कि राशि को विधान सभा/ पी ए सी द्वारा नियमित कराने के लिए कदम उठाएँ जाएंगे।

3.7 पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायक अनुदान

सहायता अनुदान, सहायता, दान या एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए गए योगदान के रूप में भुगतान है। परिसंपत्ति निर्माण के साथ-साथ किसी संस्था को निर्दिष्ट उद्देश्य का समर्थन करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई जी ए एस 2) के अनुसार, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी के वितरित सहायता अनुदान, उद्देश्य चाहे जो भी हो, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां यह विशेष रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह देखा गया है कि पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटा न्यूनदर्शित होता है।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण तालिका-3.13. में दिया गया है।


तालिका-3.13: पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज सहायता अनुदान	48	47	46	80	26
कुल पूंजीगत व्यय	5,914	6,184	5,414	6,538	7533
पूंजीगत व्यय में स अ का अंश (प्रतिशत में)	0.81	0.76	0.86	1.22	0.35
स अ से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दिखाने के फलस्वरूप राजस्व घाटे (-)/ राजस्व अधिशेष (+) पर प्रभाव	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182	(+)1,034	(+)4102

पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश का विवरण नीचे दिए गए चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: पूंजीगत व्यय में सहायता



राज्य सरकार ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि में सहायता अनुदान को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज करना जारी रखा है। इसके फलस्वरूप राजस्व घाटे को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच 2.11 प्रतिशत से 4.58 प्रतिशत तक कम करके तथा वर्ष 2020-21 व 2021-22 में राजस्व अधिशेष को क्रमशः 0.63 प्रतिशत व 7.74 प्रतिशत तक अधिक दर्शाया गया।

बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

एकमुश्त बजट प्रावधान

कोई एकमुश्त बजटीय प्रावधान नहीं किया गया।

3.8 बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुश्रवण तंत्र कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के प्रतिस्पर्धा विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच श्रेष्ठ आवंटन न हो पाने का कारण बनता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत, अन्य विभागों को उस धन से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान 31 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में मूल और अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीकृत स्थिति तालिका-3.14 में दी गई है।

तालिका-3.14: 2021-22 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारंशीत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च के दौरान अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	37567.54	3,954.36	41,521.90	33,684.33	(-)7,837.57	0.00	0.00
	II. पूंजीगत	9513.35	2,915.13	12,428.48	7,587.79	(-)4,840.69		
	III. ऋण एवं अग्रिम	149.60	0	149.60	347.46	(+)197.86		
	कुल	47,230.49	6,869.49	54,099.98	41,619.58	(-)12,480.40		
भारित	IV. राजस्व	6465.77	205.08	6,670.85	5244.62	(-)1,426.23	0.00	0.00
	V पूंजीगत	0	0	0	0	0		
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	4,241.57	0	4241.57	3830.15	(-)411.42		
	कुल	10,707.34	205.08	10,912.42	9,074.77	(-)1,837.65		
आकस्मिक निधि से विनियोग (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0		
महायोग		57,937.83	7,074.57	65,012.40	50,694.35	(-)14,318.05		

स्रोत: विनियोग लेखें

जैसा कि उपरोक्त में दर्शाया गया है, बजटीय आंकड़ों से ₹ 14318.05, करोड़ की कुल निवल बचत हुई जो कि अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 14515.91 करोड़ की बचत का और ₹ 197.86 करोड़ के आधिक्य के प्रतिसंतुलन का परिणाम है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान कोई समर्पण नहीं किया गया।

2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट,पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.15 में दिया गया है।

तालिका-3.15: 2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट, पुनरीक्षित आकलन और वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021- 22
मूल बजट	39,957.78	45,585.09	48,663.90	53,526.97	57937.83
अनुपूरक बजट	3,015.75	2,452.40	2,533.90	4063.79	7074.57
पुनरीक्षित अनुमान	37,992.87	43,460.93	45,081.50	51,343.15	53130.62
वास्तविक व्यय	43,444.76	49,395.84	47,973.19	52,000.11	50694.35
बचत (-)/ आधिक्य(+)	(+) 471.23	(+) 1,358.35	(-)3,224.61	(-)5,590.65	(-)14318.05
बचत की प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	6.30	9.71	22.02

स्रोत:- संबन्धित वर्षों के बजट दस्तावेज़ तथा विनियोग लेखें

विनियोग लेखों में विचलन के स्पष्टीकरण का सार नीचे दिए गए चार्ट-3.6 में दिया गया है

चार्ट-3.6: विनियोग लेखे में विचलन के स्पष्टीकरण का सार



2021-22 के दौरान,राज्य सरकार ने 31 अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 1,203 विस्तृत शीर्षों के तहत व्यय निर्धारित किया। कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 1,203 विस्तृत शीर्षों में से 897 विस्तृत शीर्षों में भिन्नता (20 प्रतिशत अथवा अधिक) देखी गयी। 897 विस्तृत शीर्षों में से केवल 8 विस्तृत शीर्षों में स्पष्टीकरण दिया गया था। आगे, 1,203 विस्तृत शीर्षों में से 306 विस्तृत शीर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन विस्तृत शीर्षों में भिन्नता 20 प्रतिशत से कम थी।

3.9 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग कई बार विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत, विभिन्न प्रयोजनों के लिए बड़ी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए विधायिका को प्रतिवेदित करते हैं, लेकिन अंत में वे न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके भागों बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च करने में असमर्थ होते हैं। उसी जगह कुछ योजनाएँ धन की कमी के कारण अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, अपूर्ण योजनाओं के इच्छित लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार, वित्त मंत्री के बजट भाषण और अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कई नई नीतियों/योजनाओं को लागू करने के लिए घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात् एक बार की गतिविधि या आवृत्ती प्रकृति की होती हैं।

पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: पूँजीगत मतदेय खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
पूँजीगत (मतदेय)						
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	398.30	1.84	400.14	370.10	30.04
2	7 वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	394.94	746.00	1140.94	516.76	624.18
3	11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति	414.79	173.00	587.79	307.15	280.64
4	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	442.64	38.00	480.64	313.19	167.45
5	13 जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,824.98	480.88	2305.86	1,336.43	969.43
6	16 श्रम और रोजगार	92.01	25.00	117.01	51.15	65.86
7	19 ग्रामीण विकास	1403.17	722.67	2125.84	1596.36	529.48
8	20 सिंचाई और बाढ़	767.66	44.99	812.65	254.17	558.48
9	22 लोक निर्माण	1,402.02	300.00	1702.02	1,310.54	391.48
10	23 उद्योग	67.10	2.40	69.50	13.95	55.55
11	24 परिवहन	314.71	115.88	430.59	109.63	320.96
12	26 पर्यटन	122.40	30.00	152.40	111.23	41.17
13	28 पशुपालन	27.49	3.00	30.49	8.14	22.35
14	29 बागवानी विकास	20.5	0.44	20.94	15.94	5.00
15	30 अनुसूचित जातियों कल्याण	451.85	165.00	616.85	313.81	303.04
16	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	148.05	66.02	214.07	119.18	94.89
	कुल	8,292.61	2,915.12	11,207.73	6,747.73	4,460.00

वर्ष के दौरान, धन की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या उन योजनाओं /परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी खंड के अंतर्गत ₹ 4,460.00 करोड़ की बचत का उपयोग किया जा सकता था।

3.10 विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन।

पुनर्विनियोग आदेशों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी पुनर्विनियोग वित्त विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए थे। अनुदान और मूल बजट के योजनाओं के अंतर्गत ₹ 766.86 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद पुनर्विनियोग का कोई प्रकरण नहीं हुआ है।

3.11 व्यय की तीव्रता

उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय XVII के प्रस्तर 183 में अंकित है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता से बचा जाना चाहिए। उचित वित्तीय प्रबंधन के लिए, व्यय की एक समान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2021-22 के लिए पाँच मुख्य शीर्षों से संबन्धित कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2022 में किया गया, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका-3.17 में सूचीबद्ध है।

तालिका-3.17: अनुदान, जहां केवल मार्च माह में ही 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया था (प्रतिशत में)


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में
1	2015	चुनाव	5.75	8.37	12.88	87.74	114.74	65.85	57.39
2	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	12.79	23.48	23.25	120.41	179.93	97.81	54.36
3	2408	खाद्य भंडारण और गोदाम	9.91	9.03	11.22	58.34	88.50	49.90	56.38
4	4700	प्रमुख सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (1)	0	22.53	19.59	76.47	118.59	68.08	57.41
5	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	0	14.38	11.30	71.83	97.51	58.31	59.80
कुल			28.45	77.79	78.24	414.79	599.27	339.95	56.73

मासिक व्यय में एकरूपता नहीं थी जैसा कि उत्तराखंड बजट नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, क्योंकि पाँच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय का 69.22 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में किया गया था। तथापि, माह के दौरान आहरित कोई धनराशि लोक लेखों में हस्तांतरित नहीं की गई थी।


मासिक प्राप्तियाँ और इन प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय का विवरण नीचे चार्ट-3.7 में दिया गया है।

चार्ट-3.7: वर्ष 2021-22 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय (₹ करोड़ में)



चुनाव विभाग में वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए मासिक व्यय विवरण के साथ माह मार्च 2022 में किए गए अधिकतम व्यय प्रतिशतता का विवरण नीचे चार्ट-3.8 में दिया गया है।

चार्ट-3.8: मार्च माह के अधिकतम व्यय प्रतिशतता के साथ चुनाव विभाग का माहवार व्यय



जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि चुनाव विभाग के अंतर्गत व्यय का 56 प्रतिशत व्यय माह मार्च 2022 में व्यय किया गया था। माह के दौरान विभाग द्वारा आहरित कोई राशि लोक लेखा में हस्तांतरित नहीं की गई।

3.12 चयनित अनुदानों की समीक्षा

3.12.1 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या-22: लोक निर्माण, 25:, खाद्यान्न के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

अनुदान संख्या 22. लोक निर्माण

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.45 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष से 12.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि तालिका-3.18 में सारांशित है।

तालिका-3.18: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2059 - लोक निर्माण 2216- आवास 3054-सड़कें और पुल	2019-20	841.38	51.90	893.28	666.68	226.60	25.37	लागू नहीं
	2020-21	966.86	20.00	986.86	769.70	217.16	22.01	15.45
	2021-22	957.34	110.14	1067.48	867.78	199.70	18.71	12.74
	योग	2,765.58	182.04	2,947.62	2,304.16	643.46	21.83	--

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान निरंतर बचत हुई। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान ₹ 182.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि विगत तीन वर्षों में मूल प्रावधान (₹ 2,765.58 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 2,304.16 करोड़) से अधिक था। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत उपखंड के एक उप शीर्ष (2059-80-051-03) विकास निर्माण कार्य में ₹ 5.68 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। उक्त शीर्ष में अंतिम बचत ₹82.14 करोड़ थी जो कि पूरक प्रावधान से अधिक थी। इसने आगे पाया गया कि प्रमुख शीर्ष 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 799-उचंत शीर्ष के तहत, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बिना किसी लेनदेन के ₹ 419.50 करोड़ की जमा राशि मौजूद है। समापन शेष विभिन्न पार्टियों (ठेकेदारों, कर्मचारियों, जमाकर्ताओं) से वसूली योग्य राशि को दर्शाती है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्ष 2059/3054/5054 के तहत 799 उचन्त शीर्ष के तहत कोई बजटीय आवंटन नहीं है। तथ्यि, 2021-22 के दौरान स्टॉक की खरीद के उदाहरण थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग मामले को संबन्धित विभाग के समक्ष उठाएगा।

इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति में विविधता थी। ₹ 20 करोड़ से अधिक के विचलन को आधार के रूप में लिया गया है। विवरण नीचे तालिका-3.19 में दिखाया गया है।

तालिका-3.19: अनुदान में विगत वर्षों की तुलना में व्यय में बड़े अंतर की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
			2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1.	सड़कें और पुल जिला और अन्य सड़कें सड़क निर्माण का रखरखाव और मरम्मत	3054-04-337-03	18246.92	29826.09	38462.09	11579.17	8636.00	63.46	28.95

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 23.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 के दौरान पूर्व वर्ष के सापेक्ष में 25.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसाकि नीचे तालिका-3.20 में सारांशित है।

तालिका-3.20: 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4059-लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय 5054-सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय	2019-20	1047.00	182.00	1229.00	848.83	380.17	30.93	-
	2020-21	1079.70	200.00	1279.70	1044.64	235.06	18.37	23.07
	2021-22	1402.02	300.00	1702.02	1310.54	391.48	23.00	25.45
योग		3528.72	682.00	4210.72	3204.01	1006.71	23.91	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 682.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 3,528.72 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 3,204.01 करोड़ से काफी अधिक था। आगे, सड़क एवं पुल (5054-04-337-03) के अंतर्गत एक उपशीर्ष राज्य क्षेत्र के सड़क कार्य में ₹ 100.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि उपशीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत ₹ 146.24 करोड़ थी जो उपशीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

अनुदान संख्या-22 में पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक विचलन का विवरण तालिका-3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.21: पिछले वर्षों की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
			2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
			वित्तीय वर्ष						
1	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़कों कार्य केंद्र प्रायोजित योजना	5054-04-337-01	1090.97	8517.85	23045.69	7426.88	14527.84	680.76	170.56
2	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़क कार्यराज्य क्षेत्र	5054-04-337-03	52824.04	62073.14	80744.38	9249.10	18671.24	17.51	30.08
3	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला और अन्य सड़क कार्य नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित	5054-04-377-98	25402.64	25952.10	22127.55	549.46	-3824.55	2.16	-14.74

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख।

मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों के भीतर विचलन की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्ष के दौरान व्यय विचलन विगत वर्ष की तुलना में (-)14.74 प्रतिशत से 170.56 प्रतिशत के बीच था। यह अनुदान के लघु शीर्षों में अनुपयुक्त व्यय प्रवृत्ति को दर्शाता है।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष के अन्त में विभाग 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र बजट आवंटन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था (₹ एक करोड़ को आधार के रूप में लिया गया है)।

तालिका-3.22: 2019-20 से 2021-22 के दौरान अनुपयोगी समग्र प्रावधान की सारांशीकृत स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1.	2019-20	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय जिला एवं अन्य सड़कों, जीर्ण स्लिप जोन के उपचार हेतु सड़क कार्य का प्रावधान	5054-04-337-06	500.00	0.00	500.00
2.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय प्रमुख शहरों में नलिकाएं बिछाने का कार्य	5054-05-337-03	500.00	0.00	500.00
3.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सामान्य निवेश, उत्तराखंड बुनियादी ढांचा विकास निगम को शेयर पूंजी	5054-80-190-03	300.00	100.00	400.00
उप योग						1400.00
4.	2020-21	सड़कों एवं पुलों, जिला एवं अन्य सड़कों पर पूंजीगत परिव्यय, जीर्ण स्लिप जोन के उपचार हेतु सड़क कार्य का प्रावधान	5054-04-337-06	500.00	0.00	500.00
5.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, प्रमुख शहरों में सड़क कार्य नलिकाएं बिछाने का कार्य	5054-05-337-03	500.00	0.00	500.00
6.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सामान्य निवेश, उत्तराखंड बुनियादी ढांचा विकास निगम को शेयर पूंजी	5054-80-190-03	400.00	0.00	400.00
उप-योग						1400.00
7.	2021-22	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, प्रमुख शहरों में सड़क कार्य, नलिकाएं बिछाने का कार्य	5054-05-337-03	500.00	0.00	500.00
8.		सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सामान्य निवेश, उत्तराखंड बुनियादी ढांचा विकास निगम को शेयर पूंजी	5054-80-190-03	200.00	0.00	200.00
उप-योग						700.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

जैसाकि देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कुछ योजनाओं में लगातार पूर्ण बजट का उपयोग नहीं करने के प्रकरण विद्यमान थे।

द. प्राप्तियाँ

2019-20 से 2021-22 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष-0059, 0216 एवं 1054 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.23 में सारांशित है।

तालिका-3.23: अनुदान के मुख्य शीर्ष-0059, 0216 एवं 1054 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
0059-लोक निर्माण	2019-20	41.16	41.16	52.59	11.43	27.77
	2020-21	45.62	41.16	62.19	21.03	51.09
	2021-22	20.12	37.62	46.27	8.65	22.99
0216-आवास	2019-20	10.50	10.50	7.80	(-)2.7	(-)25.71
	2020-21	10.50	7.50	7.42	(-)0.08	(-)1.07
	2021-22	8.00	7.73	7.72	(-)0.01	(-)0.13
1054-सड़कें और पुल	2019-20	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100
	2020-21	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100
	2021-22	0.02	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

यद्यपि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.24 में दिया गया है।

तालिका-3.24: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
1.	0059-01-011 (किराया)	2019-20	0.03	0.03	0.30	0.27	900.00
		2020-21	0.09	0.09	2.21	2.12	2355.56
		2021-22	0.09	1.09	1.25	0.16	14.68
2.	0059-01-103 (प्रतिशत प्रभार की वसूली)	2019-20	3.50	3.50	31.73	-28.23	-806.57
		2020-21	3.50	3.04	24.13	21.09	693.75
		2021-22	3.50	20.00	16.40	-3.60	-18.00
3.	0059-01-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2019-20	37.63	37.63	20.56	-17.07	-45.36
		2020-21	42.03	38.03	35.86	-2.17	-5.71
		2021-22	16.53	16.53	18.62	2.09	12.64
4.	0216-01-106 (सामान्य पूल आवास)	2019-20	10.50	10.50	7.80	-2.70	-25.71
		2020-21	10.50	7.50	7.42	-0.08	-1.07
		2021-22	8.00	7.73	7.72	-0.01	-0.13
5.	0216-02-800 (अन्य प्राप्तियाँ)	2019-20	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
		2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	पुनरीक्षित आकलन से आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन से विचलन प्रतिशत
6.	1054-102-01 (स्थायी पुलों पर रोड टैक्स)	2019-20	0.01	0.01	0	-0.01	-100.00
		2020-21	0.01	0.01	0	-0.01	-100.00
		2021-22	0.01	0.01	0	-0.01	-100.00

स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे।

अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि केवल तीन मुख्यशीर्ष है जिसके अंतर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं और प्राप्तियों को मुख्यतः पाँच लघु शीर्ष³ में दर्ज किया जाता है।

अनुदान संख्या-25: खाद्य

अ. राजस्व व्यय

2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय में 89.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 11.86 प्रतिशत की और वृद्धि हुई, जैसाकि तालिका-3.25 में सारांशित है।

तालिका-3.25: 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	विगत वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
2408-खाद्य भंडारण एवं गोदाम	2019-20	224.32	1.27	225.59	48.52	177.07	78.49	-
	2020-21	222.49	0.65	223.14	92.14	131	58.71	89.90
3456- नागरिक आपूर्ति	2021-22	163.47	0.11	163.58	103.07	60.51	36.99	11.86
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं								
कुल		610.28	2.03	612.31	243.73	368.58	60.19	

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान लगातार बचत हुई। इस अवधि के दौरान, ₹ 2.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 610.28 करोड़) वास्तविक व्यय ₹ 243.73 करोड़ से कहीं अधिक था। विगत तीन वर्षों के लिए इस अनुदान के नीचे कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय की नमूना जाँच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यय

³ 011-किराया, 103- प्रतिशत प्रभार की वसूली, 800- अन्य प्राप्तियाँ 106- सामान्य पूल आवास और 01- स्थायी पुलों पर रोड टैक्स

की प्रवृत्ति में विचलन हुआ है। ₹ 20 करोड़ से अधिक के योजना परिव्यय के लिए अनुदान के लघु शीर्षों के अंतर्गत उपशीर्ष स्तर पर कोई अनुचित व्यय पैटर्न नहीं था।

ब. पूँजीगत व्यय

विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय में 90.79 प्रतिशत की कमी और 2021-22 में 450.25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जैसा कि तालिका-3.26 में सारांशित है।

तालिका-3.26: 2019-20 से 2021-22 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति
(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रतिशत में	
							बचत	पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में विचलन
4408- खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूँजीगत परिव्यय	2019-20	28.50	0	28.50	1011.08	(+)982.58	(+)3447.65	-
	2020-21	12.00	0	12.00	93.17	(+)81.17	(+)676.42	-90.79
	2021-22	518.02	0	518.02	512.67	(-)5.35	(-)1.03	450.25
कुल		558.52	0	558.52	1616.92	(+)1058.40	(+)189.50	--

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान अधिकता हुई थी। हालांकि, 2021-22 में बचत देखने को मिली है।

अनुदान संख्या 25 में पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्येक उपशीर्ष के अंतर्गत ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की भिन्नताओं का विवरण तालिका-3.27 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.27: अनुदान संख्या 25 में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में व्यापक विचलन की प्रवृत्ति
(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
			2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
1.	खाद्य भंडारण और गोदाम, पर पूँजीगत परिव्यय, खाद्य खरीद, और आपूर्ति सीएसएस	4408-01-101-01	100940.25	9167.41	51156.92	(-)91772.84	41989.51	(-)90.92	458.03

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति हेतु खाद्यान्न उपार्जन हेतु मुख्य शीर्ष 4408 के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि आहरित करता है। उक्त खाद्यान्न की बिक्री पर हुई वसूली को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। मुख्य शीर्ष 4408-01-101 के तहत खाद्यान्न की खरीद के लिए धन के वितरण, वसूली और प्रगतिशील शेष की स्थिति तालिका-3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.28: पूंजीगत शीर्ष 4408 के तहत खाद्यान्न की खरीद और आपूर्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति	वर्ष के दौरान वसूली	प्रगतिशील व्यय
2019-20	568.67	1.15	2,789.03
2020-21	69.79	0.00	2,858.82
2021-22	492.87	0.00	3,351.69

स्रोत: वित्तीय लेखे।

मार्च 2022 तक ₹ 3351.69 के प्रगामी शेष का विभाग के प्रोफार्मा लेखाओं से मिलान नहीं किया गया क्योंकि यह 2015-16 से तैयार नहीं किया गया था। आगे, वर्ष 2014-15 के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तुलन पत्र के विवरण की उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे से तुलना करने पर यह पाया गया कि तुलन पत्र में स्टॉक का अन्तिम शेष ₹ 217.95 करोड़ दर्शाया गया था जबकि वित्त लेखे अंतिम शेष को ₹ 361.57 करोड़ दर्शाता है। इस प्रकार ₹ 143.62 करोड़ का अंतर था जिसे राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जा रहा है।

समापन गोष्ठी के दौरान सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांचा जाएगा। खाद्य विभागों को वर्ष 2015-16 से आगे के वार्षिक लेखे शीघ्र तैयार करने एवं प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान वर्ष के अंत तक सम्पूर्ण प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.29 में दिया गया है।

तालिका-3.29: 2019-20 से 2021-22 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
1	2019-20	खाद्य, भंडारण और गोदाम, खाद्य सब्सिडी केंद्रीय योजना/ केंद्र प्रायोजित योजना	2408-01-102-01	10000.00	0.00	10000.00
2		खाद्य, भण्डारण एवं गोदाम, खाद्य सब्सिडी, चीनी वितरण योजनान्तर्गत परिवहन एवं कर का भुगतान	2408-01-102-05	1000.00	0.00	1000.00
3		खाद्य, भण्डारण एवं गोदाम, खाद्य सब्सिडी, राज्य खाद्य योजना	2408-01-102-06	5500.00	0.00	5500.00

क्र. सं.	वर्ष	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	मूल	अनुपूरक	बचत
4		खाद्य भंडारण एवं गोदाम, पर पूंजी गत परिव्यय, खाद्य अन्य व्यय, गोदामों का निर्माण	4408-01-800-05	300.00	0.00	300.00
5	2020-21	खाद्य, भंडारण और खाद्य सब्सिडी राज्य खाद्य योजना	2408-01-102-06	5000.00	0.00	5000.00
6		अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, बाट और माप का विनियमन, केंद्रीय योजना / केंद्र प्रायोजित योजना	3475-106-01	200.00	0.00	200.00
7		खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर पूंजी परिव्यय, अन्य व्यय खाद्य आयुक्त के भवन का निर्माण	4408-01-800-04	100.00	0.00	100.00
8	2021-22	खाद्य, भंडारण और गोदाम, खाद्य सब्सिडी, राज्य खाद्य योजना	2408-01-102-06	3357.50	0.00	3357.50
9		खाद्य भंडारण और खाद्य गोदाम खाद्य खरीद और आपूर्ति, सी एस एस में राज्य का हिस्सा पर पूंजी परिव्यय	4408-01-101-95	100.50	0.00	100.50

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

2019-20 से 2021-22 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0408, 1456 और 1475 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-3.30 में सारांशित है।

तालिका-3.30: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0408, 1456 और 1475 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति
(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/ कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
0408-खाद्य भंडारण और गोदाम	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020-21	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
	2021-22	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
1456 - नागरिक आपूर्ति	2019-20	0.40	0.40	0.38	(-)0.02	(-)5.00
	2020-21	0.40	0.61	0.90	0.29	47.54
	2021-22	0.65	0.70	0.75	0.05	7.14
1475 - अन्य	2019-20	7.99	8.99	8.70	(-)0.29	3.23

लेखा शीर्ष		बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2020-21	9.49	6.09	6.70	0.61	10.02
	2021-22	7.99	7.99	7.74	(-)0.25	(-)3.13

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में विगत वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के आकलन में कमी/आधिक्य पाया गया जैसाकि तालिका-3.31 में दिया गया है।

तालिका-3.31: मुख्य शीर्ष -0408,1456,1475 के अंतर्गत प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य(+)/कमी(-)	पुनरीक्षित आकलन में विचलन प्रतिशतता
1.	0408-101-01	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
		2021-22	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
2.	0408-800-01	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2020-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
		2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	1456-800-01	2019-20	0.40	0.40	0.38	-0.02	-5.00
		2020-21	0.40	0.61	0.90	0.29	47.54
		2021-22	0.65	0.70	0.75	0.05	7.14
4.	1475-106-01	2019-20	7.00	8.00	7.27	-0.73	-9.13
		2020-21	8.50	5.50	5.32	-0.18	-3.27
		2021-22	7.50	7.50	5.89	-1.61	-21.47
5.	1475-200-03	2019-20	1.00	1.00	1.34	0.34	34.00
		2020-21	1.00	0.60	1.28	0.68	113.33
		2021-22	0.50	0.50	1.67	1.17	234.00

स्रोत: बजट एवं वित्तीय लेखे।

अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत प्राप्तियों के विश्लेषण दर्शाते हैं कि तीन मुख्य शीर्ष⁴ हैं जिनके अन्तर्गत प्राप्तियाँ दर्ज की जाती हैं।

⁴ 0408-खाद्य भंडारण और गोदाम, 1456-नागरिक आपूर्ति और 1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

3.13 निष्कर्ष

- 2021-22 के दौरान, ₹ 65,012.40 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के सापेक्ष ₹ 14,318.05 करोड़ की कुल बचत हुई।
- 40 प्रकरणों में ₹ 7,072.07 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 40 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधानों में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- विधायी स्वीकृति के बिना वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक की अवधि से संबन्धित व्ययाधिक्य की धनराशि ₹ 47,758.16 करोड़ को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना बाकी है।
- ₹ 19.64 करोड़ का व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस व्यय को पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण कार्यों से संबंधित था, जिसे सामान्यतः पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार, ₹ 25.57 करोड़ का व्यय पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। यह व्यय राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि, यह व्यय सहायता अनुदान, लघु निर्माण कार्य और रख-रखाव से संबंधित था।

3.14 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को अपने बजटीय आकलन में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत का आकलन और समर्पण कर सकती है ताकि अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।*
- *राज्य सरकार को राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय में एवं पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय में दर्ज करने के प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।*

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

अध्याय-4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर एक अवलोकन प्रदान करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक कुशल आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ समयबद्धता और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता कुशल शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी और परिचालित है, तो सामरिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 राज्य के लोक लेखा अथवा समेकित निधि के अलावा कोष

4.1.1 नियामक

संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में नियामक प्राधिकरण 'राज्य' हैं। उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा धन 'सरकार की ओर से' कार्य के निर्वहन के कारण है। इसलिए, उनकी निधियों को भारत/ राज्य के लोक लेखे में रखा जाना चाहिए। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के कानून मंत्रालय की निर्धारित स्थिति है।

उत्तराखण्ड राज्य में दो नियामक प्राधिकरण अस्तित्व में हैं, नामतः उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग तथा उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण, जिनकी स्थिति नीचे तालिका-4.1 में दी गई है।

तालिका-4.1: नियामकों और निधियों का विवरण

क्र. सं.	नियामक प्राधिकरण का नाम	निधि का गठन	शासन पर बकाया राशि
1.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	निधि का रख-रखाव किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में किया जाएगा और ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं में सहायक लेखों का रख रखाव किया जाएगा। कोष में लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, अर्थ दंड और प्राप्तियाँ समिलित होंगी।	सरकार पर कोई धनराशि बकाया नहीं है।
2.	उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण	उपरोक्तानुसार	सरकार पर कोई धनराशि बकाया नहीं है।

4.2 विभागों की स्पष्ट देयताओं को सम्मिलित नहीं करना

31 मार्च 2022 तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के तहत चिकित्सा विभाग पर दवा खरीद एवं अस्पताल के टाई-अप बिलों की ₹ 182.28 करोड़ की आस्थगित देनदारी थी, जिसका विवरण तालिका-4.2 नीचे में दिया गया है।

तालिका-4.2: वित्तीय वर्ष के दौरान स्पष्ट देनदारियों को शामिल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	देयता के कारण	कुल राशि
1.	चिकित्सा विभाग (ईएसआईएस)	अस्पताल दवा खरीद एवं अस्पताल के टाई-अप बिल	182.28
योग			182.28

4.3 ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के ब्याज के सम्बंध में देनदारियों का निर्वहन नहीं किया जाना

ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं (लेखों के मुख्य लेखा शीर्ष -8342) में धनराशि पर ब्याज की व्यवस्था करना और भुगतान करना सरकार की एक देयता है। इस संबंध में देयता के निर्वहन न किए जाने का विवरण निम्न तालिका-4.3 में दिया गया है:

तालिका-4.3: ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज युक्त आरक्षित निधियों व जमाओं का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष राशि	ब्याज दर	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	ब्याज युक्त आरक्षित निधि एसडीआरएफ) एवं कैम्पा सहित(3,343.45	4.00 प्रतिशत डब्लू एवं एम की ब्याज दर का औसत	133.74
2.	ब्याज युक्त जमा सी पी एस मु. शी. (8432-117 को छोड़कर)	321.69	4.00 प्रतिशत डब्लू एवं एम की ब्याज दर का औसत	12.87
3.	एनपीएस के तहत अहस्तांतरित राशि (117-8342)	139.20	सरकार द्वारा 7.10 प्रतिशत अधिसूचित / जी. पी. एफ. को देय	9.88
योग		3,804.34		156.49

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के 2021-22 के वित्त लेखों

राज्य सरकार को वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज युक्त आरक्षित एवं जमा राशि के प्रारंभिक शेष पर 4.00 प्रतिशत और 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान करने की आवश्यकता थी। हालांकि, सरकार ने वर्ष के दौरान इन जमाओं पर ₹ 156.49 करोड़ का आवश्यक प्रावधान नहीं किया। इसलिए, इसने उस सीमा तक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया।

4.4 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है। ये स्थानान्तरण वित्त लेखों के खंड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किए गए हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता/ के अर्न्तगत दी जाने वाली समस्त सहायता को क्रियान्वयन एजेंसियों को अवमुक्त न कर सीधे राज्य सरकार को दिये जाने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई। चूँकि ये धनराशि राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती है, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। महालेखानियंत्रक के सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड में 106 योजनाओं के अंतर्गत 298 क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 4,825.65 करोड़ हस्तांतरित किए। क्रियान्वयन एजेंसियों को धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2020-21 में ₹ 4,056.80 करोड़ से 18.95 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,825.65 करोड़ हो गया है। कुछ प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्हें 2021-22 के दौरान भारत सरकार से सीधे धन प्राप्त हुआ था, नीचे तालिका-4.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-4.4: क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्होंने 2021-22 के दौरान भारत सरकार से सीधे धनराशि (₹ 50 करोड़ से अधिक) प्राप्त की

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2021-22 के दौरान जारी की गई धनराशि
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की अंतर्राज्यीय आवाजाही तथा राशन विक्रेताओं के मार्जन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	67.19
2.	रा खा सु अधि के तहत खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड	1554.43
3.	हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ - उत्तराखंड लिमिटेड	62.60
4.	जल जीवन मिशन .एम.जे.जे)/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्ल्यू एस एम उत्तराखंड, देहरादून	721.90
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	505.98
6.	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, उत्तराखंड	547.62
7.	प्रधान मंत्री स्वस्थ सुरक्षा योजना	एमएस ऋषिकेश	644.26
8.	स्वामीत्व	सर्वे ऑफ इंडिया, उत्तराखंड लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण सोसायटी	131.49

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा 2021-22 के दौरान जारी की गई धनराशि
9.	सीजन के लिए चीनी 20-2019मिलों को सहायता हेतु योजना	उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, द बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड।	75.33
10.	उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय व आंतरिक परिवहन और माल ढुलाई की लागत सहित विपणन लागत पर खर्च के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने की योजना।	उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, द बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड।	75.90
योग			4,386.70


क्रियान्वयन एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधे हस्तांतरित धनराशि का समग्र विवरण तालिका4.-5 में प्रदर्शित है।

तालिका-4.5: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित धनराशि

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित धनराशि (₹ करोड़ में)	2,304.31	4,056.80	4,825.65

क्रियान्वयन एजेंसियों की श्रेणी जिन्होंने भारत सरकार से 2021-2 के दौरान विभिन्न विकासत्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सीधे धनराशि प्राप्त की तथा उस धनराशि की मात्रा का विवरण चार्ट-4.1 में दिया गया है।

चार्ट-4.1: क्रियान्वयन एजेंसियों की श्रेणी जिन्होंने भारत सरकार से 2021-2 के दौरान सीधे धन प्राप्त किया



स्रोत: 2021-22 के लिए पी एफ एम एस डाटा।

4.5 स्थानीय निधियों में जमा

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (खंड 40, 80 और 119) के अनुसार पंचायत निकाय निधि शासकीय कोषागार और उप कोषागार अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय बैंक, सहकारी बैंक और डाक घर में रखी जाएगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 (खंड 115) जिसे उत्तराखण्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है, के अनुसार भी नगर निगम निधियाँ, (यू.एल.बी. के लिए) शासकीय कोषागार अथवा उप कोषागार अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी। यू.एल.बी. ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से जबकि पी.आर.आई. राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

तालिका-4.6: स्थानीय निधि में जमा

(₹ करोड़ में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पंचायत निकाय निधि (8448-109)	प्रारम्भिक शेष	14.62	14.62	14.79	14.79	14.79
	प्राप्ति	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
	व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतिम शेष	14.62	14.79	14.79	14.79	14.79
	प्रतिशत उपयोगिता	0	0	0	0	0
नगर पालिका निधि (8448-102)	प्रारम्भिक शेष	66.15	236.59	340.59	441.61	495.41
	प्राप्ति	728.37	711.61	835.76	941.81	660.00
	व्यय	557.93	607.61	734.74	888.01	943.86
	अंतिम शेष	236.59	340.59	441.61	495.41	211.56
	प्रतिशत उपयोगिता	70.22	64.08	62.46	64.19	81.69

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया वित्त लेखा 2021-22।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका-4.6 से स्पष्ट है, पंचायत निकाय कोष 2017-18 से लगभग निष्क्रिय है। हालाँकि, नगरपालिका कोष संचालन में है और 31 मार्च 2022 तक इसमें ₹ 211.56 करोड़ का समग्र शेष है। इसके अलावा, नगरपालिका कोष में प्रतिशत उपयोग 2017-18 से 2019-20 तक घट रहा है। 2019-20 में धनराशि का उपयोग 62.46 प्रतिशत, 2020-21 में 64.19 प्रतिशत था। हालांकि, वर्ष के दौरान उपयोगिता प्रतिशत में 17.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 81.69 प्रतिशत थी।

4.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब¹

उत्तराखण्ड वित्तीय नियमों के प्रस्तर 369-सी सी (ए) में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए अनुदानों के लिए, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) विभागीय अधिकारियों द्वारा इस रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसाकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सहमति दी गई है और इसे अनुदानों की स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, महालेखाकार (लेखा और हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

¹ अनुदान नियंत्रक अधिकारियों से वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 4,018.23 करोड़ (पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान = ₹ 706.10 करोड़ और वेतन के अतिरिक्त सहायक अनुदान ₹ 3,312.13 करोड़) के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे।

मार्च, 2022 तक ₹ 2,571.00 करोड़ के कुल 622 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के संबंध में आयु-वार स्थिति को तालिका-4.7 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.7: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		प्रस्तुत करने के लिए देय	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2019-20 तक	119	353.33	149	1537.25	67	253.89	201	1,636.69
2020-21	201	1,636.69	338	1,016.32	82	764.04	457	1,888.97
2021-22	457	1,888.97	301*	1,180.92	136	498.89	622	2,571.00

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड।


* उनको छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, 2021-22 के दौरान निकाले गए सहायता अनुदान की उ प्र केवल 2022-23 में देय होती है।

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2022 तक जमा करने के योग्य 321 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए, जिसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों हेतु मार्च 2021 तक ₹ 1390.08 करोड़ की धनराशि दी गई थी। उपरोक्त में से, ₹ 505.00 करोड़ की धनराशि वाले 79 उपयोगिता प्रमाणपत्र अगस्त 2022 तक प्राप्त हुए थे। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, पंचायती राज संस्थानों/शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित थे। 31 मार्च 2022 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण नीचे तालिका-4.8 में दिया गया है।

तालिका-4.8: 31.03.2022 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र का वर्षवार विवरण

वर्ष जिस में सहायता अनुदान स्थानांतरित किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	08	20.82
2020-21	39	384.86
2021-22	274	984.40
योग	321	1390.08

उपयोगिता प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए ये स्वीकृत किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र का लंबित होना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुवीक्षण में सुधार हुआ है। अधिकतम बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। इस संबंध में सचिव वित्त ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा 50 लाख एवं अधिक मूल्य के गैर-वेतन अनुदानों के शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुवीक्षण करने का आश्वासन दिया।



4.6.1 अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में दर्ज करना

कुछ राज्यों में सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने का एक तंत्र है। ये अनुदान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की वी एल सी प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के बकाया धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र की निगरानी की जाती है। इस प्रणाली को काम करने के लिए, अनुदानग्राही संस्थान को ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। उचित कोड के अभाव में, प्रत्येक संस्थानों के सापेक्ष बकाया धनराशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 228 के अनुसार, यदि अनुदान सहायता राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यह आवश्यक है कि सरकार लेखों की पारदर्शिता के लिए अनुदानग्राही संस्था के विवरण और प्रकृति प्रदान करे।

4.7 सार आकस्मिक बिल

वर्ष 2021-22 तक आकस्मिक बिलों (ए सी) के सापेक्ष लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी सी) का वर्षवार विवरण तालिका-4.9 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.9: ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी सी बिलों के जमा करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		परिवर्धन		निकासी		अंतिम शेष	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2019-20 तक	10	0.56	61	6.03	34	3.58	37	3.01
2020-21	37	3.01	78	5.67	38	5.24	77	3.44
2021-22	77	3.44	321	93.46	155	69.57	243	27.33


स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा संकलित सूचना।

तालिका-4.9 से पता चलता है कि 2021-22 के दौरान ₹ 93.46 करोड़ की धनराशि के लिए 321 ए सी बिल आहरित किए गए तथा ₹ 69.57 करोड़ की धनराशि के लिये 155 डी सी सी बिलों को वर्ष

के दौरान प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2022 तक ₹ 27.33 करोड़ के 243 ए. सी. बिल बकाया थे। बकाया 243 ए सी बिलों में ₹ 0.20 करोड़ की धनराशि के तीन बिल 2020-21 से संबंधित थे तथा ₹ 27.13 करोड़ की धनराशि के 240 बिल 2021-22 से संबंधित थे। हालाँकि, 31 अगस्त 2022 तक ₹ 8.27 करोड़ की राशि के 125 डी सी सी बिल प्राप्त हुए।

सभी विभागों से संबन्धित लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति को चार्ट-4.3 में दिया गया है।

चार्ट-4.3 बकाया डी.सी.सी. बिल



आहरित किये गये अग्रिम जो लेखाबद्ध नहीं किये गए हों अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुष्कृत्य की संभावना को बढ़ाते हैं इसलिए, डी सी सी बिल जमा हो यह ही सुनिश्चित करने के लिए कड़े अनुवीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, डी सी सी बिलों की अप्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4.7.1 स्वयं के खार्तों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ

डीसी बिलों के अनुवीक्षण का उद्देश्य निधि के अंतिम निष्पादन के आश्वासन की जांच करना है क्योंकि एसी बिलों के माध्यम से केवल निधि के अंतिम उपयोग के लिए किसी प्राधिकरण को पैसा हस्तांतरित किया जाता है। यह बिल निधि के व्यय से संबंधित किसी दस्तावेज/सहायक वाउचर से समर्थित नहीं होते हैं। इसी तरह जिन मामलों में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के बैंक खाते में धन हस्तांतरित किया गया था या निर्माण कार्य आदि के लिए किसी कार्यदायी संस्था को दिया गया था, वे भी केवल धन के हस्तांतरण से संबंधित हैं और निष्पादन से संबंधित किसी भी दस्तावेज/सहायक वाउचर के साथ समर्थित नहीं हैं। इस प्रकार, इन निधियों का अनुवीक्षण करना भी अपेक्षित है। 2021-22 के दौरान दर्ज किए गए ऐसे व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-4.10: स्वयं के खाते और कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के खाते में हस्तांतरित	2,464.59
कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित	8,252.84
योग	10,717.43

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, एसी बिल के माध्यम से केवल ₹ 27.33 करोड़ आच्छादित हैं, जिसका अनुवीक्षण किया जा रहा है, जबकि स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ, ₹ 10,717.43 करोड़ वर्ष 2021-22 में आच्छादित हैं। निधि के अंतिम उपयोग के आश्वासन के अभाव में व्यय की इतनी बड़ी राशि नज़र अंदाज़ नहीं की जा सकती है।

4.8 व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए सरकार संचित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा (पी डी) खाते खोलने के लिए अधिकृत है। वित्तीय नियम पुस्तिका भाग-5 (भाग-1) के प्रस्तर 340(ब)(2) के प्रावधान विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि, निधियों की निकासी, जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, तय होगी और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा के लिए सरकारी लेखे से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, बजट अनुदान के कालातीत होने से बचने और इस तरह के धन को लोक लेखे में या बैंक के पास जमा करने की दृष्टि से धन निकालने की प्रथा वर्जित है।

2021-22 के अंत में, 45 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 188.07 करोड़ की अनपेक्षित शेष धनराशि राज्य के संचित निधि में अहस्तांतरित रही। 2021-22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति को तालिका-4.11 में दिया गया है।

तालिका-4.11: 2021-2 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (106-8443 मुख्य शीर्ष)की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान बंद		अंतिम शेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
45	155.53	01	360.02	01	327.48	45	188.07*

*कुल व्यक्तिगत लेखे एवं इन लेखों की राशि वित्त लेखों के आंकड़ों से गिन्न है।

निम्न तालिका में वित्त वर्ष 2017-22 के दौरान अंतिम दिन को 8443-106 जिला अधिकारी, देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी धनराशि की स्थिति दी गई है।

तालिका-4.12: 2017-18 से 2021-22 के दौरान डी.एम. देहरादून के व्यक्तिगत जमा खातों में धन का पडा रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पी डी ए में रखी धनराशि	93.59	98.36	96.18	97.68	97.68

राज्य में 31 मार्च 2022 तक ₹ 188.07 करोड़ के अंतिम शेष के साथ 45 व्यक्तिगत जमा खाते थे। जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के एक व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित ₹ 97.68 करोड़ (51.94 प्रतिशत) की राशि थी। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पूर्व अनुमोदन के बाद खाता संचालित किया जा रहा था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इसे बंद करने की आवश्यकता थी और शेष राशि संचित निधि में हस्तांतरित करनी थी। यह भी पाया गया कि डी एम, देहरादून के पी एल ए में जमा राशि राज्य सरकार के अन्य विभागों के उपयोग के लिए थी, जैसे राज्य संपदा विभाग (₹ 67.37 करोड़), विधान सभा (₹ 1.30 करोड़), खेल विभाग (₹ 10.00 करोड़) और उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय विभाग (₹ 5.13 करोड़) तथा यह तीन वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी पड़े थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस लेखे से ₹ 3.95 करोड़ खर्च किए गए थे, और ₹ 1.76 करोड़ इस खाते में स्थानांतरित किए गए थे। व्यक्तिगत जमा लेखों में पड़ी हुई राशियाँ परिणाम स्वरूप व्यय को उस सीमा तक अधिक दर्शाती हैं। व्यक्तिगत जमा लेखों का समय-समय पर मिलान न करना और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी बकाया शेष राशि को संचित निधि में हस्तांतरित नहीं करना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने अवगत कराया कि हाल ही में 4 जनवरी 2023 को तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा खातों के निपटान/बंद करने के संबंध में एक सरकारी आदेश (स आ) जारी किया गया है।

तालिका-4.13: डी. एम. देहरादून के अलावा शीर्ष पांच पीडीए/पीएलए धारक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नाम पर पी. डी. ए./ पी.एल. ए. स्वीकृत किया गया है।	कब से संचालित है।	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	जमा धनराशि
1.	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार	06/09/2021	2021-22	49.09
2.	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून	18/11/2014	2021-22	27.80
3.	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	पुलिस महानिरक्षक मुख्यालय, देहरादून	27/02/2013	2021-22	6.43
4.	निदेशक शहरी विकास निदेशालय, साइबर ट्रेजरी	निदेशक शहरी विकास निदेशालय, साइबर ट्रेजरी	08/08/2011	2017-18	2.70
5.	जिलाधिकारी, हरिद्वार	जिलाधिकारी, हरिद्वार	14/07/2014	2017-18	1.73

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.), उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका संख्या-4.13 में, डीएम देहरादून को छोड़कर, अन्य शीर्ष पांच पीडीए/पीएलए खाता धारकों का विवरण दिया गया है।

तालिका-4.14: सक्रिय/निष्क्रिय जमा खातों का विवरण

क्र. सं.	अंतिम नवीनीकरण वर्ष	पी डी लेखों की संख्या	लेखों में रखी धनराशि (लाख में)	पी डी लेखों की संख्या जिनमें अवशेष शून्य है
1.	2012-13	1	00.00	1
1.	2013-14	8	18.00	7
2.	2014-15	7	0.00	7
3.	2015-16	5	0.00	5
4.	2016-17	4	0.00	4
5.	2017-18	3	4,45.54	0
6.	2018-19	2	2,21.57	1
7.	2019-20	7	97,67.81	6
8.	2020-21	4	259.09	1
9.	2021-22	4	83,31.32	1
योग		45	19,043.32	33

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.), उत्तराखण्ड (आई.एफ.एम.एस. डाटा)

कुल 45 व्यक्तिगत जमा खातों में से, 33 खातों में शेष राशि शून्य है। 24 व्यक्तिगत जमा खाते पाँच वर्ष से अधिक समय से तथा 01 व्यक्तिगत जमा खाता तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित था। सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, इन जमाओं के तहत रखी गई राशि को राज्य के संचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। शून्य शेष वाले खातों को वर्ष के अंत (31 मार्च 2022) में बंद नहीं किया गया था।

4.8.1 निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते

केन्द्रीय कोषागार देहरादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण तालिका-4.15 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.15: केंद्रीय कोषागार देहरादून के असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते (8443-106 के इतर)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	पी डी ए धारक का नाम	अंतिम शेष	अंतिम लेन-देन की तिथि
1.	8443-00-800	एम डी/परिवहन निगम	100.00	29.02.2016
2.	8448-00-102	इ ओ/नगर निगम (13 एफ सी), देहरादून	1.02	31.03.2016
3.	8448-00-102	इ ओ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), ऋषिकेश	0.09	27.01.2014
4.	8448-00-102	इ ओ/नगर पालिका परिषद (13 एफ सी), विकासनगर	0.09	17.07.2015
5.	8448-00-120	वि.अ./बेसिक शिक्षा कोष देहरादून	11.04	26.10.2016
योग			112.24	

स्रोत: मुख्य कोषागार कार्यालय, देहरादून।

जैसाकि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2022 तक 8443-106 के इतर पाँच असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते थे, जिसमें ₹ 1.12 करोड़ शेष था। उत्तर प्रदेश व्यक्तिगत जमा खाता नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 10 (2) के अनुसार, तीन वर्ष से अधिक समय तक असंचालित खातों को बंद किया जाना चाहिए और इन खातों के तहत जमा राशि को सरकारी खाते में जमा किया

जाना चाहिए। केंद्रीय कोषागार, देहरादून के पांच लेखों में से पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से किसी भी खातों में कोई लेन-देन नहीं किया गया था। इसलिए, सरकार के लेखे में ₹ 1.12 करोड़ की राशि जमा की जानी चाहिए थी।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है, जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि इस तरह के दृष्टांत नियमित रूप से होते हैं, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ चर्चा करे और उचित लघु शीर्ष खोलने की स्वीकृति प्राप्त करे। लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय के अविवेकपूर्ण दर्ज करने से लेन-देन की पारदर्शिता और प्रकृति प्रभावित होती है, और खातों को अपारदर्शी बनाता है।

2021-22 के दौरान, 32 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,343.44 करोड़ की राशि, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 46,462.45 करोड़) का 2.89 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 46 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,223.56 करोड़, जो कुल प्राप्तियों (₹ 43,056.99 करोड़) का 2.84 प्रतिशत है, के लेखों में लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ऐसे दृष्टांत जहां वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों और व्यय की महत्वपूर्ण राशि (20 प्रतिशत या अधिक और ₹ 5.00 करोड़ से अधिक) को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' और '800-अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था, तालिका-4.16 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-4.16: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय में 2021-22 के दौरान दर्ज की गई महत्वपूर्ण धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय का प्रतिशतता
1.	0029-भू- राजस्व	39.88	11.05	27.71	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	37.76	36.18	95.82
2.	0049-ब्याज प्राप्तियाँ	403.55	359.92	89.19	2245-प्राकृतिक आपदाओं के राहत	1,297.58*	386.05	29.76
3.	0055- पुलिस	43.55	10.01	22.99	2425- सहकारिता	97.73	52.95	54.18
4.	0059- लोक निर्माण	46.27	18.62	40.24	2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	13.81	13.81	100.00
5.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	85.93	70.08	81.55	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,050.80	590.48	56.19
6.	0071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	61.56	10.05	16.33	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	73.80	64.45	87.33

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	व्यय का प्रतिशतता
7.	0075-विविध सामान्य सेवाएँ	15.94	8.48**	53.20	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	60.02	33.03	55.03
8.	0217-शहरी विकास	190.98	190.98	100.00	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	41.92	10.91	26.03
9.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	31.57	31.57	100.00	4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	10.68	10.68	100
10.	0401- फसल वानिकी	6.81	5.06	74.30	-	-	-	-
11.	0406- वानिकी और वन्यजीव	511.55	128.13	25.05	-	-	-	-
12.	0425- सहकारिता	18.27	18.27	100.00	-	-	-	-
13.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	74.05	74.05	100.00	-	-	-	-
14.	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12.05	8.28	68.71	-	-	-	-
15.	0801-विद्युत	111.23	111.23	100.00	-	-	-	-
	योग	1653.19	1055.78	63.86	योग	2684.10	1198.54	44.65

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा तैयार 2021-22 के वित्त लेखे।



* इसमें पिछले वर्ष से संबंधित ₹ 1,913.71 लाख की आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति शामिल है।

** इसमें ऋण राहत/ऋण माफी से संबंधित ₹ 0.74 लाख की राशि शामिल है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वित्त, पुलिस, लोक निर्माण, शहरी विकास, समाज कल्याण, वन, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों के 15 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 63.86 प्रतिशत '800-अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर, आपदा प्रबंधन, सहकारिता, ऊर्जा, लोक निर्माण, शहरी विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई एवं उद्योग विभाग के नौ मुख्य शीर्षों से संबंधित कुल व्यय का 44.65 प्रतिशत '800-अन्य व्यय' के तहत दर्ज किया गया था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के तहत दर्ज की गई बड़ी धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता/ निष्पक्ष तस्वीर को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सचिव वित्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकतम मुख्य शीर्षों में सुधार किया गया है। आगे यह भी अवगत कराया कि भविष्य में लघु शीर्ष-800 के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल व्यय और प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष 800-के संचालन की सीमा चार्ट4.-4 और चार्ट4.-5 में दी गई है।



4.10 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष

अ) उचन्त एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि को अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को मिलाकर किया जाता है। उचन्त और प्रेषण शीर्ष की मंजूरी राज्य कोषागार/ निर्माण और वन प्रभाग आदि द्वारा प्रस्तुत

विवरणों पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख उच्चत और प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका-4.17 में दी गई है।

तालिका-4.17: उच्चत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658- उच्चत लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्चत	54.71	3.61	115.24	23.40	189.52	89.34
निवल	(डेबिट) 51.10		(डेबिट) 91.84		(डेबिट) 100.16	
102- उच्चत लेखे (सिविल)	566.35	411.83	574.13	379.40	289.18	386.82
निवल	(डेबिट) 154.52		(डेबिट) 194.73		(क्रेडिट) 97.64	
107- कैश सेटलमेंट उच्चत लेखे	966.77	885.52	81.39	0.26	99.71	0.26
निवल	(डेबिट) 81.25		(डेबिट) 81.13		(डेबिट) 99.45	
110- रिजर्व बैंक उच्चत-केंद्रीय लेखा कार्यालय	214.67	219.61	214.67	219.61	221.31	219.61
निवल	(क्रेडिट) 4.94		(क्रेडिट) 4.94		(डेबिट) 1.70	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस)	28.03	266.57	28.03	241.27	28.03	267.44
निवल	(क्रेडिट) 238.54		(क्रेडिट) 213.24		(क्रेडिट) 239.41	
113- भविष्य निधि उच्चत	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
निवल	(डेबिट) 0.11		(डेबिट) 0.11		(डेबिट) 0.11	
117- रिजर्व बैंक की ओर से लेनदेन	18.12	17.94	18.12	20.33	18.12	20.33
निवल	(डेबिट) 0.18		(क्रेडिट) 2.21		(क्रेडिट) 2.21	
123- ए आई एस अधिकारी समूह बीमा योजना	0.29	0.53	0.32	0.57	0.34	0.61
निवल	(क्रेडिट) 0.24		(क्रेडिट) 0.25		(क्रेडिट) 0.27	
129-- सामग्री खरीद निपटान उच्चत खाता	0.03	(-)0.73	0.03	(-) 0.73	0.03	(-)0.73
निवल	(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76		(डेबिट) 0.76	
8782- नकद प्रेषण और अधिकारियों के बीच समायोजन उसी लेखा अधिकारी को लेखे प्रदान करना						
102- लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.74	296.13	372.74	296.13	372.70
निवल	(क्रेडिट) 76.61		(क्रेडिट) 76.61		(क्रेडिट) 76.57	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
निवल	(क्रेडिट) 59.72		(क्रेडिट) 59.72		(क्रेडिट) 59.72	
8793-अंतर्राज्यीय उच्चत लेखे	2087.89	2013.35	2095.05	2014.10	2083.81	2015.19
	(डेबिट) 74.54		(डेबिट) 80.95		(डेबिट) 68.62	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे 2021-22।

उच्चत के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के विश्लेषण की चर्चा नीचे की गई है:

वित्त लेखे 2021-22 में प्रदर्शित मुख्य शीर्ष 8658- उच्चत लेखे के अंतर्गत लघु शीर्षों 101-पी ए ओ उच्चत, 102-उच्चत लेखा (सिविल) तथा 110-रिजर्व बैंक उच्चत-केंद्रीय लेखा कार्यालय के तहत उच्चत शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण निम्नवत है:

वेतन और लेखा कार्यालय-उचन्त (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन और लेखा कार्यालय व राज्यों के महालेखाकार (ले. एवं हक.) के तहत वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) की पुस्तकों में होने वाले अंतर-विभागीय और अंतर-सरकारी लेनदेन के निपटान के लिए संचालित होता है। इस शीर्ष के तहत विगत वर्ष के अंत में ₹ 91.84 करोड़ के डेबिट बैलेंस के सापेक्ष बकाया शुद्ध डेबिट शेष (31 मार्च 2022) ₹ 100.16 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियाँ 32.04 प्रतिशत और संवितरण 67.96 प्रतिशत रहीं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि अन्य पी ए ओ की ओर से पी ए ओ द्वारा भुगतान किया गया है, जो अभी वसूल किया जाना है। उचन्त लेखे-सिविल (लघु शीर्ष 102): ऐसे लेनदेन जिन्हें किसी निश्चित सूचना/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष लेखों में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान, ₹ 289.18 करोड़ (42.78 प्रतिशत) की राशि को लघु शीर्ष से बाहर रखा गया था और ₹ 386.82 करोड़ (57.22 प्रतिशत) की राशि को इस लघु शीर्ष के तहत दर्ज किया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020-21 के डेबिट शेष ₹ 194.73 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2022 तक ₹ 97.64 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया था।

स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त-(लघु शीर्ष 112): इस लघु शीर्ष का उद्देश्य स्रोत पर काटे गए आयकर के लेखों की प्राप्तियों को समायोजित करना है। इन क्रेडिटों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित एवं आयकर (आई टी) विभाग को क्रेडिट करना होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 267.44 करोड़ (90.51 प्रतिशत) के क्रेडिट के सापेक्ष ₹ 28.03 करोड़ (9.49 प्रतिशत) की राशि लघु शीर्ष-112 से निर्गत की गई। इसका अर्थ है कि मार्च 2022 तक आई टी विभाग को ₹ 239.41 करोड़ की राशि निर्गत नहीं की गयी थी। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के अंत में क्रेडिट शेष वर्ष 2020-21 (₹ 213.24 करोड़) की तुलना में अधिक था।

ब) मुख्य शीर्ष चैक और बिल्स

मु.शी. 8670 चेक और बिल के तहत क्रेडिट शेष इंगित करता है कि चेक जारी किए गए हैं परंतु नकदीकरण शेष है। 01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष ₹ 357.19 करोड़ (क्रेडिट) था। 2021-22 के दौरान, ₹ 44,271.28 करोड़ के चेक जारी किए गए, जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 44,278.74 करोड़ का नकदीकरण किया गया तथा 31 मार्च 2022 को अन्तिम अवशेष ₹ 349.73 करोड़ (क्रेडिट) रहा। अन्तिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड सरकार से 31 मार्च 2022 तक कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है।

स) केंद्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को के.स.नि. के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। विद्यमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, अनुदानों को शुरू में

मुख्य शीर्ष “1601 सहायता अनुदान” के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष “8449-अन्य जमा-103 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान” के राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष “3054 सड़कों एवं सेतु” के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप लेखों में राजस्व अधिशेष को बढ़ाकर या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दिखाया गया है। के.स.नि. के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले संबन्धित पूंजीगत या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत लेखांकित किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449 से संबन्धित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण हो) में ‘घटाए व्यय’ के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क निधि से ₹ 98.80 करोड़ जारी किए, हालांकि, मुख्य शीर्ष 8449-103 के तहत मुख्य शीर्ष 3054 के माध्यम से राशि दर्ज करने की निर्धारित लेखा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 5054-04-337 के तहत ₹ 230.46 करोड़ का व्यय किया जो कि केंद्रीय सड़क निधि से मुख्य शीर्ष 1601-06-104 में अनुदान के तहत प्राप्त राशि से ₹ 131.66 करोड़ अधिक था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 98.80 करोड़ और राजकोषीय घाटे को ₹ 131.66 करोड़ तक बढ़ाकर दर्शाया गया है। केंद्रीय सड़क निधि का लेखा-जोखा न होने के कारण केंद्रीय सड़क निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग में अस्पष्टता है।

द) ऋण एवं अग्रिम का प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित ऋण शेष नीचे दी गयी तालिका-4.18 में दिया गया है।

तालिका-4.18 मुख्य शीर्ष 6851 और 7610 के अंतर्गत आने वाली ऋण शेष राशि।

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋण शेष
6851	ग्राम्य एवं लघु उद्योग के लिए ऋण	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	(-) 20.25

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ऋण दिए जाने तथा उत्तर प्रदेश के राज्य के विभाजन के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा वसूली किए जाने के परिणामस्वरूप यह ऋण शेष प्रदर्शित हो रहे हैं। चूंकि इन मुख्य शीर्ष के तहत अवशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है, इसलिए, शेष प्रतिकूल प्रदर्शित हो रहे हैं।


4.11 विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना

उत्तराखण्ड बजट नियमावली 2012 के प्रस्तर 109 के संदर्भ में, सभी नियंत्रक अधिकारियों को प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आँकड़ों के साथ सरकार के प्राप्तियों और

व्यय का मिलान करना आवश्यक है। यह नियंत्रण अधिकारी को खर्च पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, और उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करता है।

व्यय के संबंध में 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) में से 57 मु नि अ (91.94 प्रतिशत) (11 मु नि अ द्वारा पूर्णतः तथा 46 मु नि अ द्वारा अंशतः) के द्वारा ₹ 45,079.86 करोड़ व्यय (कुल व्यय ₹ 50,640.06 करोड़ का 89.02 प्रतिशत)² तथा 48 मु नि अ में से 32 मु नि अ (66.66 प्रतिशत) (03 मु नि अ द्वारा पूर्णतः तथा 29 मु नि अ द्वारा अंशतः) के द्वारा ₹ 48,540.27 करोड़ (कुल प्राप्ति ₹ 50,992.06³ करोड़ का 95.19 प्रतिशत) की प्राप्तियों का मिलान कराया गया।

2019-20 से 2021-22 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति को चार्ट-4.6 में दिखाया गया है।



विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों की संख्या और मिलान की सीमा से संबंधित ब्यौरा तालिका-4.19 में दिया गया है।

² कुल व्यय ₹ 50,640.06 करोड़ में ऋण और अग्रिम ₹ 347.46 करोड़ का संवितरण एवं ₹ 3830.15 करोड़ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

³ कुल प्राप्तियों ₹ 50,992.06 करोड़ में ऋण और अग्रिम की वसूली ₹ 17.08 करोड़ और सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति ₹ 7917.99 करोड़ शामिल है।

तालिका-4.19: प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से समायोजित	आंशिक रूप से समायोजित	बिल्कुल समायोजित नहीं	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की प्रतिशतता
प्राप्तियाँ							
2019-20	48	06	31	11	30,722.57	29,287.77	95.33
2020-21	48	03	23	22	38,204.56	36,512.20	95.57
2021-22	48	03	29	16	50,992.06	48,540.27	95.19
व्यय							
2019-20	62	07	42	13	38,272.98	21,153.13	55.27
2020-21	62	12	41	09	43,629.24	32,107.80	73.59
2021-22	62	11	46	05	50,640.06	45,079.86	89.02

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखा 2021-22 एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना।

मिलान और आँकड़ों का सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संबंध में विदित प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल लेखों में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग होती है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया के मूल उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती। व्यय की राशि का मिलान वर्ष 2020-21 में 73.59 प्रतिशत के सापेक्ष बढ़कर वर्ष 2021-22 में 89.02 प्रतिशत हो गया।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त ने अवगत कराया कि 2021-22 के दौरान महालेखाकार (ले. एवं ह.) के साथ प्राप्त और व्यय के आँकड़ों के मिलान में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से शत प्रतिशत मिलान के प्रयास किए जाएंगे।

4.12 नगद शेष राशि का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बहीखाते के अनुसार 31 मार्च 2022 का नगद शेष ₹ 112.47 करोड़ (डेबिट) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा ₹ 6.03 करोड़ (डेबिट) प्रतिवेदित था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वारा निकाले गए नगद शेष और आर बी आई द्वारा प्रतिवेदित नगद शेष के बीच ₹ 118.50 (डेबिट) करोड़ का निवल अंतर था। यह अंतर स्कॉल न मिलने आदि के कारण था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि मिलान के लिए मामला आर बी आई और कोषाध्यक्षों के पास विचाराधीन था।

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन तालिका 4.-20 में विस्तृत है।

तालिका-4.20: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई जी ए एस:1- सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ	इस मानक के अर्न्तगत सरकार को अपने विवरणों में वर्ष के दौरान दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि के साथ-साथ वर्ष के अन्त में परिवर्धन, विलोपन, आह्वान, निर्वहन और बकाया का खुलासा करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 9 एवं 20)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रतिभूति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, प्रत्येक संस्थान के लिए प्रतिभूति की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः यह विवरण उस हद तक अपूर्ण है।
2.	आई जी ए एस:2- सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदान को अनुदानकर्ता के लेखों में राजस्व व्यय के रूप में और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, चाहे अंतिम उपयोग कुछ भी हो।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III)	राज्य सरकार विभिन्न उद्देश्यों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकार दिए गए सहायता-अनुदान का ब्योरा आई जी ए एस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त लेखों के विवरण-10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा द्वारा वस्तु के रूप में दी गयी सहायता-अनुदान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए आई जी ए एस-2 की अनुपालन उस हद तक पूरा नहीं हुआ है। वर्ष 2021-2 के दौरान राज्य ने ₹ 5,858.45 करोड़ की अनुदान राशि जारी की। ₹ 25.57 करोड़ का सहायता अनुदान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो आई जी ए एस-2 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
3.	आई जी ए एस3:- सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	यह मानक पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मान्यता, मापन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त लेखों के विवरण 7 एवं 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय ऋण, यदि कोई हो, जो नित्यता के लिए स्वीकृत किये गये थे।

4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/ प्रशासक, जनहित में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून द्वारा बनाए गए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करे, जैसा भी मामला हो, और जहां इस तरह का अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखों का लेखा परीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अलावा, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गयी है, वहाँ यदि उससे यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय के प्राधिकरण के बहीखातों और लेखों तक पहुँच का अधिकार (धारा 20) होगा।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरण के मामले में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है बशर्ते नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हो। इस प्रकार, इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और इन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आर) जारी करता है जो लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा होती है। यह एस ए आर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

4.14.1 निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

प्राधिकरणों के लेखों के बकाया का ब्योरा तालिका-4.-21 में नीचे दिया गया है।

तालिका-4.21: निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखों का बकाया

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित हैं	2020-21 तक लंबित लेखों की संख्या
1.	उत्तराखंड जल संस्थान	2019-20	02
2.	उत्तराखंड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2020-21	01
3.	क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2019-20	03

तालिका-4.21 से देखा जा सकता है कि इन तीन प्राधिकरणों के लेखे एक वर्ष से तीन वर्ष तक लंबित हैं।

4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना

ऐसे संस्थानों की पहचान करने हेतु, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जानी चाहिए, सरकार/विभागीय प्रमुखों को चाहिये कि वे ऐसे विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता दिये जाने के उद्देश्य तथा इन संस्थानों के द्वारा किये गये कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष उपलब्ध करायें। इसके अलावा, लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 यह प्रदान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, इस तरह के निकाय और प्राधिकरण का एक विवरण, जिन्हें अनुदान/या ऋण में ₹ 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किया गया था, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) प्राधिकरण या निकाय का कुल व्यय प्रदर्शित हो।

हालांकि, सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लिए ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सूचना का अप्रस्तुतिकरण लेखापरीक्षा और लेखा, (संशोधन) 2020 पर विनियमों का उल्लंघन था। वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 4 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 2021-22 के दौरान विभिन्न विभागों ने पूंजीगत संपत्ति के लिए सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 55) और वेतन के इतर सहायता अनुदान (वस्तु शीर्ष 56) क्रमशः ₹ 706.10 करोड़ और ₹ 3,312.13 करोड़ दिया था।

4.16 समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता

2021-2 के दौरान सभी लेखा प्रतिपादन करने वाली संस्थाएँ (कोषागार, लोक निर्माण विभाग, वन प्रभाग और वेतन एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली), जो अपने मासिक लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सौंपती हैं, ने समय पर अपने लेखों को सौंप दिया था बहिष्करण का कोई प्रकरण नहीं था।

4.17 गबन, हानि, चोरी आदि

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-V, भाग-1, नियम 82 और परिशिष्ट XIX ब के प्रावधानों के अनुसार डी.डी.ओ. को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और (ले.एवं ह.) कार्यालयों को नुकसान के विवरण को सूचित करना चाहिए। वर्ष 2021-22 के दौरान डी.डी.ओ. द्वारा गबन, हानि, चोरी आदि का कोई प्रकरण सूचित नहीं किया गया।

4.18 राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके बनाए जाने से अब तक चर्चा नहीं की है।

4.19 निष्कर्ष

- विभागीय अधिकारियों ने विशिष्ट प्रयोजनों के लिए मार्च 2021 तक दिये गए ₹ 1390.09 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष 321 उपयोगिता प्रमाणपत्र (मार्च 2022 तक प्रस्तुति हेतु देय) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए। मार्च 2022 तक ₹ 27.33 करोड़ के 243 सार आकस्मिक बिल बकाया थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों और स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को जमा नहीं करने से निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। यह राज्य सरकार के आंतरिक नियंत्रण की कमी और अपूर्ण अनुश्रवण तंत्र को इंगित करता है।
- 2021-22 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय का मिलान क्रमशः 95.19 और 89.02 प्रतिशत था। महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के आंकड़ों के साथ राज्य के मुख्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान न करना सरकार के भीतर कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की शुद्धता से संबंधित चिंताओं को बढ़ता है।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्षों '800- अन्य व्यय' और '800 अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत व्यापक मात्रा में व्यय (₹ 1,343 करोड़) और प्राप्तियाँ (₹ 1,223.56 करोड़) दर्ज किया जाना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं तथा व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट करता है।
- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है।

4.20 संस्तुतियाँ

- *सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हें जारी अनुदानों के सम्बन्ध में समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए और विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रेषण करना सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *सरकार को अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रण अधिकारी निर्धारित अंतराल पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान करें।*

- राज्य सरकार को बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष 800 का संचालन हतोत्साहित करना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से परामर्श के बाद विशिष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि समुचित लेखा शीर्ष में पहचान कर बहीखातों में ठीक प्रकार से लेन देन वर्गीकृत किया जा सके।
- राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य में भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्णतया लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अध्याय-5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाँ में सरकार की भूमिका

अध्याय-5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका

5.1 प्रस्तावना

लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा सा क्षे उ) की स्थापना की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार की कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (स नि अ क) तथा सांविधिक निगमों को रा सा क्षे उ में शामिल किया गया है। यह अध्याय रा सा क्षे उ में निवेश, रा सा क्षे उ को बजटीय सहायता तथा रा सा क्षे उ द्वारा लेखा प्रस्तुत करने के वर्णन को दर्शाता है।

5.1.1 सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा निवेश की गई हो तथा इसमें वह कम्पनी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य कम्पनी¹ को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी (स नि अ क)के रूप में संदर्भित किया गया है। सांविधिक निगमों की स्थापना विधायिका द्वारा अधिनियमित विधियों के तहत की जाती है।

5.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कम्पनियों तथा स नि अ क की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के तहत सहपठित सीएजी (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी, सांविधिक लेखाकार फर्मों को कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है तथा लेखों की लेखापरीक्षा करने की विधि पर दिशानिर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी एक पूरक लेखापरीक्षा भी कर सकता है। कुछ सांविधिक निगमों के निगमित कानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा की जाती है।

¹ कम्पनियों (कठिनाइयों को दूर करना), सातवां आदेश 2014 गजट अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा जारी किया गया।

5.1.3 रा सा क्षे उ की प्रकृति तथा अध्याय में उनका कार्य-क्षेत्र

31 मार्च 2022 को, उत्तराखण्ड राज्य में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 32 रा सा क्षे उ (27² सरकारी कम्पनियाँ, एक स नि अ क³ तथा चार सांविधिक निगम⁴) थे। इनमें से नौ⁵ सरकारी कम्पनियाँ निष्क्रिय⁶ थीं (परिसमापन के अधीन सात⁷ कम्पनियाँ सहित)। कोई भी रा सा क्षे उ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

यह प्रतिवेदन 2019-20 से 2021-22 (या इन वर्षों से सम्बन्धित कम से कम एक लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त) के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त लेखों के आधार पर 14 रा सा क्षे उ⁸ के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अनुच्छेदों में सम्मिलित रा सा क्षे उ को तालिका-5.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-5.1: इस प्रतिवेदन में शामिल रा सा क्षे उ का कार्य-क्षेत्र और स्वरूप

रा सा क्षे उ का वर्गीकरण	राज्य में कुल रा सा क्षे उ की संख्या	प्रतिवेदन में सम्मिलित रा सा क्षे उ की संख्या			योग	रा सा क्षे उ की संख्या जो प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है
		तक खर्चों की प्राप्ति				
		2021-22	2020-21	2019-20		
सक्रिय रा सा क्षे उ						
सरकारी कम्पनियाँ	18	02 ⁹	08 ¹⁰	01 ¹¹	11	07 ¹²
स नि अ क	01	-	01 ¹³	-	01	-
सांविधिक निगम	04	-	01 ¹⁴	01 ¹⁵	02	02 ¹⁶
निष्क्रिय रा सा क्षे उ						
सरकारी कम्पनियाँ	09	-	-	-	-	09
कुल	32	02	10	02	14	18

² यूजेवीएन लिमिटेड (यू. जे. वी. एन.), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उ. मे. रे. अ. इं. बि. क. कॉ. लि.), उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उ. पा. कॉ. लि.); पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.), देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (दे. स्मा. सि. लि.), किच्छा शूगर कम्पनी लिमिटेड (कि. शु. क. लि.); उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (उ. प. वि. नि. नि. लि.); डोईवाला शूगर कम्पनी लिमिटेड (डो. शु. क. लि.); किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कि. कॉ. लि.); एवं उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उ. पू. सै. क. नि. लि.), ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.), उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (उ. ब. वि. नि. लि.), स्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (स्टे. इं. डे. कॉ. उ. लि.), कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड (कु. मं. वि. नि. लि.), गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड (ग. मं. वि. नि. लि.), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम (उ. अ. क. व. वि. नि.); सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (एस. प्ला. पा. लि.), उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (उ. ई. टू. डे. कॉ.) और नौ निष्क्रिय कम्पनियाँ।

³ उत्तराखण्ड सीड्स और तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (उ. सी. त. डे. कॉ. लि.)।

⁴ उत्तराखण्ड परिवहन निगम (उ. प. नि.), उत्तराखण्ड वन विकास निगम (उ. व. वि. नि.), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (पेयजल निगम) और उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम (उ. रा. भ. नि.)।

⁵ यू. पी. ए. आई.; ट्रांस केबल्स लिमिटेड (ट्रां. के. लि.), कु. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी; उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उ. प्र. डि. लि.), कु. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी; कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन), हिलट्रॉन की सहायक कम्पनी; उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिलट्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन्स लिमिटेड (उ. प्र. हि. फ़ो. लि.), हिलट्रॉन की सहायक कम्पनी; उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (उ. प्र. हि. क्वा. लि.), हिलट्रॉन की सहायक कम्पनी; ग. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.); कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि.), कु. मं. वि. नि. लि. की सहायक कम्पनी है।

⁶ निष्क्रिय रा. सा. क्षे. उ. जो अपने संचालन को बंद कर चुका है।

⁷ यू. पी. ए. आई., उ. प्र. डि. लि., कुमट्रॉन, हिलट्रॉन, उ. प्र. हि. फ़ो. लि., उ. प्र. हि. क्वा. लि. एवं ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.।

⁸ प्रतिवेदन में शामिल रा सा क्षे उ के अलावा, नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ और नौ अन्य रा सा क्षे उ थे जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय तक बकाया थे (अर्थात् 30 सितम्बर 2022 को वर्ष 2019-20 से पहले प्राप्त लेखे)।

⁹ यू. जे. वी. एन. एवं उ. मे. रे. अ. इं. बि. क. कॉ. लि.।

¹⁰ उ. पा. कॉ. लि., पा. ट्रां. कॉ. उ. लि., दे. स्मा. सि. लि., कि. शु. क. लि., उ. प. वि. नि. नि. लि., डो. शु. क. लि., कि. कॉ. लि., एवं उ. पू. सै. क. नि. लि.।

¹¹ बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.।

¹² उ. ब. वि. नि. लि., स्टे. इं. डे. कॉ. उ. लि., कु. मं. वि. नि. लि., ग. मं. वि. नि. लि., उ. अ. क. व. वि. नि., एस. प्ला. पा. लि., एवं उ. ई. टी. डे. कॉ.।

¹³ उ. सी. त. डे. कॉ. लि.।

¹⁴ पेयजल निगम।


¹⁵ उ. व. वि. नि.।

¹⁶ उ. प. नि. एवं उ. रा. भ. नि.।

5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश तथा बजटीय सहायता।

31 मार्च 2022 तक रा सा क्षे उ में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य¹⁷ द्वारा निवेश की गई पूंजी को चार्ट-5.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-5.1: सरकारी कम्पनियों, स नि अ उ तथा सांविधिक निगमों में निवेश का संघटन



31 मार्च 2022 तक 32 रा सा क्षे उ में निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) का क्षेत्रवार सारांश तालिका-5.2 में दिया गया है:

तालिका-5.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	निवेश								कुल योग
		इक्विटी				दीर्घावधि ऋण ¹⁸				
		उ.स.	केंद्र सरकार	अन्य	योग	उ.स.	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
रा सा क्षे उ जिन्होंने 2019-20 या उसके बाद तक अपने लेखे जमा किए (परिशिष्ट-5.1)										
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ	4	3522.47	0.00	5.00	3527.47	551.76	0.00	3990.51	4542.27	8069.74
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ	10	31.11	0.00	3.53	34.64	287.83	0.00	57.60	345.43	380.07
इस अध्याय में शामिल कुल रा सा क्षे उ	14	3553.58	0.00	8.53	3562.11	839.59	0.00	4048.11	4887.70	8449.81
रा सा क्षे उ जिन्होंने 2018-19 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए (परिशिष्ट-5.2)										
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ	-	शून्य								
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ	18	302.66	15.41	10.27	328.34	130.24	18.56	66.81	215.61	543.95
इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये कुल रा सा क्षे उ	18	302.66	15.41	10.27	328.34	130.24	18.56	66.81	215.61	543.95
कुल योग	32	3856.24	15.41	18.80	3890.45	969.83	18.56	4114.92	5103.31	8993.76

स्रोत- वार्षिक लेखा तथा रा सा क्षे उ से प्राप्त सूचना।

¹⁷ 'अन्य' में सूत्रधारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

¹⁸ लंबी अवधि के ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

31 मार्च 2022 तक, विद्युत क्षेत्र के चार रा सा क्षे उ में कुल निवेश ₹ 8,069.74 करोड़ था। निवेश में 43.71 प्रतिशत इक्विटी तथा 56.29 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण शामिल था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण (₹ 551.76 करोड़), कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.15 प्रतिशत है, जबकि 87.85 प्रतिशत (₹ 3,990.51 करोड़) वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे जैसा कि परिशिष्ट-5.1 में वर्णित है।

31 मार्च 2022 तक, विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ के अलावा 28 अन्य रा सा क्षे उ में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 924.02 करोड़ था। निवेश में 39.28 प्रतिशत इक्विटी तथा 60.72 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण शामिल था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 74.52 प्रतिशत (₹ 418.07 करोड़) थे, जबकि 25.48 प्रतिशत (₹ 142.97 करोड़) वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे जैसा कि परिशिष्ट-5.1 एवं 5.2 में वर्णित है।

5.2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तराखण्ड सरकार (उ. स.) वार्षिक बजट के माध्यम से रा सा क्षे उ को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए 14 रा सा क्षे उ (इस अध्याय में शामिल) के संबंध में प्रदत्त बजट (इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/ सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण तालिका-5.3 में दिया गया है:

तालिका-5.3: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान रा सा क्षे उ को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)


विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि
क. विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ						
i. इक्विटी पूंजी निर्गमन	3	133.19	3	142.59	3	100.91
ii. ऋण दिया	1	12.18	1	30.42	1	40.08 ¹⁹
iii. अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई	1	24.38	1	0.10	1	2.94
कुल निर्गमन (i+ii+iii)	3	169.75	3	173.11	3	143.93
ख. विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ						
i. इक्विटी पूंजी निर्गमन	1	0.15	0	0.00	0	0.00
ii. ऋण दिया	0	0.00	0	0.00	0	0.00
iii. अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई	5	1041.28	5	789.31	6	1264.31
कुल निर्गमन (i+ii+iii)	6	1041.43	5	789.31	6	1264.31
कुल योग	9	1211.18	8	962.42	9	1408.24

स्रोत- वार्षिक लेखा तथा रा सा क्षे उ से प्राप्त सूचना।

मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/ सब्सिडी के लिए बजटीय निर्गमन के विवरण चार्ट-5.2 में दिए गए हैं:

¹⁹ बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए उ.स. से यू. जे. वी. एन. को ब्याज मुक्त ऋण, ऋण की अदायगी के लिए निबंधन एवं शर्तें लंबित।

चार्ट-5.2: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता



वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 169.75 करोड़, ₹ 173.11 करोड़ तथा ₹ 143.93 करोड़ थी। 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 143.93 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 100.91 करोड़, ₹ 40.08 करोड़ तथा ₹ 2.94 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ को वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 1041.43 करोड़, ₹ 789.31 करोड़ तथा ₹ 1264.31 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1264.31 करोड़ की बजटीय सहायता अनुदान/ सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुई। 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से दे. स्मा. सि. लि.²⁰ (₹ 115 करोड़), उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम²¹ (₹ 1028.31 करोड़), डो. शु. क. लि.²² (₹ 48.75 करोड़) तथा कि. शु. क. लि.²³ (₹ 60.25 करोड़) को अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई (परिशिष्ट-5.3)।

5.2.2 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे से समाधान

रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा बकाया प्रत्याभूति के आंकड़े उ. स. के वित्त लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित रा सा क्षे उ तथा वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2022 तक 14 रा सा क्षे उ (13 सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) के संबंध में इस तरह के अन्तर मौजूद हैं जैसा कि **परिशिष्ट-5.4** में वर्णित है तथा **तालिका-5.4** में संक्षेपित है।

²⁰ भारत सरकार. की स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट योजना के लिए।

²¹ कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति देय राशि के राजस्व व्यय भुगतान हेतु ₹ 65.00 करोड़ एवं राज्य में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 963.31 करोड़।

²² किसानों को गन्ना भुगतान हेतु।

²³ किसानों को गन्ना भुगतान हेतु।

तालिका-5.4: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं तथा रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

अदत्त	क्षेत्र	के अनुसार धनराशि		अन्तर
		रा सा क्षे उ	वित्त लेखे	
इक्विटी	विद्युत क्षेत्र	3517.47	3502.79	14.68
	विद्युत क्षेत्र के अलावा	331.03	300.63	30.40
	योग	3848.50	3803.42	45.08
ऋण	विद्युत क्षेत्र	551.76	380.04	171.72
	विद्युत क्षेत्र के अलावा	373.40	215.47	157.93
	योग	925.16	595.51	329.65
प्रत्याभूति	विद्युत क्षेत्र	122.21	122.21	0.00
	विद्युत क्षेत्र के अलावा	196.50 ²⁴	1.25	195.25
	योग	318.71	123.46	195.25
कुल योग		5092.37	4522.39	569.98

स्रोत- वार्षिक वित्त लेखा तथा रा सा क्षे उ से प्राप्त जानकारी।

आंकड़ों के बीच अन्तर कई वर्षों से बना हुआ है। लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित रा सा क्षे उ तथा विभागों के साथ अन्तर के समाधान का मुद्दा भी उठाया गया था। तीन विद्युत क्षेत्र²⁵ के रा सा क्षे उ तथा चार विद्युत से अन्य क्षेत्र²⁶ के रा सा क्षे उ के शेषों में प्रमुख अन्तर देखा गया जैसा कि **परिशिष्ट-5.4** में वर्णित है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने विभिन्न रा सा क्षे उ और अन्य निकायों की पुस्तकों में उपलब्ध वित्त खातों के ऋण और अग्रिम आंकड़ों के मिलान के संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

5.2.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान

उत्तराखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है, जिसके तहत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। रा सा क्षे उ, जहां उ. स. द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया था, द्वारा भुगतान किया गया लाभांश **तालिका-5.5** में दिखाया गया है।

तालिका-5.5: रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रा सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने लाभांश घोषित किया	दत्त पूंजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	2	3	4	5
2019-20	2	1,829.06	220.35	16.94
2020-21	2	1,941.65	178.56	44.87
2021-22	2	2,007.56	163.47	35.00

स्रोत: रा सा क्षे उ का नवीनतम वित्तीय विवरण।

²⁴ डो. शु. क. लि. (₹ 77.00 करोड़) एवं कि. शु. क. लि. (₹ 119.50 करोड़)

²⁵ यू. पा. कॉ. लि., पा. ट्रां. कॉ. उ. लि. एवं यू. जे. वी. एन.

²⁶ उ. प. नि., स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि., कि. सु. क. लि. एवं डो. सु. क. लि.

2019-20 से 2021-22 के दौरान, यू.जे.वी.एन. तथा पा.ट्रां.कॉ.उ.लि. ने लाभांश का भुगतान/ घोषित किया। यू.जे.वी.एन. तथा पा.ट्रां.कॉ.उ.लि. ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी प्रतिधारित आय का क्रमशः 2.42 प्रतिशत तथा 1.71 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान/घोषणा की थी। अन्य छः रा सा क्षे उ²⁷ में से किसी ने भी लाभांश की घोषणा/ भुगतान नहीं किया था।

5.2.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में वर्णित 14 रा सा क्षे उ में से सात²⁸ रा सा क्षे उ की संचित हानि ₹ 4907.48 करोड़ थी, जिनमें से छः रा सा क्षे उ ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 216.35 करोड़ की हानि उठाई। इसके अलावा, एक रा सा क्षे उ नामतः उ.सी.त.डे.कॉ.लि. को वर्ष 2020-21 के नवीनतम अन्तिम खातों के अनुसार हानि नहीं हुई थी, हालांकि इसकी ₹ 24.84 करोड़ की संचित हानि थी।

इन सात रा सा क्षे उ का निवल मूल्य संचित घाटे के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया है तथा उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। ₹ 1503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष 31 मार्च 2022 तक इन रा सा क्षे उ का निवल मूल्य (-) ₹ 3,404.00 करोड़ था। सात रा सा क्षे उ, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, में से उ.सी.त.डे.कॉ.लि. नामक एक रा सा क्षे उ ने 2021-22 के दौरान ₹ 2.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। सात में से पांच²⁹ रा सा क्षे उ में, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, 31 मार्च 2022 तक उ.स. का बकाया ऋण ₹ 295.66 करोड़ था (परिशिष्ट-5.5)।

5.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा प्रस्तुत करना

5.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार; एक सरकारी कम्पनी के कामकाज तथा कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक (वा आ बै) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी चाहिए। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति, सीएजी की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक प्रतिवेदन, के साथ विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वा आ बै आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि दो वा आ बै की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वा आ बै में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

²⁷ कि. का. लि., उ. पू. सै. क. नि. लि., उ. प. वि. नि. लि., उ. व. वि. नि.

²⁸ उ. मे. रे. अ. इ. बि. कं. कॉ. लि., दे. स्म. सि. लि., उ. पा. कॉ. लि., डो. सु. क. लि., कि. सु. क. लि., पेयजल निगम एवं उ. सी. त. डे. कॉ. लि..

²⁹ यू. पा. कॉ. लि., डो. सु. क. लि., कि. सु. क. लि., पेयजल निगम एवं उ. सी. त. डे. कॉ. लि..

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन न करने पर जिम्मेदार व्यक्तियों उसके निदेशकों सहित पर जुर्माना तथा कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान करती है।

31 मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड में सीएजी के दायरे में कुल 32 रा सा क्षे उ में से 23 सक्रिय रा सा क्षे उ (18 सरकारी कम्पनियाँ, एक स नि अ क तथा चार सांविधिक निगम) तथा नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ (सात कम्पनियाँ जो परिसमापन के अधीन थीं सहित) शामिल थे। लेखों को तैयार करने में रा सा क्षे उ द्वारा अनुपालन की जाने वाली समयबद्धता की स्थिति निम्नानुसार है:

5.3.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा

सभी रा सा क्षे उ को 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के लेखा जमा करने थे। 32 रा सा क्षे उ में से 25 रा सा क्षे उ को (दो निष्क्रिय कम्पनियों³⁰ सहित) 2021-22 तक के अपने लेखे 30 सितम्बर 2022 तक जमा करने थे। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए केवल दो रा सा क्षे उ³¹ ने 30 सितम्बर 2022 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए। रा सा क्षे उ के लेखों को जमा न करने की स्थिति इस प्रकार है:

- विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए 19 सरकारी कम्पनियों (एक स नि अ क तथा दो निष्क्रिय कम्पनियों सहित) के एक सौ तीस लेखे एक से 35 वर्ष तक 30 सितम्बर 2022 को बकाया थे।
- चार सांविधिक निगमों में से तीन सांविधिक निगमों³² में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, जबकि एक सांविधिक निगम यथा उ. रा. भ. नि. के मामले में, सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा पूरक लेखापरीक्षा करता है। इन चार सांविधिक निगमों के पास 30 सितम्बर 2022 तक एक से छह साल तक के 12 लेखे बकाया थे। इसके अलावा, किसी भी सांविधिक निगम ने 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के लेखे सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये हैं।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव वित्त ने रा सा क्षे उ द्वारा महालेखाकार कार्यालय को वार्षिक वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

30 सितम्बर 2022 तक रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत न किये गये लेखों का विवरण तालिका-5.6 में दिया गया है:

तालिका-5.6: रा सा क्षे उ के बकाया लेखों का विवरण

विवरण	रा सा क्षे उ द्वारा लेखा प्रस्तुत करने की स्थिति			
	सरकारी कम्पनियाँ	स नि अ उ	सांविधिक निगमों	योग
31 मार्च 2022 तक सीएजी की लेखापरीक्षा में रा सा क्षे उ की संख्या	27	1	4	32
घटाएँ: नए रा सा क्षे उ जिनके 2021-22 के लेखे बकाया नहीं थे।	0	0	0	0
घटाएँ: परिसमापन के तहत रा सा क्षे उ जिनसे 2021-22 के लेखे देय नहीं थे।	7 ³³	0	0	7
रा सा क्षे उ की संख्या जिनके 2021-22 के लेखे बकाया थे।	20	1	4	25
रा सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए।	2 ³⁴	0	0	2

³⁰ कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि. एवं टी सी एल

³¹ यू. जे. वी. एन. एवं उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.

³² उ प नि, उ. व. वि. नि. एवं पेयजल निगम के सम्बन्ध में, सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है उ. रा. भ. नि. के जबकि सम्बन्ध में, सीएजी वैधानिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदनों पर पूरक टिप्पणियाँ जारी करता है

³³ यू. पी. ए. आई., उ. प्र. डि. लि., कुमट्रॉन, हिलट्रॉन, उ. प्र. हि. फ़ो. लि., उ. प्र. हि. क्वा. लि. एवं ग. अ. ज. ज. वि. नि..

³⁴ यू. जे. वी. एन. एवं उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.

विवरण	रा सा क्षे उ द्वारा लेखा प्रस्तुत करने की स्थिति				
	सरकारी कम्पनियाँ	स नि अ उ	सांविधिक निगमों	योग	
कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे, दो निष्क्रिय कम्पनियों सहित	18	1	4	23	
बकाया वार्षिक खातों की संख्या	129	1	12	142	
बकाया का ब्यौरा	(i) निष्क्रिय	57 ³⁵	-	-	57
	(ii) सक्रिय	72	1	12	85
	अ. तीन सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए ³⁶	24	-	-	24
	ब. अन्य	48	1	12	61
सक्रिय कम्पनियों के बकाया लेखों का आयुवार ब्यौरा					
एक वर्ष (2021-22) के लेखे	8	1	1	10	
दो वर्ष (2020-21 तथा 2021-22) - दो कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के लेखे	4 ³⁷	0	2	6	
तीन वर्ष तथा अधिक-छह उपक्रमों के लेखे	60	0	9	69	

उत्तराखण्ड सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन में से दो रा सा क्षे उ को ₹ 37.94 करोड़ (इक्विटी: ₹ 35.00 करोड़, ऋण: शून्य, अनुदान: ₹ 2.94 करोड़ तथा सब्सिडी: शून्य) प्रदान किए थे, जिनके वर्ष 2021-22 के लेखों को 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि शेष एक विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ³⁸ में बकाया लेखों की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था।

आगे, उत्तराखण्ड सरकार ने 18 में से 10 विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ को ₹ 1,454.86 करोड़ (इक्विटी: ₹ 9.08 करोड़, ऋण: ₹ 103.85³⁹ करोड़, अनुदान: ₹ 1,145.41⁴⁰ करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 196.52⁴¹ करोड़) प्रदान किए थे, जिनके वर्ष 2021-22 के लेखों को 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि उस अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र से अन्य के शेष आठ⁴² रा सा क्षे उ जिनके लेखे बकाया थे में कोई निवेश नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का रा सा क्षे उ वार विवरण, जिसके लेखे बकाया थे, **परिशिष्ट-5.6** में दर्शाया गया है।

इन रा सा क्षे उ की गतिविधियों की देखरेख करने तथा निर्धारित अवधि के भीतर इन रा सा क्षे उ द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने तथा अंगीकृत जाने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों की है। बकाया लेखों के संबंध में सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से अवगत कराया गया है।

इसके अलावा, 31 जनवरी 2022 को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा एक आभासी बैठक आयोजित की गई तथा सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार ने रा सा क्षे उ के एमडी/निदेशक (वित्त) के साथ भाग लिया जिसमें सचिव (वित्त) द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि रा सा क्षे उ के बकाया लेखों को मार्च 2022 तक तैयार/ प्रस्तुति कर ली जायेगी। हालांकि, रा सा क्षे उ द्वारा लेखों के बकाया को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

³⁵ कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि. एवं टी सी एल

³⁶ उ. अ. क. व. वि. नि. (2004-05 से), उ. ई. टी. डे. कॉ. (2016-17 से) एवं एस. प्ला. पा. लि. (2019-20 से)

³⁷ बि. रो. ट. अ. इ. डे. कॉ. लि. एवं एस. प्ला. पा. लि.

³⁸ कि. कॉ. लि.

³⁹ ₹ 9.50 करोड़ + ₹ 94.35 करोड़

⁴⁰ ₹ 1028.31 करोड़ + ₹ 115.00 करोड़ + ₹ 2.00 करोड़ + ₹ 0.10 करोड़.

⁴¹ ₹ 48.75 करोड़ + ₹ 60.25 करोड़ + ₹ 87.52 करोड़

⁴² इनमें एक रा सा क्षे उ, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम (उ. अ. क. व. वि. नि.) भी शामिल है जिसने न तो जानकारी दी और न ही अपना प्रथम लेखा प्रस्तुत किया।

5.3.2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन के रिसाव का खतरा हो सकता है। बकाया लेखों की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हानि/लाभ सहित वास्तविक प्रदर्शन तथा लेखों की बकाया अवधि के दौरान इन 21 रा सा क्षे उ⁴³ का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का पता नहीं लगाया जा सका/राज्य विधानमंडल को सूचित नहीं किया जा सका। इन रा सा क्षे उ द्वारा लेखाओं को अन्तिम रूप देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेशों एवं व्ययों का समुचित लेखा-जोखा किया गया था तथा निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे। यह मुद्दा उन सांविधिक निगमों के मामले में अधिक चिंता का विषय है जहां प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी की है।

5.3.2.2 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2022 तक नौ रा सा क्षे उ (सरकारी कम्पनियाँ) ₹ 36.19 करोड़ के कुल निवेश (इक्विटी के रूप में ₹ 12.31 करोड़ तथा ₹ 23.88 करोड़ के दीर्घावधि ऋण) के साथ निष्क्रिय थे, जैसा कि परिशिष्ट-5.2 में वर्णित है। उ.स. ने इन निष्क्रिय रा सा क्षे उ में ₹ 36.19 करोड़ के निवेश में से ₹ 14.69 करोड़ का निवेश किया था। नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ में से सात⁴⁴ रा सा क्षे उ परिसमापन के अधीन थे। राज्य सरकार इन निष्क्रिय रा सा क्षे उ की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

5.4 निष्कर्ष

- 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) जिन्होंने 2019-20 तथा उसके बाद तक के अपने लेखे जमा किए थे, ₹ 8449.81 करोड़ थे। निवेश में इक्विटी के रूप में 42.16 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में 57.84 प्रतिशत शामिल था। इसमें से, उत्तराखण्ड सरकार ने इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 4393.17 करोड़ का निवेश किया था जिसमें ₹ 3553.58 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 839.59 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल थे।
- 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त लेखे के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों के आंकड़ों के बीच ₹ 569.98 करोड़ का अन्तर मौजूद था।
- आठ में से दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्होंने लाभ कमाया और जिसमें उत्तराखण्ड सरकार ने निवेश किया था, ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश का भुगतान किया था।
- 31 मार्च 2022 तक, ₹ 1503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष सात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य (-) ₹ 3,404.00 करोड़ था।
- 23 सक्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए थे तथा शेष 21 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 85 लेखे बकाया थे। नौ निष्क्रिय राज्य के

⁴³ दो निष्क्रिय कम्पनियाँ कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि. (35 वर्षों का बकाया) एवं ट्रां. के. लि. (22 वर्षों का बकाया) को छोड़कर क्योंकि इन दोनों के निवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

⁴⁴ यू.पी.ए.आई., उ.प्र.डि.लि., कुमट्रोन, हिलट्रोन, उ.प्र.हि.फो.लि., उ.प्र.हि.क्वा.लि. तथा ग.अ.ज.ज.वि.नि.लि

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, (समापन के अधीन सात रा सा क्षे उ सहित), दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 57 लेखे बकाया थे। 2000-01 में उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से पहले, उत्तराखण्ड सरकार ने नौ निष्क्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 14.69 करोड़ का निवेश किया था।

5.5 अनुशंसा

- उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग तथा सम्बन्धित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण तथा बकाया प्रत्याभूति के आंकड़ों में अन्तर को समयबद्ध तरीके से सुलझाना चाहिए।
- राज्य सरकार निवेश किये गये इक्विटी पर वापसी सुनिश्चित करने के लिये एक लाभांश नीति तैयार कर सकती है।
- उत्तराखण्ड सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को सख्ती से निगरानी करनी चाहिए एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाकर अपने नियंत्रणाधीन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए।
- उत्तराखण्ड सरकार दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो काफी समय से निष्क्रिय हैं की परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में निर्णय ले सकती है तथा पहले से ही परिसमापन के तहत सात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसमापन प्रक्रिया में तेजी ला सकती हैं।

देहरादून
दिनांक: 19 मई 2023


(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 जून 2023


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
	क.	पर्वतीय	46,035 वर्ग किमी
	ख.	मैदान	7,448 वर्ग किमी
	ग.	वनीय	38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.26 प्रतिशत
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		24
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.70)		70.60
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2021) (अखिल भारतीय औसत=0.633)		0.72
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2021-22 प्रचलित दरों पर (₹ करोड़ में)		2,53,832
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22)	उत्तराखण्ड	6.29
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22)	अखिल भारतीय	8.86
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	7.57
	स घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22) प्रचलित दरों पर	अखिल भारतीय	10.11
13.	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	उत्तराखण्ड	12.70
		अखिल भारतीय	12.12

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 24 एवं 35)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
भाग अ. प्राप्तियाँ						
1. राजस्व प्राप्तियाँ	27,105	31,216	30,723	38,205	43,057	
(i) कर राजस्व	10,165 (37)	12,188 (39)	11,513 (37)	11,938 (31)	14,176 (33)	
एस जी एस टी	1,972 (19)	4,802 (39)	4,931 (43)	5,053 (42)	5,973 (42)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,703 (37)	1,883 (15)	1,811 (16)	1,858 (16)	2,302 (16)	
राज्य आबकारी	2,262 (22)	2,871 (24)	2,727 (24)	2,966 (25)	3,258 (23)	
वाहनों पर कर	816 (8)	909 (8)	908 (8)	741 (6)	889 (6)	
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	882 (9)	1,015 (8)	1,072 (9)	1,107 (9)	1,488 (10)	
भू-राजस्व	24 (-)	34 (-)	24 (-)	17 (0)	40 (0)	
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	00 (0)	00 (0)	
अन्य	506 (5)	674 (6)	40 (-)	196 (2)	226 (2)	
(ii) करेत्तर राजस्व	1,770 (7)	3,310 (10)	3,999 (13)	4,171 (11)	2,756 (6)	
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	7,085 (26)	8,011 (26)	6,902 (22)	6,569 (17)	9,906 (23)	
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	8,085 (30)	7,707 (25)	8,309 (27)	15,527 (41)	16,219 (38)	
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.01	--	0.20	--	
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	34	27	19	23	17	
4. कुल राजस्व एवं ऋणत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	27,139	31,243	30,742	38,228	43,074	
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,526	7,275	6,148	9,787	7,473	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,412 (98)	7,170 (99)	5,765 (94)	6,728 (69)	3,787 (51)	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	313 (05)	--	--	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	114 (2)	105 (1)	70 (01)	3,059 (31)	3,686 (49)	
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	34,665	38,518	36,890	48,015	50,547	
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	105	217	94	02	436	
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	37,571	41,790	45,330	47,563	52,779	
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	72,341	80,525	82,314	95,580	1,03,762	
भाग ब. व्यय/संवितरण¹						
10. राजस्व व्यय	29,083	32,196	32,859	37,091	38,929	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	25,570(88)	28,296 (88)	28,893 (88)	32,678 (88)	35,870 (92)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	3,513 (12)	3,900 (12)	3,966 (12)	4,413 (12)	3,059 (8)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)		12,409 (43)	13,525 (42)	13,844 (42)	14,826 (40)	15,668 (40)
सामाजिक सेवाएँ		10,929 (37)	12,209 (38)	12,593 (39)	14,762 (40)	15,573 (40)
आर्थिक सेवाएँ		4,276 (15)	5,003 (16)	4,704 (14)	5,571 (15)	6,148 (16)
सहायता अनुदान एवं अंशदान		1,469 (5)	1,459 (4)	1,717 (5)	1,932 (5)	1,540 (4)

¹ वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
11. पूँजीगत व्यय	5,914	6,184	5,414	6,538	7,534	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	4,274 (72)	3,533 (57)	3,055 (56)	3,192 (49)	4,335 (58)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	1,640 (28)	2,651 (43)	2,359 (44)	3,346 (51)	3,199 (42)
सामान्य सेवाएँ		804 (14)	454 (7)	362 (7)	755 (11)	1,085 (14)
सामाजिक सेवाएँ		1,086 (18)	1,099 (18)	1,610 (30)	1,938 (30)	2,262 (30)
आर्थिक सेवाएँ		4,024 (68)	4,631 (75)	3,442 (63)	3,845 (59)	4,187 (56)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	77	183	126	38	347	
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	35,074	38,563	38,399	43,667	46,810	
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,721	2,057	2,131	2,921	3,386	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)		1,681	2,013	2,084	2,550	3,330
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--	--	--	313	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		40	44	47	58	56
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-250	0	0	0	0	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	36,545	40,620	40,530	46,588	50,196	
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	482	107	26	226	212	
18. लोक लेखा संवितरण	35,366	39,947	42,569	47,261	53,304	
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	72,393	80,674	83,125	94,075	1,03,712	
भाग स. घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	7,935	7,320	7,657	5,439	3,736	
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) 3,948	(-) 2,845	(-) 3,153	(-) 666	1,203	
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,987	4,475	4,504	4,773	4,939	
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,664	4,466	4,800	6,441	5,858	
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	90	167	140	96	6	
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	5.24	6.08	5.18	5.21	0.06	
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)[@]	2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832	
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	51,831	58,039	65,982	73,751	77,024	
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	1,173	1,311	854	729	374	
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,105	2,105	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	260	202	210	143	75	
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)	631.94	480.30	627.08	437.61	357.00	
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)						
I. संसाधन का जुटाव						
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.046	0.053	0.049	0.051	0.056	
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.008	0.014	0.017	0.018	0.011	
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.069	0.068	0.064	0.094	0.103	
II. व्यय प्रबन्धन						
कुल व्यय/स रा घ उ	0.159	0.167	0.162	0.186	0.184	
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.29	1.24	1.25	1.14	1.09	
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.83	0.83	0.86	0.85	0.83	

*नोट: बदला हुआ प्रपत्र

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.35	0.37	0.38	0.38
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.24	0.25	0.21	0.22	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.009	(-) 0.004	(-) 0.009	(+) 0.005	(+) 0.016
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.036	(-) 0.032	(-) 0.032	(-) 0.023	(-) 0.015
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.018	(-) 0.012	(-) 0.013	(-) 0.003	(+) 0.005
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	(+) 0.249	(+) 0.134	(+) 0.279	(-) 0.205	(-) 1.105
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.028	(-) 0.015	(-) 0.002
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.24	0.25	0.28	0.31	0.30
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.91	1.86	2.15	1.93	1.79
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	22.87	28.27	34.66	29.85	45.31
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	22.69	18.69	14.08	40.02	35.05
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.94	0.93	0.90	0.93	0.98

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट से स रा घ उ आकलन से चालू मूल्य पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 81)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।
14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण का अर्थ है, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाना। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक कार्य से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब लघु शीर्ष कई हैं और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	मुख्य निर्माण	मुख्य निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः विनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: प्रस्तर-5.2; पृष्ठ 147)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. (जिन्होंने 2019-20 और उसके बाद के अपने लेखे जमा किए) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7(ब)	7(स)	7 (द)	8=6(द)+7(द)
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ													
1	उ. पा. कॉ. लि.	ऊर्जा	2020-21	2021-22	1489.91	0.00	0.00	1489.91	7.83	0.00	1431.13	1438.96	2928.87
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	ऊर्जा	2020-21	2021-22	654.88	0.00	0.00	654.88	178.51	0.00	839.63	1018.14	1673.02
3	यू. जे. वी. एन.	ऊर्जा	2021-22	2022-23	1372.68	0.00	0.00	1372.68	365.42	0.00	1719.75	2085.17	3457.85
4	कि. कॉ. लि.	ऊर्जा	2020-21	2021-22	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
उप-योग (विद्युत क्षेत्र)		ऊर्जा			3522.47	0.00	5.00	3527.47	551.76	0.00	3990.51	4542.27	8069.74
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ													
5	बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.	लोक निर्माण विभाग	2019-20	2020-21	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
6	डो. शु. कं. लि.	चीनी एवं गन्ना	2020-21	2021-22	6.00	0.00	0.00	6.00	127.99	0.00	3.15	131.14	137.14
7	कि. शु. कं. लि.	चीनी एवं गन्ना	2020-21	2021-22	17.54	0.00	0.45	17.99	119.32	0.00	0.00	119.32	137.31
8	उ. पू. सै. क. नि. लि.	समाज कल्याण	2020-21	2021-22	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
9	उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.	आवास विकास	2021-22	2022-23	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
10	दे. स्मा. सि. लि.	शहरी विकास	2020-21	2021-22	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
11	उ. प. वि. नि. लि.	सिंचाई	2020-21	2022-23	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
उप-योग (विद्युत क्षेत्र से अन्य)					29.91	0.00	0.65	30.56	247.31	0.00	3.15	250.46	281.02
योग-अ					3552.38	0.00	5.65	3558.03	799.07	0.00	3993.66	4792.73	8350.76
ब	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (स नि अ क)												
12	उ. सी. त. डे. कॉ. लि.	कृषि	2020-21	2021-22	1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50	23.58
योग-ब					1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50	23.58
स	निगम												
13	पेयजल निगम	पीने का पानी	2020-21	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47	75.47
14	उ. व. वि. नि.	वन	2019-20	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग-स					0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47	75.47
योग- (अ + ब + स)					3553.58	0.00	8.53	3562.11	839.59	0.00	4048.11	4887.70	8449.81

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.2 एवं 5.3.2.2; पृष्ठ 147 एवं 154)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण (तीन साल या उससे अधिक के बकाया लेखे या निष्क्रिय थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए) को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7(ब)	7(स)	7 (द)	8=6(द)+7(द)
सक्रिय रा सा क्षे उ													
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ													
1.	शून्य				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (विद्युत क्षेत्र)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ													
1	उ. ब. वि. वि. नि. लि.	समाज कल्याण	2008-09	2019-20	17.46	5.99	0.00	23.45	0.00	0.00	1.00	1.00	24.45
2	स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि.	उद्योग	2017-18	2021-22	26.00	0.00	2.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
3	कु. मं. वि. नि. लि.	पर्यटन	2005-06	2016-17	13.42	0.00	0.00	13.42	28.07	0.00	0.00	28.07	41.49
4	ग. मं. वि. नि. लि.	पर्यटन	2016-17	2022-23	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	10.31	10.31	16.95
5	उ. अ. क. व. वि. नि.* (जनवरी 2005 में समामेलित)	समाज कल्याण	--		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	उ. ई. टी. डे. कॉ.* (मार्च 2017 में समामेलित)	पर्यटन	--		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
7	एस. प्ला. पा. लि.* (फरवरी 2020 में समामेलित)	उद्योग	--		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
उप-योग (विद्युत क्षेत्र से अन्य)					63.57	5.99	7.50	77.06	28.07	0.00	11.31	39.38	116.44
योग- अ					63.57	5.99	7.50	77.06	28.07	0.00	11.31	39.38	116.44

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
ब	सांविधिक निगम												
8	उ. प. नि.	परिवहन	2015-16	2017-18	229.36	9.24	0.00	238.60	97.02	0.00	55.33	152.35	390.95
9	उ. रा. भ. नि.	सहकारी	2018-19	2022-23	0.19	0.18	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
योग- ब					229.55	9.42	0.00	238.97	97.02	0.00	55.33	152.35	391.32
सक्रिय रा सा क्षे उ का योग- (अ + ब)					293.12	15.41	7.50	316.03	125.09	0.00	66.64	191.73	507.76
निष्क्रिय रा सा क्षे उ													
सरकारी उपक्रम													
10	हिलट्रॉन	उद्योग	2013-14	2017-18	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
11	यू. पी. ए. आई.	उद्योग	1988-89	1999-00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
12	कुमट्रॉन	उद्योग	1989-90	1990-91	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
13	ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	समाज कल्याण	2008-09	2018-19	0.20	0.00	0.30	0.50	1.00	0.04	0.17	1.21	1.71
14	कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	समाज कल्याण	1986-87	2002-03	0.22	0.00	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
15	ट्रां. के. लि.	उद्योग	1999-00	2002-03	0.00	0.00	1.63	1.63	2.75	0.00	0.00	2.75	4.38
16	उ. प्र. डि. लि.	उद्योग	1996-97	1997-98	0.00	0.00	0.35	0.35	1.40	18.52	0.00	19.92	20.27
17	उ. प्र. हि. फ़ो. लि.	उद्योग	-	-	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18	उ. प्र. हि. क्वा. लि.	उद्योग	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निष्क्रिय रा सा क्षे उ का योग- (अ + ब)					9.54	0.00	2.77	12.31	5.15	18.56	0.17	23.88	36.19
कुल योग- (सक्रिय + निष्क्रिय)					302.66	15.41	10.27	328.34	130.24	18.56	66.81	215.61	543.95

* पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: प्रस्तर-5.2.1; पृष्ठ 148)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. को बजटीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 की	वर्ष 2021-22
		की सूचना	सूचना	की सूचना
		उ.स.	उ.स.	उ.स.
	विद्युत क्षेत्र			
	पूंजी			
1	उ. पा. कॉ. लि.	16.00	30.00	15.00
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	44.00	70.00	20.00
3	यू. जे. वी. एन.	73.19	42.59	65.91
	कुल पूंजी	133.19	142.59	100.91
	ऋण			
4	यू. जे. वी. एन.	12.18	30.42	40.08
	कुल ऋण	12.18	30.42	40.08
	उपदान			
5	उ. पा. कॉ. लि.	24.38	0.10	2.94
	कुल उपदान	24.38	0.10	2.94
	कुल योग	169.75	173.11	143.93
	विद्युत क्षेत्र से अन्य			
	पूंजी			
6	दे. स्मा. सि. लि.	0.15	0.00	0.00
	कुल पूंजी	0.15	0.00	0.00
	उपदान			
7	डो. शु. क. लि.	46.72	44.64	48.75
8	कि. शु. क. लि.	69.07	48.10	60.25
9	उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.	5.00	5.90	10.00
10	दे. स्मा. सि. लि.	74.00	5.00	115.00
11	पेयजल निगम	846.49	685.67	1028.31
12	उ. व. वि. नि.	0.00	0.00	2.00
	कुल उपदान	1041.28	789.31	1264.31
	विद्युत क्षेत्र से अन्य का योग	1041.43	789.31	1264.31
	विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र से अन्य का योग	1211.18	962.42	1408.24

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.2.2; पृष्ठ 149)

30 सितंबर 2022 तक इक्विटी, ऋण और प्रत्याभूति के शेष के संबंध में उत्तराखंड सरकार के वित्त लेखों और रा. सा. क्षे. उ. के लेखों के बीच अंतर को दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	रा. सा. क्षे. उ. के अभिलेखों के अनुसार			उ. स. के वित्त लेखे के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
अ	विद्युत क्षेत्र के रा. सा. क्षे. उ.									
1	उ. पा. कॉ. लि.	1489.91	186.34 ²	24.49	1434.41	107.48 ³⁵	24.49	55.50	78.86	0.00
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	654.88	0.00	0.00	406.64	0.00	0.00	248.24	0.00	0.00
3	यू. जे. वी. एन.	1372.68	365.42	97.72	1661.74	272.56	97.72	-289.06	92.86	0.00
उप-योग- अ		3517.47	551.76	122.21	3502.79	380.04	122.21	14.68	171.72	0.00
ब	विद्युत क्षेत्र से भिन्न रा. सा. क्षे. उ.									
4	उ. प. नि.	229.36	97.02	0.00	134.42	215.47	0.00	94.94	-118.45	0.00
5	ग. मं. वि. नि. लि.	6.64	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
6	हिलट्रॉन	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	यू. पी. ए. आई.	0.17	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
8	उ. ब. वि. नि. लि.	17.46	0.00	0.00	16.95	0.00	1.25	0.51	0.00	-1.25
9	स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि.	26.00	0.00	0.00	110.67	0.00	0.00	-84.67	0.00	0.00
10	बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
11	उ. प. वि. नि. लि.	1.07	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00
12	ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	0.20	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

² पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का ऋण शामिल है।

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	रा. सा. क्षे. उ. के अभिलेखों के अनुसार			उ. स. के वित्त लेखे के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
13	कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	कि. शु. कं. लि.	17.54	119.32	119.50	0.33	0.00	0.00	17.21	119.32	119.50
15	कु. मं. वि. नि. लि.	13.42	28.07	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	28.07	0.00
16	डो. शु. कं. लि.	6.00	127.99	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99	77.00
उप-योग- ब		331.03	373.40	196.50	300.63	215.47	1.25	30.40	157.93	195.25
कुल योग (अ+ब)		3848.50	925.16	318.71	3803.42	595.51	123.46	45.08	329.65	195.25

शेर आवेदन राशि जिसका आवंटन लंबित है को मिलाकर।

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.2.4; पृष्ठ 151)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. के निवल मूल्य में कमी दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	नवीनतम अंतिम लेखों का वर्ष	रा. सा. क्षे. उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार				रा. सा. क्षे. उ. द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार	
			कुल चुकता पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	राज्य सरकार	
							इक्विटी	ऋण
	1	2	3	4	5	6=3+5	7	8
1	उ. पा. कॉ. लि.	2020-21	1474.91	(-)151.75	(-) 3851.01	(-) 2376.10	1489.91	7.83
2	डो. शु. क. लि.	2020-21	6.00	(-) 26.07	(-) 425.06	(-) 419.06	6.00	127.99
3	कि. शु. क. लि.	2020-21	17.99	(-) 16.65	(-) 314.66	(-) 296.67	17.54	119.32
4	उ. मे. रे. अ. इ. बि. कं. कॉ. लि.	2021-22	0.10	(-) 0.84	(-) 3.10	(-) 3.00	0.10	0.00
5	दे. स्मा. सि. लि.	2020-21	0.40	(-) 0.55	(-) 0.55	(-) 0.15	0.20	0.00
6	पेयजल निगम	2020-21	0.00	(-) 20.49	(-) 288.26	(-) 288.26	0.00	21.02
7	उ. सी. त. डे. कॉ. लि.	2020-21	4.08	2.57	(-) 24.84	(-) 20.76	1.20	19.50
	योग		1503.48	(-) 213.78	(-) 4907.48	(-) 3404	1514.95	295.66

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.3.2; पृष्ठ 152)

जिस अवधि के लिए लेखे बकाया हैं, उस अवधि के दौरान सक्रिय रा. सा. क्षे. उ. में राज्य सरकार के निवेश (इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति को दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	योग
सरकारी उपक्रम								
1	उ. पा. कॉ. लि.	2020-21	2021-22	1474.91	15.00	0.00	2.94	17.94
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	2020-21	2021-22	634.88	20.00	0.00	0.00	20.00
3	कि. कॉ. लि.	2020-21	2021-22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बि. रो. ट. अ. इ. डे. कॉ. लि.	2019-20	2020-21 से 2021-22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डो. शु. क. लि.	2020-21	2021-22	6.00	0.00	0.00	48.75	48.75
6	कि. शु. क. लि.	2020-21	2021-22	17.54	0.00	0.00	60.25	60.25
7	दे. स्मा. सि. लि.	2020-21	2021-22	0.20	0.00	0.00	115.00	115.00
8	उ. पू. सै. क. नि. लि.	2020-21	2021-22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	उ. प. वि. नि. नि. लि.	2020-21	2021-22	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10	उ. सी. त. डे. कॉ. लि.	2020-21	2021-22	1.20	0.00	9.50	0.00	9.50
11	उ. ब. वि. वि. नि. लि.	2008-09	2009-10 से 2021-22	8.43	9.03	0.00	0.10	9.13
12	स्टे. इ. इ. डे. कॉ. उ. लि.	2017-18	2018-19 से 2021-22	26.00	0.00	0.00	87.52	87.52
13	कु. मं. वि. नि. लि.	2005-06	2006-07 से 2021-22	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ग. मं. वि. नि. लि.	2016-17	2017-18 से 2021-22	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	योग
15	उ. ई. टी. डे. कॉ.#	--	2016-17 से 2021-22	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
16	एस. प्ला. पा. लि.#	--	2020-21 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	उ. अ. क. व. वि. नि.#	--	2004-05 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (अ)				2200.29	44.08	9.50	314.56	368.14
सांविधिक निगम								
18	उ. प. नि.	2015-16	2016-17 से 2021-22	229.36	0.00	94.35	0.00	94.35
19	पेयजल निगम	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	1028.31	1028.31
20	उ. व. वि. नि.	2019-20	2020-21 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
21	उ. रा. भ. नि.	2018-19	2019-20 से 2021-22	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ब)				229.55	0.00	94.35	1030.31	1124.66
योग (अ + ब)				2429.84	44.08	103.85	1344.87	1492.80

#प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए

परिशिष्ट-6.1
शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्वयता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
7.	ऋण वहन क्षमता	<p>ऋण वहन क्षमता को किसी समयवधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।</p> <p>इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।</p>
8.	ऋण स्थिरीकरण	<p>स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती हैं कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।</p>
9.	ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।</p>
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	<p>कुल ऋण प्राप्ति से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्ति का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।</p>
11.	ऋणोत्तर प्राप्ति	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।</p>
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	<p>लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्ति का आधिक्य।</p>

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi>